बुधवार,
१२ अगस्त, १९५३

सत्यमेव जयते

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

चौथा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

भाग १—प्रश्न और उत्तर

लोक सभा

बुधवार, १२ अगस्त, १९५३

सदन की बैठक सवा आठ बजे समवेत हुई ।

[उपाध्यक्ष महोदय अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

पूना तथा अहमदनगर में रहस्यपूर्ण रोग

*३९८. **श्री एम० एल० द्विवेदी :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूना तथा अहमदनगर के कुछ हिस्सों में फैले हुए रहस्यपूर्ण रोग जिसके लक्षण अत्यधिक प्यास तथा भूख की कमी आदि हैं, के सम्बन्ध में विश्व स्वास्थ्य संघ की देख रेख में कुछ प्रमुख चिकित्सकों तथा वैज्ञानिकों ने जो जांच की है, क्या उस के परिणाम स्वरूप इस बात का कोई पता चला है कि यह रोग किस प्रकार का है तथा इसका क्या कुछ इलाज किया जा सकता है ; तथा

(ख) यदि इस का पता लगा है तो क्या इस समस्या को निवारण किया गया है ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमतीचन्द्रशेखर) : (क) तथा (ख). बम्बई लोक स्वास्थ्य विभाग की जांच तथा चिकित्सक वैज्ञानिकों की चर्चा के परिणाम स्वरूप इस सम्बन्ध में किसी निश्चित निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सका कि यह किस प्रकार की बीमारी है तथा न ही इसका कोई सफल इलाज निकाला जा सका है किन्तु पूर्ण आराम तथा अस्पताल

की खुराक से अधिकांश बीमार ठीक हुए हैं जब तक कि इस बीमारी के कारण निश्चित नहीं किये जा सकेंगे तब तक इस का इलाज नहीं निकाला जा सकता है ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या मैं जान सकता हूं कि इस रोग के कितने रोगी सरकार की दृष्टि में आये हैं तथा क्या इन में से कुछ रोगियों का सफलतापूर्वक इलाज किया गया है ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : श्रीमान्, मेरे पास यह आंकड़े नहीं हैं ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह बीमारी भारत के किसी और भी भाग में पाई गई है ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : नहीं, श्रीमान् ।

श्रीमती ए० काले : क्या मैं जान सकती हूं कि क्या उचित इलाज प्राप्त न होने के कारण यह बीमारी बढ़ती चली जा रही है ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : जी नहीं । इसका जोर कम पड़ गया है ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या इस बीमारी से कुछ व्यक्ति मर गए हैं ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : मेरी जानकारी में नहीं ।

श्री एस० एन० दास : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह बीमारी फैल रही है या कि रोक ली गई है ?

श्रीमती चन्द्रशेखर: मैं ने बताया कि इस का जोर कम हो गया है ।

बैद्यों, हकीमों तथा होम्योपैथिक डाक्टरों की ट्रेनिंग

*३९९. **डा० रामा राव:** क्या स्वास्थ्य मंत्री १७ फरवरी १९५३ को राज्य परिषद में होम्योपैथिक जांच समिति की रिपोर्ट के बारे में पूछ गए तारांकित प्रश्न संख्या २७ के एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर की ओर निर्देश करके यह बताने की कृपा करेंगे कि माननीय मंत्री की इस प्रस्थापना को कहां तक क्रियान्वित किया गया है कि प्रत्येक वैद्य यूनानी हकीम तथा होम्योपैथिक डाक्टर को दवाइयों की युक्तिमूलक प्रणाली में प्रारम्भिक प्रशिक्षा प्राप्त करनी चाहिए ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर): भारत सरकार की यह राय कि प्रत्येक वैद्य, हकीम तथा होम्योपैथिक डाक्टर को रुजालय पूर्व अवस्था सम्बन्धी विषयों में उसी तरह प्रारम्भिक प्रशिक्षा प्राप्त करनी चाहिये जैसे कि दवाइयों की आधुनिक प्रणाली को उपयोग में लाने वाले अन्य डाक्टर किया करते हैं, राज्य सरकारों तक पहले ही पहुंचा दी गई है । इस मामले पर केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद की अगली बैठक में विचार होगा ।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर: क्या त्रिचुर स्थित आयुर्वेदिक अस्पताल जहां कि माननीय योजना मंत्री अपना इलाज करा रहे हैं, के डाक्टरों ने यह ट्रेनिंग की है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर): हमारे पास इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है ।

सेठ गोविन्द दास: इस विषय पर कितने समय से विचार किया जा रहा है ?

राजकुमारी अमृत कौर: श्रीमान्, स्वास्थ्य के विषय में राज्य स्वायत्त-शासी है ।

श्री ए० एम० टामस: इन तीनों चिकित्सा प्रणालियों के प्रति सरकार की ठीक ठीक नीति क्या है ?

उपाध्यक्ष महोदय: नीति एक ही प्रश्न में पूछी नहीं जा सकती है । माननीय सदस्य कुछ तथ्यों की जानकारी मांग सकते हैं ।

श्रीमती चन्द्रशेखर: उन व्यक्तियों को भी जो कि आयुर्वेद, होम्योपैथी तथा यूनानी चिकित्सा प्रणालियों में ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे हैं, रुजालय पूर्व अवस्था सम्बन्धी विषयों में उसी तरह से ट्रेनिंग प्राप्त करनी होगी जैसे कि आधुनिक चिकित्सा प्रणाली में ट्रेनिंग प्राप्त करने वाले लोगों को करनी पड़ती है ।

सेठ गोविन्द दास: मैं यह जानना चाहता हूं कि यह विषय कितने दिनों से प्रान्तीय सरकारों और केन्द्रीय सरकार के सामने है और इस विषय में केन्द्रीय या प्रान्तीय सरकारों के निर्णय कब तक हो जाने की आशा की जा सकती है ?

राजकुमारी अमृत कौर: आनरेबल मेम्बर को जानना चाहियें कि इस के बारे में निर्णय हो गया है और जाम नगर में रिसर्च हो रहा है और इस में काफी काम हो गया है ।

आंखों का अस्पताल

*४००. **डा० रामा राव:** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत भारत सरकार आंखों के अस्पतालों के विकास के लिए क्या कुछ करने की प्रस्थापना करती है ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर): भारत में आंखों के अस्पतालों के विकास के लिए पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कोई विशेष उपबन्ध नहीं रखा गया है ।

श्री एम० एल० द्विवेदी: अलीगढ़ विश्वविद्यालय में फैकलटी आफ आपथेलमोलाजी की स्थापना के सम्बन्ध में क्या कार्य-प्रगति हुई है ?

उपाध्यक्ष महोदय: क्या यह इस प्रश्न से उत्पन्न होता है ?

श्रीमती चन्द्रशेखर: हम अलीगढ़ विश्वविद्यालय को सहायता दे रहे हैं। इस समय स्थिति क्या है, इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं।

डा० रामा राव: क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि मद्रास स्थित आंखों के अस्पताल को जो कि भारत का सर्वोत्तम तथा विश्व का द्वितीय ऐसा प्राचीन अस्पताल माना जाता है, धन की बड़ी आवश्यकता है ?

उपाध्यक्ष महोदय: यह क्रिया का एक सुझाव है। प्रश्न क्या है ? माननीय सदस्यों को सूचना मांगनी चाहिये।

डा० रामा राव: मैं यह इस तरह से पूछूंगा। क्या मद्रास स्थित आंखों के अस्पताल को वित्तीय सहायता देने के लिए सरकार से कोई प्रार्थना की गई है ?

श्रीमती चन्द्रशेखर: नहीं, श्रीमान्।

श्री पुन्नूस: क्या भारत में आंखों के रोगों की कोई जांच की गई है तथा यदि की गई है, तो इन के इलाज के लिये क्या कुछ कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर): आंखों के इलाज के सम्बन्ध में सभी राज्यों में बहुत कुछ किया गया है और मैं इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य को भारत में स्थित ऐसे अस्पतालों की एक लम्बी सूची दे सकती हूं।

श्री एम० एल० द्विवेदी: आंखों के रोगों का निवारण करने के लिए केन्द्र द्वारा किस प्रकार की सहायता दी जा रही है तथा विभिन्न अस्पतालों को कितनी धनराशि वितरित की जाती है ?

राजकुमारी अमृत कौर: माननीय सदस्य को जानना चाहिये कि राज्यों को कोई धन नहीं दिया जाता है ; राज्य अपने बजट तैयार करते हैं तथा अपनी परियोजनाएं बनाते हैं।

बर्मा से चावल का आयात

*४०१. **श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा:** (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९५३ में बर्मा से कितना चावल आयात किया जायगा ?

(ख) यह किन शर्तों तथा निबन्धनों पर आयात किया जायगा ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा): (क) हमने १९५३ में इस समय तक बर्मा से १,५०,००० टन चावल आयात किया है और इस वर्ष वहां से और अधिक चावल आयात करने का इस समय कोई विचार नहीं।

(ख) भारत सरकार बर्मा सरकार को अपनी चावल की अपेक्षाओं के बारे में लिखेगी तथा उसके बाद इस सौदे पर बात चीत होगी।

श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा: बर्मा से भारत में आयात किये गये चावल का अन्तिम मूल्य क्या है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई): यह ६५ पाउंड प्रति टन के हिसाब से खरीदा गया था। यह इस समय गोदामों में पड़ा हुआ है और अभी बेचा नहीं गया है।

श्री आल्तेकर: क्या मैं जान सकता हूं कि इस वर्ष देश में चावल की कितनी कमी होगी ?

श्री किदवई: मैं न बताया है कि हम ने १,५०,००० टन आयात किया है तथा हम और अधिक प्राप्त करने का विचार नहीं रखते हैं। समाहार का कार्य अच्छा हुआ है और हमने ११ लाख टन चावल इकठ्ठा किया है।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती: कलकत्ता में लोगों को कम दाम वाले चावलों के साथ साथ अधिक दाम वाले चावल लेन के लिए क्यों मजबूर किया जाता है ?

श्री किदवई: तीन अथवा चार प्रकार के चावल हैं जिन्हें कि विभिन्न मूल्यों पर बचा गया है । मुझे मालूम नहीं कि लोगों को अधिक दाम वाले चावल लेने के लिए कौन मजबूर करता है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती: कलकत्ते की राशन दुकानों पर एसा किया जाता है ।

श्री किदवई: क्वालिटी के अनुसार चावल के दाम निश्चित किये गये हैं चावल तीन प्रकार के हैं, मोटे, दरम्यानी तथा बारीक । दूसरी भी दुकानें हैं जहां कि लोग जा सकते हैं और राशन के अलावा चावल खरीद सकते हैं । इसके दाम उचित हैं अर्थात् यह क्रय मूल्य पर बेचे जाते हैं ।

श्रीमती ए० काले: क्या मैं जान सकती हूं कि क्या चावल आयात करने में वस्तु-विनिमय की प्रणाली को अपनाया गया है तथा यदि इसे अपनाया गया है, तो इसके बदले म कौन सी वस्तु निर्यात की जाती है ?

श्री किदवई: वस्तु विनिमय की कोई प्रणाली नहीं है क्योंकि यह चावल मिशन के आने से पहले खरीदे गए थे । उस समय हमें पता लगा कि हमें और अधिक चावल की आवश्यकता नहीं है । परन्तु बर्मा सरकार ने हमारे लिए पांच लाख टन चावल रक्षित रखना मान लिया है तथा हम इसे उस समय प्राप्त कर सकते हैं जब कि हमें इसकी आवश्यकता पड़ेगी ।

श्री जो० एम० भारती: क्या मैं जान सकता हूं कि क्या हम अनाज में आत्म निर्भर हैं ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा: जी हां । हम चावल में आत्म निर्भरता प्राप्त कर रहे हैं ।

श्री रामचन्द्र रेड्डी: क्या मैं जान सकता हूं कि आयात किया गया चावल किस भाव पर भारत में बेचा जायगा—क्या यह कंट्रौल रेट पर बेचा जायगा अथवा आयातित भाव के आधार पर बेचा जायगा ?

श्री किदवई: जैसा कि मैं पहले निवेदन कर चुका हूं, हमें अभी इसे बाजार में लाने की आवश्यकता नहीं पड़ी है । इस लिये अभी कोई मूल्य निश्चित नहीं किया गया है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती: माननीय मंत्री के वक्तव्य को ध्यान में रखते हुए क्या मैं जान सकती हूं कि क्या चावल की मात्रा में कोई फेर बदल किया गया है ?

श्री किदवई: हमने प्रत्येक राज्य में चावल की मात्रा बढ़ा दी है । स्वयं कलकत्ता म यह मात्रा साढ़े चार औंस से बढ़ा कर छः औंस कर दी गई है तथा कुछ राज्यों में जहां कि यह केवल दो औंस थी अब यह चार औंस कर दी गई है । इस लिए देश भर में गत बारह महीनों में चावल का राशन बढ़ा दिया गया है ।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर: माननीय मंत्री के इस वक्तव्य को दृष्टि में रखते हुए कि भारत के लिए साढ़े पांच लाख टन रक्षित रखा गया है तथा माननीय उपमंत्री के इस वक्तव्य को दृष्टि में रखते हुए कि वह इस वर्ष और अधिक चावल आयात नहीं करेंगे क्या मैं जान सकता हूं कि क्यों केवल १,५०,००० टन आयात किया गया है ? क्या इस का कारण यह है कि हम चावल में आत्म-निर्भर हो गए हैं अथवा क्या हम दूसरे देशों से आयात करने की आशा करते हैं ?

श्री किदवई: ११ लाख टन चावल का इस वर्ष समाहार किया गया है । इस के अतिरिक्त

समाहार के परिणामस्वरूप हम चावल के राशन की मात्रा सारे देश में बढ़ा सके हैं। जहां चावल के लाने ले जाने पर पाबन्दी हटा ली गई है, वहां जो लोग गेहूं खाते थे वह अब गेहूं नहीं खाते हैं। वह अब चावल पर ही संतोष करते हैं।

श्री के० सी० सोधिया: इस में कितना लाभ अथवा हानि होने की आशा है ?

श्री किदवई: माननीय सदस्य को जान लेना चाहिये कि चावल ३० रुपये प्रतिमन के हिसाब से आयात किया जाता है। इस में कोई मुनाफा नहीं हो सकता है।

लोक स्वास्थ्य नर्सिंग (डिपलोमा कोर्स)

***४०४. श्री गिडवानी:** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सत्य है कि १ जून १९५३ से नर्सों की ट्रेनिंग के लिए अखिल भारत इन्स्टीट्यूट आफ हाईजीन एंड पब्लिक हैल्थ, कलकत्ता में लोक स्वास्थ्य नर्सिंग में एक 'डिपलोमा कोर्स' खोला गया है ; तथा

(ख) क्या सरकार दूसरे राज्यों में भी ऐसी ही पाठ्य-चर्या पुरःस्थापित करने का विचार रखती है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर): (क) जी हां।

(ख) अन्य राज्यों में ऐसी पाठ्य-चर्या पुरःस्थापित करने की कोई प्रस्थापना नहीं।

श्री गिडवानी: क्या मैं जान सकता हूं कि डिपलोमा प्राप्त करने के लिए क्या निम्नतम अर्हताएं होनी आवश्यक हैं ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर): उम्मीदवारों को नर्सिंग में पूर्व ट्रेनिंग प्राप्त होनी चाहिये तथा उनके पास नर्सिंग कौंसिल का सीनियर नर्सिंग सर्टिफिकेट भी होना चाहिये।

श्री गिडवानी: डिपलोमा कोर्स पास करने पर प्रशिक्षार्थियों को क्या वेतन दिया जायेगा ?

श्रीमती चन्द्रशेखर: यह कोर्स हाल ही में शुरु हुआ है।

राजकुमारी अमृत कौर: इस बात का फैसला राज्यों के हाथ में होगा। इन कोर्सों में भारत के सभी भागों से तथा दक्षिण पूर्वी एशिया से छात्र तथा छात्राएं भाग ले सकती हैं।

श्री पुरूस: क्या मैं जान सकता हूं कि इस इंस्टीट्यूट में कितनी नर्सों को ट्रेनिंग दी जाती है ?

राजकुमारी अमृत कौर: यह राज्यों की मांग पर निर्भर है। मेरा विश्वास है कि हम पहली बार लगभग एक सौ नर्सों को दाखिल करेंगे।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर: क्या मैं जान सकता हूं कि यह ट्रेनिंग पाने के लिए क्या शिक्षा सम्बन्धी किसी अर्हता की आवश्यकता है ?

राजकुमारी अमृत कौर: जैसे कि उपमंत्री सदन को पहले ही बता चुकी हैं प्रशिक्षार्थियों के पास नर्सिंग का अपेक्षित प्रमाण पत्र होना चाहिये तथा स्त्री रोग विद्या तथा प्रसव कला में स्नातकोत्तर अध्ययन के लिए वह पूर्णतयः अर्हत डाक्टर होनें चाहियें।

श्रम की ठेका प्रणाली

***४०५. श्री गिडवानी:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १९ मई, १९५३ को मध्य रेलवे हमाल संघ के सचिव के नेतृत्व में हैदराबाद का एक प्रतिनिधि मंडल मध्य रेलवे के महा प्रबन्धक से मिला तथा उसने रेलवे यार्डों में सामान के लादने और उतारने के सम्बन्ध में श्रम की ठेका

प्रणाली के पुनः जारी करने के प्रति विरोध प्रकट किया ; तथा

(ख) क्या प्रतिनिधि मंडल ने रेलवे अधिकारियों से इस बात पर विचार करने के लिये कहा कि सामान लादने और उतारने का काम स्वयं हमालों द्वारा चलाई जाने वाली सहकारी समितियों को सौंप दिया जाये ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) तथा (ख). जी हां ।

श्री गिडवानी : मूल प्रणाली क्या थी ? क्या यह सत्य है कि रेलवे प्राधिकारी हमालों द्वारा सामान लादने और उतारने को प्रोत्साहन देते रहे हैं ?

श्री अलगेशन : यही प्रथा थी ।

श्री गिडवानी : फिर यह नई प्रणाली क्यों जारी की जा रही है जिससे शोषण तथा भ्रष्टाचार और बढ़ जायेगा ?

श्री अलगेशन : क्योंकि हमाल अनुशासन में नहीं रहना चाहते ।

श्री गिडवानी : उनके बारे में क्या शिकायत की गई थी ?

श्री अलगेशन : उन के विरुद्ध यह शिकायत थी कि वे न केवल रेलवे का काम करते थे बल्कि जनता का भी । अतएव रेलवे ने ठेका प्रणाली ही जारी करने का निश्चय किया ।

श्री नानादास : रेलवे ने हैदराबाद में ठेका प्रणाली जारी करना किन कारणों वश ठीक समझा ?

श्री अलगेशन : ठेकेदार काम करने को तैयार हो गया और इस लिये उसे ठेका दे दिया गया ।

श्री नानादास : क्या इन हमालों को मकान तथा डाक्टरी सुविधाएं दी गई थीं ?

श्री अलगेशन : वे रेलवे के कर्मचारी नहीं हैं । वे स्वतंत्र मजदूर हैं ।

सेठ गोविन्द दास : हैदराबाद के सिवा और भी कहीं क्या इस प्रकार की पद्धति चल रही है या केवल हैदराबाद में ही ?

श्री अलगेशन : और जगहों में नहीं है ।

श्री एम० आर० कृष्ण : क्या यह सत्य नहीं है कि ठेका प्रणाली में हमालों को कम पैसा मिलने के कारण यार्डों में बराबर सामान की चोरी हो रही है और सरकार को भारी हानि उठानी पड़ रही है ?

श्री अलगेशन : मुझे सूचना मिली है कि उन्हें वही मजदूरी दी जाती है जो पहले दी जाती थी तथा कोई चोरी नहीं हुई है ।

श्री केलप्पन : क्या सरकार के लिये स्वयं हैदराबाद में विश्वसनीय ठेकेदार प्राप्त कर लेना सम्भव नहीं था ?

श्री अलगेशन : मैं पूर्व सूचना चाहता हूं ।

मिल के तेल का उद्योग

*४०९. **श्री दाभी** : क्या रेल मंत्री १ मई १९५३ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १७७५ की ओर निर्देश करके यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मूंगफली के यातायात के सम्बन्ध में रेलवे भाड़ा कम हो जाने के फलस्वरूप घानी के तेल के उद्योग के मुकाबले मिल के तेल के उद्योग को प्रोत्साहन मिला है ; और

(ख) यदि "हां" ; तो मिल के तेल के मुकाबले सरकार की घानी तेल के सम्बन्ध में क्या नीति है ?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभा सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) सरकार को ऐसे किसी समाचार का ज्ञान नहीं है ।

(ख) भाड़ा दरों के सम्बन्ध में सरकार की नीति मिल के तेल और घानी तेल के बीच भदभाव करने की नहीं है ।

श्री दाभी : क्या यह सच है कि सरकार की नीति मिल के तेल के मुकाबले में घानी तेल को प्रोत्साहन देने की नहीं है ?

श्री शाहनवाज खां : सरकार दोनों में कोई भेद नहीं कर रही है ।

सिन्दरी से कृषिसार का भेजा जाना

*४१०. **श्री गिडवानी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बरसात आरम्भ होने से पूर्व सिन्दरी से विभिन्न राज्यों को अमोनियम सल्फेट की समस्त मात्रा भेज दी गई थी ताकि वह किसानों को उपलब्ध हो सके ;

(ख) क्या कुछ मात्रा बची थी ; तथा

(ग) यदि "हां", तो वह मात्रा कितनी थी ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) जी हां । राज्य सरकारों को चालू मौसम में जितना कृषिसार चाहिये था उसे बरसात आरम्भ होने से पहले ही भेज दिया गया है । १ जनवरी, १९५३ को सिन्दरी में ५०,००० टन का स्टाक था तथा ३० जून, १९५३ तक १,४०,००० टन और तैयार किया गया । इस प्रकार कुल १,९०,००० टनों में से १,५०,००० टन सिन्दरी से अब तक भेजा जा चुका है ।

(ख) तथा (ग) क्योंकि सिन्दरी में अमोनियम सल्फेट बराबर तैयार होता रहता है इसलिये हर समय वहां कुछ न कुछ तो रहेगा ही । हो सकता है वर्तमान मात्रा ४०,००० टन हो ।

श्री गिडवानी : क्या यह सच है कि २० मई, १९५३ को एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया था कि बची हुई ४०,००० टन की मात्रा विशेष ट्रेनों द्वारा तीन सप्ताह में [illegible] ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : विशेष ट्रेनों द्वारा कृषिसार रवाना करने का पूरा प्रबन्ध कर दिया गया है ।

श्री एस० एन० दास : क्या माननीय मंत्री यह बता सकते हैं कि इन राज्यों ने कृषिसार की कितनी कितनी मात्रा ली है ?

डा० पी० एस० देशमुख : मेरे पास यह आंकड़े नहीं हैं । यह मैं ने उस दिन सदन को बता दिये थे ।

श्री ए० एम० टामस : केन्द्रीय पूल से वितरण करने में जो त्रुटियां हैं उनको ध्यान में रखते हुए यह प्रस्ताव रखा गया था कि वितरण का उत्तरदायित्व लेने के लिये स्वयं सिन्दरी की अपनी विक्रय संस्था होनी चाहिये । क्या ऐसा होने की संम्भावना है ? यदि हां, तो कब तक ?

डा० पी० एस० देशमुख : कठिनाइयां अस्थायी प्रकार की थीं । मेरे विचार में इस समय कोई कठिनाई नहीं है । समाचार-पत्रों में इस प्रकार का समाचार था कि सिन्दरी फैक्टरी वितरण कार्य अपने हाथों में ले रही है । मैं नहीं जानता कि अब वह मामला किस अवस्था पर है ।

श्री ए० एम० टामस : क्या मैं माननीय मंत्री का ध्यान उस वक्तव्य की ओर दिला दूं जो भारत सरकार के उत्पादन मंत्रालय के प्रकाशन में छपा है, अर्थात्, "सिन्दरी में उत्पन्न किया जाने वाला समस्त कृषिसार एक कृषिसार पूल द्वारा वितरित किया जाता है जिसका प्रबन्ध खाद्य तथा कृषि मंत्रालय करता है । फिर भी, आशा की जाती है कि वितरण का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेने क लिए सिन्दरी अपनी विक्रय संस्था कायम कर लेगी ।" उत्पादन मंत्रालय के प्रकाशन में छपे हुए इस वक्तव्य के सम्बन्ध में माननीय मंत्री को क्या कहना है ?

डा० पी० एस० देशमुख: वह वक्तव्य ठीक है क्यों कि सिन्दरी फैक्टरी बहुत समय से ऐसा करने का विचार रखती है किन्तु वक्तव्य में यह नहीं बताया गया है कि यह प्रबन्ध अन्तिम-रूप से तय कर लिया गया है। ऐसा प्रस्ताव विचाराधीन समझा जाता है।

श्री सारंगधर दास: अमोनियम सल्फेट को रखने के लिये गोदाम में कितनी जगह है तथा इस बात को ध्यान में रखते हुए कि बरसात में उसकी निकासी कम हो जायगी, क्या वह जगह काफी है?

डा० पी० एस० देशमुख: इसका उत्तर तो उत्पादन मंत्रालय दे सकता है, किन्तु मुझे पता लगा है कि वहां पर लगभग ७०,००० टन गोदाम में रखा जा सका है।

श्री गिडवानी: क्या यह सच है कि पाकिस्तान सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान के लिये १८,००० टन कृषिसार ले लिया है तथा क्या उसने इसका मूल्य चुका दिया है?

डा० पी० एस० देशमुख: मेरे पास कोई सूचना नहीं है किन्तु कदाचित् प्रश्न का पहला भाग सही है।

श्री वेलायुधन: आर्डर देने वाले राज्यों में से अब तक कितने राज्यों ने अपना कोटा ले लिया है?

डा० पी० एस० देशमुख: जी हां, अनेक राज्यों ने। हमें उन से अपना अपना कोटा जल्दी हटाने के लिये कहना पड़ा था।

श्री एन० राम लिंगम: सिन्दरी से अमोनियम सल्फेट की कम निकासी को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार का विचार इस कृषिसार के उत्पादन की वर्तमान गति को बनाये रखना है?

डा० पी० एस० देशमुख: निकासी काफी बढ़ गई है तथा हमारी योजना के अन्तर्गत काफी विस्तार किया जा सकता है और हमने किसानों से अधिक मात्रा में कृषिसार उपयोग में लाने के लिये कहा है।

श्री एल० एन० मिश्र: क्या किसी राज्य में कृषिसार का वितरण वस्तु-विनिमय के आधार पर भी आरम्भ किया गया है?

डा० पी० एस० देशमुख: वस्तु-विनिमय प्रणाली को लागू करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम कृषिसार एक मन चावल से भी सस्ता दे सकते हैं। आरम्भ में मैंने यही हिसाब लगाया था, किन्तु बाद में हम ने मूल्य काफी कम कर दिया और अब किसानों के लिये वस्तु-विनिमय लाभदायक सिद्ध नहीं होगी। वे मूल्य दे सकते हैं जो कि उस मूल्य से कहीं कम होगा जो कि वे एक मन चावल बेच कर प्राप्त कर सकते हैं।

श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा: क्या किसानों में यह प्रतिकूल धारणा फैली हुई है कि यदि वे कृषिसार का बराबर प्रयोग करते रहेंगे तो उनकी भूमि बिल्कुल खराब हो जायेगी, यदि "हां", तो क्या सरकार ने उनकी इस प्रतिकूल धारणा को दूर करने के सम्बन्ध में कुछ किया है?

डा० पी० एस० देशमुख: कुछ दकियानूसी विशेषज्ञ समय समय पर प्रेस में लेखआदि देते रहते हैं जिनमें वे कृषिसार के प्रयोग की निन्दा करतें हैं जैसे कि हम कृषिसार का प्रयोग बिना सोचे समझे ही कर रहे हों। हम इस प्रतिकूल धारणा को दूर करने का भरसक प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री एस० एन० दास: किसानों को कितना कृषिसार दिया गया तथा उन्हों ने उसका किस सीमा तक प्रयोग किया—क्या इस सम्बन्ध में विभिन्न राज्यों से रिपोर्टें देने के लिये कहा गया है या उन्होंने रिपोर्टें दे दी हैं?

डा० पी० एस० देशमुख: हमारी हरदम यही कोशिश रही है कि हम किसान के

दरवाज़े तक कृषिसार पहुंचा दें और हम ऐसा करने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं।

रेलवे टिकट

*४१२. **श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा:** (क) रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या रेलवे टिकट बांटने वाले कार्यालयों को इस प्रकार की कोई हिदायतें दी गई हैं कि वे किसी विशेष ट्रेन के लिये टिकट बांटते समय उस ट्रेन में बैठने के अधिकतम स्थान को ध्यान में रखें ?

(ख) क्या "शताब्दी" टिकट या "जैसे चाहो यात्रा करो" टिकट त्योहारों और मेलों के समय भी चालू किये जाया करेंगे ?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभा सचिव (श्री शाहनवाज़ खां): (क) रेलगाड़ियों के बन कर छूटने वाले स्टेशनों के सम्बन्ध में जो कि साधारणतः बड़े बड़े शहरों में होते हैं और जहां टिकट घर चौबीसों घन्टे खुले रहते हैं तथा टिकट किसी विशेष ट्रेन के लिये नहीं दिये जाते हैं, बैठने के अधिकतम स्थान को ध्यान में रखते हुए टिकट बांटना सम्भव नहीं है। बीच के स्टेशनों के सम्बन्ध में, ट्रेनों के गार्डों तथा अन्य रेलवे अधिकारियों को प्रशासनीय हिदायतें दी जा चुकी हैं कि यदि किसी ट्रेन में अधिक भीड़ भाड़ हो तो वे आगे आने वाले स्टेशनों को इस की सूचना दे दें; कुछ रेलवे बीच के स्टेशनों से भी टिकट बांटने का विनियमन करती हैं।

(ख) नहीं, श्रीमान्।

सेठ गोविन्द दास: क्या माननीय मंत्री जी को यह मालूम है कि जिस समय शताब्दी और इसी प्रकार के दूसरे टिकट दिये गये थे, उस समय रेलों में बहुत अधिक भीड़ हो गई थी और भविष्य में ऐसे अवसर पर क्या इस बात का ध्यान रखा जायगा कि जब इस तरह के टिकट दिये जायें, उस समय गाड़ियों में ज्यादा डिब्बे लगाये जायें ?

श्री शाहनवाज़ खां: सरकार कोई शताब्दी टिकट देने का इरादा नहीं रखती।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर: क्या सरकार को यह मालूम है कि बीच के स्टेशनों पर टिकट बांटने की नियंत्रण प्रणाली लागू करने के फलस्वरूप भ्रष्टाचार, घूसखोरी तथा बिना टिकट यात्रा करने को प्रोत्साहन मिलता है जैसा कि स्वयं मैंने इस सदन का सदस्य होते हुए अनुभव किया है; जब मुझे कालीकट से टिकट नहीं दिया गया तो मैं ने बिना टिकट ही यात्रा आरम्भ कर दी क्योंकि अन्य लोगों को चोरबाज़ार से टिकट मिल गये थे ?

श्री एस० एस० मोरे: औचित्य के प्रश्न पर, श्रीमान्।

सेठ गोविन्द दास: क्या मेलों के समय...

उपाध्यक्ष महोदय: जब कोई औचित्य का प्रश्न उठाया जाता है.....

श्री एस० एस० मोरे: एक माननीय सदस्य ने यह स्वीकार किया है कि उन्हों ने एक अपराध किया। क्या इस आधार पर उनके विरुद्ध मुकद्दमा चलाया जा सकता है ?

उपाध्यक्ष महोदय: यह सब प्रश्न कल्पनात्मक हैं।

सेठ गोविन्द दास: क्या मेलों के वक्त इस बात का ख्याल रक्खा जायेगा कि कुछ अतिरिक्त डिब्बे गाड़ियों में जोड़े जायें जिससे कि भीड़ न हो ?

रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री): महज डिब्बे ही नहीं लगाये जाते, बल्कि नई नई गाड़ियां और विशेष ट्रेन्स चलाई जाती हैं।

सेठ गोविन्द दास: उठे—

उपाध्यक्ष महोदय : जब तक मैं माननीय सदस्य का नाम न लूं तब तक उन्हें प्रश्न नहीं पूछना चाहिये ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : सेठ गोविन्द दास जी के प्रश्न के उत्तर में जो आपने बताया, तो क्या जोनल टिकट भी नहीं जारी किये जायेंगे और क्या इस बात का ध्यान रक्खा जायेगा कि भीड़ के समय गाड़ियों में और ज्यादा डिब्बे जोड़े जायें ?

श्री एल० बी० शास्त्री : अगर माननीय मेम्बर यह चाहते हैं कि भीड़ भी न हो और जोनल टिकट भी मिलें तो यह जरा मुश्किल सी बात है । हम ने इस बार भी इस बात का ख्याल रक्खा और नये डिब्बे वगैरह जोड़े, परन्तु फिर भी, हमारी कोचिज इतनी काफ़ी नहीं हैं कि भीड़ को बचा सकें । इसलिये कुछ भीड़ को तो सहन करना ही पड़ेगा ।

सेठ अचल सिंह : क्या माननीय मंत्री को मालूम है कि मेलों के अवसर पर लोग डिब्बों के छतों पर सफर करते हैं जिसकी वजह से गिरने का खतरा रहता है ?

श्री शाहनवाज़ खां : कहीं कहीं ऐसा होता है लेकिन सरकार की कोशिश यही रहती है कि ऐसा न हो ।

श्री बर्मन : देश के किन किन भागों से सरकार को इस प्रकार की रिपोर्ट प्राप्त हुई है कि पहले स्टेशनों पर भीड़ भाड़ के कारण टिकटों का दिया जाना बन्द कर दिया गया था ?

श्री शाहनवाज़ खां : हमें कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है ।

श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा : क्या सरकार का विचार मोटर गाड़ी नियमों की तरह रेलगाड़ियों में भीड़ भाड़ को रोकने के लिये कोई विशिष्ट विधान या नियम बनाने का है ?

श्री शाहनवाज़ खां : ऐसा करना सम्भव नहीं है, फिर भी ट्रेनों के गार्डों को हदायतें हैं कि वे गाड़ी में भीड़ भाड़ होने पर अगले स्टेशनों को सूचना दे दें जिस से और अधिक टिकट न बांटे जायें ।

श्रीमती ए० काले : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अब महिलाओं ने यात्रा करना आरम्भ कर दिया है क्या सरकार महिलाओं के लिये बड़े डिब्बे लगाने का विचार कर रही है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : उनमें अधिकतर भीड़ भाड़ नहीं होती है ।

श्री राघवय्या : यात्रा करने वाली जनता में इस बात के सम्बन्ध में बढ़ती हुई दिलचस्पी को देखते हुए कि वह इस सरकार के शानदार करनामों को देखे .....

उपाध्यक्ष महोदय : इतनी प्रस्तावना करने की क्या आवश्यकता है । उन्हें उत्तर ज्ञात करने के लिये प्रश्न पूछना चाहिये ।

श्री राघवय्या : क्या तमाम ऐसे अवसरों पर सरकार शताब्दी टिकट चालू करने क विचार कर रही है तथा साथ ही इस बात पर भी कि उनके कारण यात्रियों को कष्ट न हो ?

श्री अलगेशन : जब कि वर्तमान शताब्दी टिकट चालू किये गये थे तब भी गाड़ियों में और अधिक डिब्बे लगाने तथा साथ ही विशेष गाड़ियां चलाने की पूरी कोशिश की गई थी किन्तु इस पर भी कुछ स्थानों में भीड़ भाड़ हो गई थी । इस बारे में कुछ नहीं किया जा सकता था ।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर : महत्वपूर्ण स्टेशनों पर गाड़ियों में भीड़ भाड़ हो जाने पर क्या सरकार का विचार विशेषरूप से और डिब्बे लगाने का है जिस से यात्रियों को कष्ट न हो ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह सब कार्यवाहियों के लिये सुझाव हैं ।

अनेक माननीय सदस्य खड़े हुए ----

उपाध्यक्ष महोदय : यह एक ऐसा मामला है जिस में हम सभी को दिलचस्पी है। मैं हर एक को प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दे सकता।

श्री बूबराधसामी : क्या सरकार को यह मालूम है कि ग्रांड ट्रंक एक्सप्रेस में एक ही डिब्बे में दोनों ही प्रकार के यात्रियों को बैठने दिया जाता है--एक तो वे जिन्हों ने अपना स्थान पहले ही से सुरक्षित करवा लिया है तथा दूसरे वे जिन्होंने सुरक्षित नहीं करवाया हैं--और यदि हां, तो स्थान सुरक्षित करवाने का क्या मतलब है ?

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जायेगा।

श्री बूबराधसामी : यह एक महत्व-पूर्ण प्रश्न है, श्रीमान्।

उपाध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न लीजिये।

डाक तथा तार विभाग का यंत्रीकरण

*४१३. **श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा :** (क) क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि वे दो विशेषज्ञ कौन हैं जिनकी सेवाएं डाक तथा तार विभाग का यंत्रीकरण करने के लिये कोलम्बो योजना के अधीन प्राप्त की गई हैं ?

(ख) उनकी टैक्निकल योजना क्या है और उन्हें कितना पूर्व अनुभव है ?

(ग) उन विशेषज्ञों की सलाह से यंत्रीकरण में कहां तक प्रगति हुई है ?

संचरण मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) दोनों विशेषज्ञ ब्रिटिश डाक-घर के अफसर हैं। श्री पीटर ऐलिस क्राशा स्मिथ, असिस्टेंट स्टाफ़ इन्जीनियर तथा श्री फ्रैंक व्याट गुनियर, एम० बी० ई० प्रथम श्रेणी के असिस्टेंट पोस्टल कंट्रोलर हैं।

(ख) श्री गुनियर डाक परिवहन के काम के विशेषज्ञ हैं। वह डाक के आने जाने का अध्ययन कर रहे हैं और यह देख रहे हैं कि क्या किसी विशिष्ट मामले में यंत्रीकरण उचित रहेगा। श्री स्मिथ यांत्रिक साधनों के इन्जीनियरी के कामों के विशेषज्ञ हैं और उनके नक़शे बनाने में भी निपुण हैं। दोनों ही ब्रिटिश डाकघर में यांत्रिक डाक पद्धति में निपुण तथा उस के प्रभारी हैं।

(ग) उन्होंने यातायात की प्रवृत्तियों का, अधिक भार के घण्टों का, और इमारतों आदि के निर्माण का प्रबन्ध करने का अध्ययन देहली, नई देहली, कानपुर, लखनऊ, और कलकत्ता में किया है और अपनी सिफारिशें भी प्रस्तुत की हैं। इन सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है। इसी प्रकार वे मद्रास, बंगलौर, अहमदाबाद और बम्बई की परिस्थितियों का अध्ययन करने के पश्चात, इन नगरों के सम्बन्ध में भी अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेंगे।

श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा : क्या मैं यह जान सकता हूं कि भारत सरकार इन दो विशेषज्ञों पर कितनी रकम खर्च कर रही है ?

श्री जगजीवन राम : हमारे पास पंच-वर्षीय योजना में ३० लाख रुपये का उपबन्ध है।

श्री राघवैय्या : क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या डाक तथा तार सेवाओं के यंत्रीकरण के परिणाम स्वरूप कोई छंटनी होगी, और यदि ऐसा है, तो लगभग कितने लोग निकाले जायेंगे ?

श्री जगजीवन राम : यदि ये मशीनी साधन प्रयुक्त भी किये गये, तो ये बड़े डाकघरों में प्रयुक्त किये जायेंगे, जहां कि बहुत अधिक

यातायात होता है। इससे श्रम में कुछ मात्रा में कमी हो सकती है, परन्तु इस कारण से हम बहुत अधिक छंटनी की अपेक्षा नहीं करते।

श्री नानादास: क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार चल सकती है....

उपाध्यक्ष महोदय: यदि सदस्य महोदय अपने प्रश्न को बनाने में कुछ समय लगायेंगे तो मैं अगला प्रश्न लूंगा। सदस्यों को अपने प्रश्न तय्यार रखने चाहिये, और प्रश्नों को बनाने का प्रयत्न करते हुए बोलते नहीं जाना चाहिये।

श्री नानादास: क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार इन मशीनों के बिना भी काम चला सकती है?

श्री जगजीवन राम: निस्सन्देह, हम चला रहे हैं। परन्तु मशीनों के लगाने से कार्य कौशल और काम की गति बढ़ जायगी।

ऊरीगांव सोने की खान घो खोदने को कम्पनी (बन्द होना)

*४१६. **श्री विट्ठल राव:** क्या श्रम मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने ऊरीगांव सोने की खान को खोदने की कम्पनी को कोलर ज़िले में ३१ मई १९५३ के पश्चात् अपनी खान बन्द करने की अनुमति दे दी है?

(ख) यदि ऐसा है, तो इसका क्या कारण है?

(ग) क्या सरकार ने इससे आगे इस कम्पनी के पट्टे को चैम्पियन रीफ गोल्ड माइन्ज़ (इन्डिया) लिमिटेड के पक्ष में बदलने की अनुमति दे दी है?

(घ) ऊरीगांव सोने की खान को खोदने की कम्पनी के वित्त क्या हैं जिसमें कम्पनी के रक्षित धन, अवमोल तथा दूसरे धन और सम्पत्ति भी सम्मिलित हैं?

(ङ) क्या सरकार ने यह भी निर्णय कर दिया है कि पट्टों के साथ ही इस खान में काम करने वाले कर्मकरों की सेवायें भी चैम्पियन रीफ गोल्ड माइन्ज कम्पनी को बदल दी जायेंगी?

(च) क्या सरकार ने ऐसा निश्चय कर लिया है कि जबतक कम्पनी के कर्मचारियों को कम्पनी के वित्तों और रक्षित धन का अपना उचित भाग नहीं दिया जाता, तबतक ऊरीगांव सोने की खान खोदने की कम्पनी के वित्तों और रक्षित धन को संभाल कर रखा जायगा?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि): (क) तथा (ख) सरकार ने खान को बंद करने की पड़ताल करने के लिये एक समिति नियुक्त की थी और उस समिति के दृष्टिकोण को स्वीकार किया था, अर्थात् उत्पादन में चिन्ताजनक और अपरिहार्य कमी हो जाने के कारण तथा सोने के मूल्य के लगातार गिरते जाने तथा कच्ची धातु के समाप्त हो जाने के कारण खान को लाभ के साथ चलाते जाना अधिक देर तक संभव नहीं था।

(ग) जी हां। समिति के सिफारिश पर मैसूर सरकार ने पट्टे को बदलने की अनुमति दे दी है, ताकि खान की बची हुई कच्ची धातु का दुरुपयोग न किया जा सके।

(घ) इसकी जानकारी मैसूर सरकार से मांगी गई है, और यथा समय सदन पटल पर रखी जायगी।

(ङ) समिति ने विचार किया है कि ऊरीगांव कम्पनी के ३४०० कर्मचारियों में से केवल ९८२ व्यक्तियों को ही लगातार काम दिया जा सकेगा।

(च) समिति ने इस मामले में कोई सिफारिश नहीं की। फिर भी इसने जिन

लोगों को पुनः काम नहीं मिल सकेगा, उनको बसाने, तथा उन को मुआवजा देने के सम्बन्ध में विस्तार पूर्वक सिपारिशें की हैं। मुआवजे के स्तर का सुझाव देते हुए समिति ने कम्पनी की वित्तीय क्षमता का पूर्ण ध्यान रखा है। सरकार ने समिति की सिपारिशों को मान लिया है। ऐसा ज्ञात हुआ है कि कम्पनी अपने निकाले गये कर्मकरों का पैसा इस महीने के अन्त तक कर देगी।

श्री विट्ठल राव: क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या सरकार को इस बात का पता है कि साधारणतया ये सोने की खानों की कम्पनियां प्रति वर्ष दस से पन्द्रह प्रति शत लाभांश घोषित करती हैं ?

श्री वी० वी० गिरि: मैं माननीय सदस्य से यह जानकारी प्राप्त कर रहा हूं।

श्री पुन्नूस : क्या यह सच है कि खान के अन्तिम रूप में बन्द होने से पहले सरकार ने इन बातों पर विचार नहीं किया कि कितना लाभांश दिया जा चुका है, और इसी प्रकार की और बातों पर भी विचार नहीं किया ?

श्री वी० वी० गिरि: समिति ने इन सब मामलों पर विचार किया है।

थाइलैंड से चावल

*४१७. **सरदार ए० एस० सहगल :** (क) क्या स्वास्थ्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि संयुक्त राष्ट्र-अन्तर्राष्ट्रीय शिशुओं की आकस्मिक निधि के अधीन शरणार्थी माताओं और बच्चों को पालने के लिये थाइलैंड से कितने टन चावल प्राप्त किया गया और उसकी क्या लागत थी ?

(ख) स्यामी चावल देश के किस भाग में भेजा गया था ?

(ग) प्रति दिन आठ औंस राशन के हिसाब से यह चावल कितने दिन चला ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) १९५१-५२ में पुनर्वास मंत्रालय द्वारा ९५३ टन थाइलैंड का चावल, जिसकी लागत १४४,३६० डालर थी, शर्णार्थी माताओं और बच्चों को बांटा गया। यह चावल संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय शिशुओं की आकस्मिक निधि से दान के रूप में प्राप्त हुआ था।

(ख) संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय शिशुओं की आकस्मिक निधि के चावल की मात्रा जो अब तक प्राप्त की जा चुकी है, इस प्रकार है:

पुनर्वास मंत्रालय	९५३ टन
पश्चिमी बंगाल	१,२८० टन
मद्रास	२,६९२ टन
ट्रावनकोर-कोचीन	४०८ टन
बम्बई	१,००० टन

जोड़	६,३३३ टन

(ग) औसत के हिसाब से प्रति माता या बच्चे को प्रति दिन आठ औंस चावल पका कर दिया जाता है। इस प्रकार बांटने के कार्यक्रम की अवधि चावल बांटने की योजना से लाभ उठाने वाले व्यक्तियों की संख्या पर निर्भर है।

सरदार ए० एस० सहगल: क्या किसी दूसरे देशों से भी यूनाटेड नेशन्स इन्टर्नेशनल चिल्ड्रेन्स एमर्जेंसी फंड के लिये चावल रिफ्यूजी माताओं और बच्चों को देने के लिये भेजा गया है ?

श्रीमती चन्द्रशेखर: जी, नहीं।

श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा: क्या उस चावल का गुण प्रकार भारत के मध्यम-गुण प्रकार वाले चावल से घटिया है अथवा बढ़िया है ?

श्रीमती चन्द्रशेखर: मुझे इसका पता नहीं।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : माननीय मंत्री ने बतलाया कि यह पका कर दिया जाता था। क्या मैं यह जान सकती हूं कि पश्चिमी बंगाल में यह चावल किस तंत्र के द्वारा बांटा गया था ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : यह राज्य सरकारों को भेजा जाता है और विभिन्न संगठनों को बांट दिया जाता है, और वे इसे पका कर माताओं और बच्चों को बांट देते हैं।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर : क्या सरकार ने इस बात की पड़ताल की है कि वास्तव में ही यह चावल बच्चों वाली माताओं को दिया गया है, अथवा किसी दूसरे प्रयोजन में प्रयुक्त किया गया है ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : इसमें शंका करने का कोई कारण नहीं है।

ऋतु विवरणिकाएं

*४१९. **श्री एस० सो० सामन्त :** (क) क्या **संचरण** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि मुख्य अन्तरिक्ष विज्ञानिक कार्यालयों द्वारा कितने समुद्र-तटीय रेडियो स्टेशनों से जहाजों के लिये ऋतु विवरणिकाएं दी गई हैं ?

(ख) नौ जहाजों के मार्ग दर्शन के लिये पूना के ऋतु केन्द्र ने क्या विशेष कार्य किये हैं ?

(ग) रिपोर्ट देने के लिये तैरती हुई अन्तरिक्ष विज्ञानिक अनुसंधान शालाओं की योजना कब प्रारम्भ की गई थी ?

(घ) यह अब कैसे कार्य कर रही है ?

संचरण मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) तीन जिनके नाम हैं बम्बई, कलकत्ता और मद्रास ।

(ख) पूना का ऋतु केन्द्र नौ जहाजों के उपयोग के लिये प्रति दिन दो बार भारत पोत-संकेत संदेश देता है। इसके अतिरिक्त ऐसे जहाजों के आयोग के लिये भारत ऋतु विवरणिकाएं और सतह तथा ऊपर की वायु के विश्लेषण भी दिये जाते हैं।

(ग) १९४८ में।

(घ) सामुद्रिक क्षेत्र से विश्वस्त अन्तरिक्ष विज्ञानिक पर्यवेक्षण देने के लिये योजना लाभदायक सिद्ध हुई है। अभी विभिन्न प्रकार के ९२ जहाज ऋतु-पर्यवेक्षण की रिपोर्ट दे रहे हैं।

श्री एस० सो० सामन्त : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार भारत में अधिक तटीय रेडिओ स्टेशन स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ?

श्री जगजीवन राम : हम दूसरे केन्द्रों से इन संदेशों को प्रसारित कर रहे हैं, और वे पुनः प्रसारित करते हैं।

श्री एस० सो० सामन्त : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या १९४७ से तैरती हुई अन्तरिक्ष विज्ञानिक अनुसंधान शालाओं की संख्या बढ़ गई है ?

श्री जगजीवन राम : हम इस प्रयोजन के लिये अधिक जहाजों के सहयोग को प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री वेलायुधन : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या ऐसी कोई शिकायतें भी आई थीं कि साधारण तथा पूर्वोद्घोषणा गलत दिशा से दी जाती थीं ?

श्री जगजीवन राम : ऐसा जान पड़ता है कि माननीय सदस्य ने प्रश्न को नहीं समझा है। यहां पूर्वोद्घोषणा का कोई प्रश्न ही नहीं है।

श्री वेलायुधन : क्या यह ऋतु की पूर्वोद्घोषणा नहीं ?

श्री जगजीवन राम : यह ऋतु की पूर्वोद्घोषणा नहीं है। हम समुद्र की परिस्थितियों के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करते हैं और उसे जहाजों के पास पहुंचा देते हैं। किसी

प्रकार की भी पूर्वोद्घोषणा नहीं होती। केवल समुद्र की स्थिति की जानकारी रखी जाती है।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं जान सकता हूं कि १९५३ में चक्रवात के बारे में जहाजों को कितनी चेतावनियां दी गई थीं ?

श्री जगजीवन राम : मुझे इसके लिये सूचना की आवश्यकता है।

वनस्पति

*४२१. **पंडित एम० बी० भार्गव :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) कि शुद्ध घी के साथ जमाये हुए वनस्पति तेल को मिलाने की प्रक्रिया को रोकने के लिये भारत सरकार ने यदि कोई कार्यवाई की है, तो वह क्या है ;

(ख) और उसका क्या प्रभाव पड़ा ; तथा

(ग) क्या भारत सरकार ऐसे किसी रंग का पता लगा सकी है, जो खाये जाने में हानिकारक न हो, और जमाये हुये बनस्पति तेल को रंग दे सके, जिससे कि इसका शुद्ध घी के साथ मिलाया जाना बंद किया जा सके ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) भारत सरकार ने शुद्ध घी के साथ जमाये गये वनस्पति तेल के मिलाप को रोकने के लिये निम्न कार्यवाही की है :—

१. वनस्पति में कम से कम ५ प्रतिशत मात्रा में तिलों का तेल मिलाया जाय। वनस्पति में तिलों का तेल मिलाने से शुद्ध घी के साथ मिले हुए वनस्पति घी को साधारण रसायनिक परीक्षण के द्वारा पहचानना संभव है।

२. कारखाने द्वारा पैदा किये गए वनस्पति के प्रत्येक डिब्बे को फैक्टरी का रसायनिज्ञ यह प्रमाणित करे कि वह घी आवश्यक तिली तेल कसौटी पर पूरा उतरता है। कारखाने भी निरीक्षण और परीक्षण की दृष्टि से उत्पादित वनस्पति घी के प्रत्येक डिब्बे की तिली-तेल-कसौटी का हिसाब रखें।

३. शुद्ध घी के रंग अथवा सुगन्धि के समान किसी प्रकार का रंग अथवा सुगन्ध वनस्पति में न मिलाये जायें।

४. राज्य सरकारों को कहा गया है कि वे स्थानीय संस्थाओं को आदेश दें कि वे शुद्ध घी के साथ वनस्पति के मेल को पहचानने के लिये इस रसायनिक कसौटी का विस्तृत प्रयोग करें।

५ जहां शुद्ध घी बेचा जाता हो अथवा इकट्ठी किया जाता हो, उसी प्रांगण में वनस्पति का बेचना अथवा इकट्ठा करना एक अपराध है।

(ख) शुद्ध घी के साथ वनस्पति घी के मिलाने का प्रयोग कम हो जायगा।

(ग) अभी तक नहीं। उपयुक्त रंग के लिये अनुसन्धान चल रहा है।

सेठ गोविन्द दास : क्या माननीय मंत्री जी को यह बात मालूम है कि इस सम्बन्ध में जो कार्य अब तक हुआ है उससे शुद्ध घी में वनस्पति का मिलाया जाना रुक नहीं रहा है और इसका क्या कारण है कि अब तक रंग की खोज नहीं हो सकी, जब कि वैज्ञानिकों ने ऐटम बाम्ब के सदृश्य बाम्ब भी अब तक निकाल लिये हैं ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : शायद यह वैज्ञानिकों की कमजोरी है कि वे इस विषय में हमें कोई अच्छी सलाह नहीं दे सके हैं। यह तो मालूम है कि एडल्टरेशन बहुत कम हो रहा है। रुक जाने की भी संभावना है। मैं समझता हूं ऐसा हो जायगा।

सेठ गोविन्द दास : यह कब तक आशा की जा सकती है कि रंग की खोज हो सकेगी और यह खोज कितने दिनों से चल रही है ?

डा० पी० एस० देशमुख: माननीय मेम्बर साहब ने खुद बतलाया कि एक तरफ़ तो ऐटम बम बन रहा है मगर यह खोज नहीं हो रही है। मैं नहीं कह सकता कि यह खोज कब तक हो सकेगी।

श्री दाभी: क्या सरकार यह दर्शाने के लिये कि मिलावट में कमी हो गई है, कुछ तथ्य तथा आंकड़े देगी और क्या मैं यह भी जान सकता हूं कि . . .

उपाध्यक्ष महोदय: एक ही प्रश्न में कितने प्रश्न हो गये ?

एक समय में केवल एक ही प्रश्न पूछिये।

डा० पी० एस० देशमुख: मेरे पास यहां तथ्य तथा आंकड़े नहीं हैं परन्तु मुझे विश्वास है कि हमने जो कार्यवाई की है, वह महत्वपूर्ण और इतनी प्रभाव शाली है कि उसके कारण कमी हो गई है।

श्री एस० सी० सामन्त: क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह तथ्य है कि देहरादून गवेषणा संस्था ने वनस्पतियों आदि से क्लोरोफाइल तय्यार किया है, जिसे वनस्पति घी को रंग देने के लिये प्रयोग में लाया जा सकता है ? क्या मैं यह भी जान सकता हूं कि क्या सरकार ने इसका प्रयोग किया है, क्योंकि इसे तैयार हुए बहुत देर हो चुकी है ?

डा० पी० एस० देशमुख: जी, हां, हमने इसका प्रयोग किया है, परन्तु यह उपयुक्त नहीं जंचा।

श्री मुनिस्वामी: क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इस काम को हमारी सरकार की किसी गवेषणा संस्था ने उठाया है, और यदि ऐसा है, तो इसका क्या परिणाम निकला है ?

डा० पी० एस० देशमुख: अभी जिस संस्था का वर्णन हुआ, उसी ने इस कार्य को अपनाया। और भी कई स्थानों पर इस कार्य को किया जा रहा है।

श्री सारंगधर दास: क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि माननीय मंत्री के पास तथ्य और आंकड़ों के न होने पर भी वे कैसे विश्वास करते हैं कि मिलावट कम हो रही है ?

डा० पी० एस० देशमुख: मैंने पहले ही यह बतलाया है कि हमने यह आवश्यक कर दिया है कि वनस्पति में तिली के तेल की कुछ मात्रा अवश्य ही मिलाई जानी चाहिये। और अब इस के कारण मिलावट को पहचानना सरल हो गया है। राज्य सरकारों को भी मिलावट को पकड़ने की दृष्टि से इस कसौटी को अपनाने के लिये सूचित किया गया है। मैं समझता हूं कि यह पर्याप्त निवारक है, जिससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि मिलावट में कमी हो गई है।

श्री दाभी: क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या यह तथ्य नहीं है कि एक बार माननीय मंत्री ने मेरे प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा था कि बहुत अधिक मिलावट की जा रही है ?

डा० पी० एस० देशमुख: श्रीमान् जी, तब की अपेक्षा अब स्थिति बदली हुई है ?

सेठ गोविन्द दास: एक सवाल मैं और पूछना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: नहीं, नहीं। अगला प्रश्न।

चिकित्सा व्ययों का प्रतिशोधन

***४२२. पंडित एम० बी० भार्गव:** क्या रेल मंत्री ६ मई, १९५३ को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या १८९५ के भाग (ग) के उत्तर का निर्देश करेंगे और यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकारी नागरिक अस्पताल, अजमेर के महिला विभाग को अजमेर में परिचय रेलवे में काम करने वाले रेल कर्मचारियों के परिवारों के चिकित्सा-व्ययों के प्रतिशोधन के प्रयोजन

से मान्यता प्रदान करने के लिए क्या निर्णय किया गया है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : चूंकि यह अस्पताल महिलाओं के लिए एक सरकारी अस्पताल न होकर एक साधारण अस्पताल है, इस लिए यह निर्णय किया गया है कि अजमेर में पश्चिमी रेलवे कर्मचारियों द्वारा अपने परिवारों के सदस्यों की चिकित्सा पर किए गए व्ययों के प्रतिशोधन के प्रयोजन से विक्टोरिया सरकारी नागरिक अस्पताल, अजमेर के महिला विभाग को मान्यता प्रदान न की जाए ।

पंडित एम० बी० भार्गव: मैं जान सकता हूं कि अजमेर स्थित रेल कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों की चिकित्सा के लिए क्या क्या वैकल्पिक प्रबंध किए गए हैं ?

श्री अलगेशन: हां, श्रीमान् । अजमेर में ५८ शय्याओं वाला एक रेलवे-अस्पताल है । साथ ही अजमेर में एक सरकारी महिला अस्पताल भी उपलब्ध है ।

रूस में हस्पताल

*४२३. **श्री पी० सी० बोस:** (क) क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या उन्होंने रूस के औद्योगिक क्षेत्र के किसी अस्पताल का पर्यवलोकन किया था ?

(ख) यदि हां, तो रूस के इन अस्पतालों की विशिष्ट रुपयोजना क्या है ?

(ग) किन विशेष रोगों के लिए वे उक्त अस्पतालों में जाते हैं ?

(घ) क्या रूस के अस्पताल भारत जितने ही भरे रहते हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर): (क) हां ।

(ख) रूस में अस्पताल प्रायः उसी रूप में चलाए जाते हैं, जैसे अन्य यूरोपीय देशों में । इस प्रकार प्रत्येक अस्पताल में चिकित्सा और शल्प-चिकित्सा के विभाग, एक्सरे और प्रयोगशाला सेवाएं और आंख, कान, नाक, गला, त्वचा, दांत जैसे विशेष विभाग और विशेषतः शरीर चिकित्सा की पूरी-पूरी सुविधाएं होती हैं । अस्पतालों में रोगियों के निवास की व्यवस्था स्थानीय-आवश्यकताओं के अनुसार कम-अधिक होती है ।

(ग) रूस वासियों का ही कोई विशिष्ट रोग नहीं है ।

(घ) मेरे द्वारा देखे गए अस्पताल खूब भरे हुए थे । पर मैंने यह कभी नहीं देखा कि अनेकों व्यक्ति परीक्षण के लिए प्रतीक्षा कर रहे हों, जैसा कि भारत के सभी अस्पतालों में दिखाई देता है ।

श्री पी० सी० बोस: अस्पतालों का आकार कैसा है——अर्थात् शय्याओं की संख्या ?

उपाध्यक्ष महोदय: इसमें स्थान विशेष तथा आवश्यकताओं की दृष्टि से अंतर होता है ।

श्री एन० एम० लिंगम: मैं जान सकता हूं कि क्या माननीय मंत्री ने रूस में कोई मानसिक-अस्पताल भी देखा था ? यदि हां, तो वहां कैसे रोगों की चिकित्सा होती है ।

उपाध्यक्ष महोदय: रोग का स्वरूप है । उन्माद ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती: माननीय मंत्री ने अस्पतालों की विशिष्ट रूपयोजना का उल्लेख किया था । क्या मंत्री जी को विदित है कि वहां अस्पतालों में एक रोगरोधक विभाग होता है, जो रूसी अस्पतालों की एक सुस्पष्ट विशेषता है ?

राजकुमारी अमृत कौर: रोगरोधक चिकित्सा शारीर-चिकित्सा में आ जाती है । मैं चाहूंगी कि माननीय सदस्य ध्यान रखें कि रोगरोध अस्पतालों के भीतर

उतना नहीं होता जितना अस्पतालों के बाहर ।

श्री मुनिस्वामी: मैं जान सकता हूं कि क्या उपमंत्री का भी रूस जाने का कुछ विचार है ?

उपाध्यक्ष महोदय: यह इस प्रश्न से नहीं उठता ।

श्री वेलायुधन: मैं जान सकता हूं कि माननीय मंत्री का भारत के अस्पतालों में भीड़ रोकने के लिए क्या प्रस्ताव हैं ?

राजकुमारी अमृत कौर: कालांतर में अधिकाधिक अस्पतालों का उपबंध करना ही होगा ।

सरदार ए० एस० सहगल: माननीय मंत्री ने रूस का अभी जो दौरा किया है, उससे जो अनुभव उन्होंने प्राप्त किया है, क्या उसे माननीय सदस्यों के सामने रखने की कृपा करेंगी ?

उपाध्यक्ष महोदय: २२ वीं तारीख के लिए एक बैठक निश्चित की गई है ।

श्री ए० एस० गुरुपादस्वामी: मैं जान सकता हूं कि क्या माननीय मंत्री को रूस में भारत की भांति निजी चिकित्सक भी दिखाई पड़े थे ?

राजकुमारी अमृत कौर: निजी चिकित्सा चलाने पर कोई रोक नहीं है । पर सब प्रकार की चिकित्सा बहुरोग-चिकित्सालयों और अस्पतालों में उपलब्ध होने की दृष्टि में निजी चिकित्सा वस्तुत: समाप्त हो रही है ।

श्री वीरस्वामी: मैं जान सकता हूं कि माननीय मंत्री रूस के चिकित्सा प्रबंधों के आधार पर भारतीय अस्पतालों में कुछ सुधार करना चाहती हैं ?

राजकुमारी अमृत कौर: माननीय सदस्य याद रखें कि मेरे अधीन कोई अस्पताल नहीं है । व्यवहारत: वे सब .....

श्री नानादास: मैं जान सकता हूं कि क्या माननीय मंत्री रूस में अपने अनुभवों के संबंध में एक पुस्तिका प्रकाशित करना चाहती हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय: यह कार्य के लिए सुझाव है । माननीय सदस्य जाकर मंत्री से कह सकते हैं ।

झरिया कोयला क्षेत्रों में पानी की व्यवस्था

*४२६. **श्री पी० सी० बोस:** क्या श्रम मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि झरिया कोयला-क्षेत्रों में जन संख्या की वृद्धि के कारण पानी के संभरण की व्यवस्था अपर्याप्त सिद्ध हो गई है ;

(ख) झरिया कोयला क्षेत्रों में पानी के संभरण को बढ़ाने के लिए सरकार क्या प्रबंध कर रही है ; तथा

(ग) नए प्रबंध पूरे होने में कितना समय लगेगा ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि): (क) हां । सरकार को विदित है कि झरिया कोयला क्षेत्र में पानी के संभरण की व्यवस्था अपर्याप्त है ।

(ख) कोयला क्षेत्रों में पानी के पर्याप्त संभरण का उत्तरदायित्व मूलत: राज्य सरकार के ऊपर है । बिहार सरकार ने झरिया जल बोर्ड द्वारा तैयार की गई लगभग ७५ लाख रुपए की लागत वाली दामोदर नदी से पानी लेने की एक योजना मंजूर की है । बिहार सरकार को इस योजना की पूर्ति में सहायता देने के लिए केन्द्रीय सरकार ने कोयला खान श्रम कल्याण निधि में से १५ लाख रुपयों का एक सहाय-

अनुदान और ३० लाख रुपयों का एक ऋण स्वीकृत किया है ।

(ग) बिहार सरकार लगभग ३-४ वर्षों में इस योजना को पूरा करने की आशा करती है ।

विशाखपटनम् में सूखा घाट

*४२८. **श्री के० सी० सोधिया :** (क) क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि विशाखापटनम् में एक ड्राईजक बनाने की कुल लागत क्या है, जैसा कि राष्ट्रीय पत्तन बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है ?

(ख) क्या सरकार ने वह योजना मंजूर कर ली है ?

(ग) यदि हां, तो १९५३–५४ वर्ष में इसके कार्यान्वित के लिए कितना आय-व्ययक-उपबंध किया गया है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) विशाखापटनम् में ड्राई जक बनाने के लिए सविवरण प्राक्कलन अभी तैयार नहीं किया गया है, पर आशा है कि नए सूखे घाट की लागत १ करोड़ रुपए से अधिक न होगी ।

(ख) नहीं ।

(ग) तथा (घ) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री के० सी० सोधिया : इस घाट के बनने से क्या क्या अतिरिक्त लाभ होंगे ?

श्री अलगेशन : अभी पोतों को ड्राई जक संबंधी सुविधाओं के लिए कलकत्ता जाना पड़ा है । इस सूखे घाट से बहुत सी सुविधाएं प्राप्त हो जाएंगी ।

श्री नानादास : मैं इस योजना के स्वीकृत न किए जाने का कारण जान सकता हूं ?

श्री अलगेशन : श्रीमान् । यह नई योजना नहीं है ।

बम्बई के घाटों पर खाद्य के स्टाक

*४३०. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) मई, जून तथा जुलाई, १९५३ के महीनों में बंबई के घाटों पर उतारे गए खाद्यान्नों की मात्रा ;

(ख) क्या यह सच है कि घाटों में खाद्यान्नों के बड़े-बड़े ढेर लग गए हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि ढेर लगने का कारण यह है कि विविध राज्य सरकारों ने अपना अभ्यंश नहीं उठाया है ; तथा

(घ) यदि सच है तो उसके कारण ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : (क) मई, जून तथा जुलाई १९५३ के महीनों में बंबई के घाटों पर उतारे गए खाद्यान्नों की मात्रा क्रमशः १,०७,२५५ ; ७०,४१५ और १,०४,५७८ टन थी ।

(ख) मई से जुलाई, १९५३ तक के काल में घाटों पर कोई भारी ढेर नहीं हो गया था ।

(ग) प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर की दृष्टि में प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : मैं जान सकती हूं कि क्या कुछ राज्य-सरकारों ने अनाज का प्रकार अच्छा न होने के कारण अपना अभ्यंश उठाना अस्वीकृत कर दिया है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : यह सच नहीं है ।

श्रीमती जयश्री : मैं जान सकती हूं कि भारी वर्षा के कारण कुछ अनाज बरबाद भी हुआ था ।

श्री एम० वी० कृष्णप्पा: वर्षा के कारण नाममात्र की बरबादी घाटों पर अवश्य होगी। इस वर्ष वर्षा से विशेष बरबादी इस कारण नहीं हुई कि हमने उचित कार्यवाही करके अनाज को समय रहते ही उठा लिया ?

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा: मैं जान सकती हूं कि क्या बिहार सरकार ने अपना अभ्यंश उठाना अस्वीकृत कर दिया है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा: बंबई घाटों का बिहार सरकार से कोई प्रयोजन नहीं है।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा: नहीं, श्रीमान्। वर्षा आई और अनुमति होने पर भी बिहार सरकार ने अपना अभ्यंश उठाने से इन्कार कर दिया। मैं जानना चाहती हूं कि क्या बिहार सरकार ने इन्कार की है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा: केवल बंबई, मैसूर, और हैदराबाद सरकारों का नियतन बंबई के घाटों पर से होकर होता हैं और बिहार सरकार अपना नियतन कलकत्ते के घाटों से प्राप्त करती है, अतः बिहार सरकार के स्वीकार अस्वीकार का प्रश्न नहीं उठता।

श्री के० के० बसु: उपलब्ध कुल खाद्यान्नों में बरबादी का प्रतिशतक कितना है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई): यह स्वीकार नहीं किया गया कि कुछ असाधारण बरबादी हुई है।

श्री के० के० बसु: इस विशिष्ट मामले में बरबादी का प्रतिशतक कितना है ?

श्री किदवई: इस विशिष्ट सौदे में कोई बरबादी नहीं हुई।

मौसम संबंधी विज्ञप्तियां

*४३४. **श्री बर्मन:** (क) क्या संचरण मंत्री जून, १९५३ को समाप्त होने वाली छमाही में किसानों के लिए प्रसारित मौसम संबंधी विज्ञप्तियों की संख्या बतलाने की कृपा करेंगे ?

(ख) क्या कुछ मामलों में जांच वाले विवरणों ने प्रसारित वृत्तांतों का खंडन किया था और यदि हां, तो कितने ?

संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम): (क) ९०५।

(ख) हाल में नमूने के रूप में १४० विज्ञप्तियों की जांच की गई थी, जिनमें ६० प्रतिशत ठीक निकलीं, ३३ प्रतिशत अंशतः ठीक और शेष ७ प्रतिशत गलत।

श्री बर्मन: क्या ये विज्ञप्तियां दिल्ली वेधशाला से पूरे भारत के लिए प्रसारित की जाती हैं, या प्रादेशिक केन्द्र पथक्-पथक् प्रदेशों के लिए उत्तरदायी हैं ?

श्री जगजीवन राम: प्रादेशिक कार्यालय भी हैं। वे अपने प्रेक्षण केन्द्रीय कार्यालय में भेज देते हैं, केन्द्रीय कार्यालय से उनको अ० भा० रेडियो को भेज दिया जाता है और वे बहुत से केन्द्रों से प्रसारित किए जाते हैं।

श्री बर्मन: वे प्रादेशिक केन्द्र कौन-कौन हैं, जिनके मामलों में गलतियां मिलीं हैं ?

श्री जगजीवन राम: श्रीमान्। यह कहना बहुत कठिन है, मेरे पास वह सूचना अभी यहां नहीं है।

श्री वेलायुधन: मैं जान सकता हूं कि क्या समाचार-पत्रों द्वारा कुछ गम्भीर शिकायत की गई थी कि अधिकांशतः भविष्यवाणियां गलत हो रहीं हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय: वह आंकड़े दे चुके हैं।

श्री जगजीवन राम : श्रीमान् । यह सच नहीं है । जहां एक विशाल क्षेत्र के लिए साधारण प्रकार की भविष्य-वाणियां की जाती हैं तो उनके सत्य सिद्ध न होने की संभावनाएं भी अधिक होती हैं। सब मिलाकर सत्य सिद्ध न होने वाले ऐसे सन्देशों का प्रतिशतक १० ही है ।

श्री टी० के० चौधरी: इस बात की दृष्टि में कि समाचार पत्रों में प्रकाशित भविष्यवाणियां गांव वालों के पास मुश्किल से ही पहुंच पाती हैं, क्या बड़े पैमाने पर रेडियो-सेट बांटने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है जिससे किसान इन प्रसारणों का लाभ समय से प्राप्त कर सकें ?

श्री जगजीवन राम: श्रीमान् । जैसा मैं बता चुका हूं, ये भविष्यवाणियां २२ रेडियो केन्द्रों से १७ विभिन्न भाषाओं में प्रसारित होती हैं । फिर भी मैं जानता हूं कि यह समूचे देहाती-क्षेत्र को नहीं समेटता । यदि कोई किसान इस में रुचि ले, तो प्रति मास १२ रुपए चुकाने पर हम उसे तार द्वारा सीधे-सीधे यह सूचना भेज देते हैं । इन सन्देशों के प्रसारण में हम राज्य सरकारों का भी सहयोग प्राप्त करते हैं ।

कलकत्ते की हड़ताल

*४३५. **श्री रघुनाथ सिंह:** (क) क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि १५ जुलाई, १९५३ को कलकत्ता में जो ट्राम्वे विरोधी प्रदर्शन हुए उनके कारण रेलवे को कितनी हानि हुई ?

(ख) क्या रेलवे के डब्बों में आग लगा दी गई थी ?

(ग) यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है ?

(घ) रेलवे यातायात को ठप करने के लिए क्या हड़तालियों ने कोई प्रयास किया था ?

(ङ) क्या कोई रेलगाड़ी रोकी गई थी ?

(च) हड़ताल के कारण कितनी ट्रेनें रोक ली गईं, अथवा उस दिन बिलम्ब से चलीं ?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज खां): (क) कोई ८२५ रुपये के लगभग ।

(ख) और (ग)। एक गाड़ी के गद्दों में आग लगा दी गई थी जिस से थोड़ी सी हानि हुई ।

(घ) जी नहीं ।

(ङ) जी हां ।

(च) १५५ रद्द की गई तथा १०२ ट्रेनों के चलने में गड़बड़ी हुई ।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न संख्या ४३६ ।

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन): क्या मैं प्रश्न संख्या ४३६ से ४३८ तक का उत्तर एक साथ दे सकता हूं, वह सब एक दूसरे से सम्बद्ध हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय: जी हां ।

रेलवे के माल डब्बों की कमी

*४३६. **श्री देवगम:** क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह तथ्य है कि लोहे की कच्ची धातु के वर्तमान निर्यातकों की रेल के माल डब्बों की जितनी मांग है उससे प्रदाय कम है; तथा

(ख) बरजमदा क्षेत्र से कच्ची धातु के निर्यात के लिए अपेक्षित डब्बों की मांग के मुकाबिले में उनके प्रदाय की प्रतिशतता क्या है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां ।

(ख) १ जुलाई से ५ अगस्त, १९५३ तक की अवधि में माल डब्बों की पंजीबद्ध अपेक्षाओं के मुकाबिले में उनके प्रदाय की प्रतिशतता ५० से ७२ तक रही है ।

के० पी० पोतघाट

*४३७. **श्री देवगम** : क्या **यातायात** मंत्री उस तिथि को बतलाने की कृपा करेंगे जब से कि यह प्रणाली, कि जब तक किसी व्यक्ति के पास कच्ची धातु का स्टाक करने के लिए के० पी० पोतघाट में कोई भूमि खंड नहीं होगा, उसे के० पी० पोतघाट को कच्ची धातु भेजने के लिए यातायात सुविधाएं नहीं दी जायेंगी, लागू की गई थी ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : अप्रैल १९५१ से ।

कच्ची धातु के संग्रह करने के लिये सुविधा

*४३८. **श्री देवगम** : क्या **यातायात** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कलकत्ता पत्तन में कच्ची धातु का संग्रह किये जाने का स्थान प्राप्त करने के इच्छुक वर्तमान अभ्यर्थी खानों के मालिक हैं तथा उक्त खानें उन के पास सन् १९५१ से अथवा उससे पहिले से हैं ;

(ख) क्या कलकत्ता पत्तन के सभी वर्त्तमान कच्ची धातु के डिपो मालिक निर्यातक हैं ;

(ग) यदि नहीं, तो सरकार ने उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की है, जिन्हें ये सुविधाएं प्राप्त हैं परन्तु जो निर्यातक नहीं हैं ; तथा

(घ) उस अधिकारी का नाम जिसे इन सुविधाओं को वापिस लेना है ।

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) कुछ अभ्यर्थी खान-मालिक हैं ।

(ख) इस समय पोतघाट क्षेत्र में अपने संग्रह रखने वाले २७ डिपो मालिकों में से १४ ने अपने आप को खान मालिक घोषित किया है, सात खान मालिक नहीं हैं । और शेष छै ने कोई सूचना नहीं दी है । धातु प्रस्तर के निर्यात या तो डिपो मालिकों अथवा उस के प्रबन्ध अभिकर्त्ताओं के नाम से किये जाते हैं ।

(ग) और (घ) । लौह तथा मैंगनीज़ धातु प्रस्तरों की निर्यात अनुज्ञापन प्रणाली को यातायात सुविधाओं की उपलब्धता तथा अन्य संगत विचारों को ध्यान में रख कर पुनरीक्षित करने की प्रस्थापना है । जब नई प्रणाली लागू हो जायेगी, तो प्रत्येक व्यक्ति को मिले निर्यात अभ्यंश के आफर पर ही माल डब्बों का आवंटन किया जायेगा और पत्तन क्षेत्र में माल इकट्ठा करने के लिए स्थान भी विभिन्न अभ्यर्थियों को उनकी वास्तविक आवश्यकताओं के अनुसार ही दिया जायेगा ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

'ध्वनि वारंवारता आवर्तक' तथा 'पारेषण मापन कुलक' का विकास

*४०२. **डा० रामसुभग सिंह** : (क) क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि भारतीय टैलीफ़ोन उद्योग, बंगलौर में 'ध्वनि वारंवारता आवर्तक' तथा 'पारेषण मापन कुलक' में सुधार किया जा रहा है ?

(ख) यदि ऐसा है, तो क्षेत्र परीक्षण के लिए उनके आद्य रूप कब तक तैयार होंगे ?

संचरण मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां ।

(ख) अ.द्य रूप तैयार हैं और भारतीय टेलीफोन उद्योग, बंगलौर में उनका परीक्षण किया जा रहा है। आगामी तीन महीनों में उनको क्षेत्र परीक्षण के लिए भेजा जायेगा।

माल डब्बों की प्रदाय

*४०३. डा० राम सुभग सिंह: (क) क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या अप्रेल १६५३ से इन वस्तुओं के लिए दिये जाने वाले माल डब्बों की संख्या में कोई सुधार हुआ है :—

(१) सिन्दरी कृषिसार फ़ैक्टरी से कृषिसार ले जाने के लिए ; तथा

(२) देश की विभिन्न चीनी मिलों से चीनी लाने के लिये ;

(ख) यदि ऐसा है, तो गत वर्ष की तत्स्थानी अवधि को देखते हुए माल डब्बों की प्रदाय संख्या में वृद्धि होने की प्रतिशतता क्या रही है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) सिन्दरी फैक्टरी से कृषिसारों के ले जाये जाने के लिए दी गई रेल यातायात सुविधा में अप्रैल १६५३ से काफ़ी अधिक सुधार हुआ है। जहां तक चीनी का सम्बन्ध है नवम्बर १६५२ से फ़रवरी १६५३ तक, जब कि वह अधिकतम सीमा तक पहुंच गया, उस की ढुलाई स्थिति में भी उत्तरोत्तर सुधार हुआ, और मार्च तथा अप्रैल १६५३ में कुछ कमी हो जाने के बाद वह मई और जून १६५३ में फिर उत्तरोत्तर वृद्धि हुई।

(ख) सन् १६५२ की तत्स्थानी अवधि को देखें अप्रैल-जून १६५३ की अवधि में इन दोनों वस्तुओं की ढुलाई के लिए दिये गए माल डब्बों की संख्या में जो वृद्धि हुई वह इस प्रकार है :—

वस्तु	लादे गये माल डब्बों की संख्या अप्रैल—जून १६५२	अप्रैल—जून १६५३	वृद्धि की प्रतिशतता (अनुमानित)
कृषिसार	१२३५	४७१५	२८२ प्रतिशत
चीनी	१५४४७	२५२७३	६३ प्रतिशत

अधिक खाद्य उपजाओ जांच समिति की रिपोर्ट

*४०६. प्रो० डी० सी० शर्मा: क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या अधिक खाद्य उपजाओ जांच समिति की महत्वपूर्ण सिफ़ारिशों को पंजाब में लागू किया गया है ;

(ख) यदि ऐसा है, तो अभी तक छोटी सिंचाई योजनाओं पर कितना धन व्यय किया गया है ; तथा

(ख) नल कूपों को बनाने के लिए कितनी धन-राशि ऋणों के रूप में दी गई है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) जी हां।

(ख) पंजाब में छोटी सिंचाई योजनाओं के लिए अनुदानों तथा ऋणों के रूप में जो धन राशियां स्वीकृत की गई हैं वह इस प्रकार हैं :—

	ऋण (लाख रुपयों में)	अनुदान (लाख रुपयों में)
१६५२—५३	८०.१७	०.१७
१६५३—५४	७६.८२	कुछ नहीं

इन स्वीकृत धन राशियों में से वास्तव में कितना व्यय हुआ है यह अभी कुछ दिनों तक ज्ञात नहीं हो सकेगा ।

(ग) १९५२–५३ ३८.३५ लाख रु०
१९५३–५४ अभी तक कोई भी धनराशि स्वीकृति नहीं की गई है ।

नल-कूप

*४०७. **श्री हेडा :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) अभी तक बनाये गये नल-कूपों की कुल संख्या ;

(ख) उन में से प्रत्येक का स्थान तथा लागत ; तथा

(ग) क्या सरकार ने इस प्रयत्न की सफलता अथवा असफलता के सम्बन्ध में कोई मत निर्धारित किया है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) भारत सरकार के वादे अनुसार चालू की गई नल-कूप निर्माण योजना के अन्तर्गत १५ जुलाई, १९५३ तक ८१५ नल-कूप गलाये जा चुके हैं ।

(ख) ३६२ नल-कूप उत्तर प्रदेश में, प्रत्येक की औसत लागत २०,७०० रुपये ।

२१२ नल-कूप बिहार में, प्रत्येक की औसत लागत २०,००० रुपये ।

२१६ नल कूप पंजाब में, प्रत्येक की औसत लागत २५,१२९ रुपये ।

२५ नल-कूप बम्बई में प्रत्येक की औसत लागत ३३,०७५ रुपये ।

(ग) नल-कूपों के निर्माण का कार्य बड़े पैमाने पर अभी तक उत्तर प्रदेश के गंगा-सिन्ध वाले मैदानी भाग, बिहार और पंजाब में प्रारम्भ किया गया है जहां सिंचाई योग्य धू-निम्न जल के पर्याप्त मात्रा होने की बात ज्ञात है । इस प्रकार इन योजना के असफल हो जाने का प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता है ।

पंजाब में पक्के कुओं का निर्माण

*४०८. **प्रो० डी० सी० शर्मा :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या पंज वर्षीय योजना के अन्तर्गत पंजाब में और विशेष कर उन क्षेत्रों में, जहां नहरों तथा नल-कूपों से प्राप्त होने वाली सिंचाई सुविधायें उपलब्ध नहीं की जा सकती हैं, पक्के कुएं बनाने के लिए राजकीय सहायता दिये जाने की कोई योजना है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : जी नहीं, श्रीमान् । पंजाब योजना केवल ऋणों के आधर पर ही कुएं बनाये जाने की व्यवस्था करती है ।

टेलीग्राफ़ी शताब्दी

*४११. **श्री कृष्णमाचार्य जोशी :** (क) क्या **संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि सरकार सन् १९५३ में टैलीग्राफ़ शताब्दी मनाने की प्रस्थापना कर रही है ?

(ख) यदि ऐसा है तो कार्यक्रम क्या है ?

संचरण मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां ।

(ख) कार्यक्रम में यह बातें सम्मिलित हैं :–

(१) एक अभिनन्दन ग्रन्थ का प्रकाशन जिस में तार-संचरण के सम्बन्ध में भारत में गत सौ वर्षों में हुई प्रगति का आभास दिया जायेगा ।

(२) नई दिल्ली में १ से ३० नवम्बर १९५३ तक एक प्रदर्शनी खोलना और इसके बाद कलकत्ता और बम्बई में भी ऐसी ही प्रदर्शनियों का उदघाटन ।

(३) सुविख्यात तार-संचरण इंजीनियरों का एक सम्मेलन समवेत करना ।

जम्मू में मशीनों से खेती करने का केन्द्रीय फार्म

*४१४. **श्री के० पी० सिन्हा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू के मशीनों से खेती करने के फार्म ने बंजर भूमि के कृष्यकरण से अथवा कृष्यकरण कार्य के साथ साथ कृषि योग्य भूमि में खेती करने से अपना कार्य आरम्भ किया;

(ख) पिछले मौसम में कुल कितनी भूमि में गेहूं बोया गया था;

(ग) वर्ष १९५३ में कुल कितनी भूमि में धान बोया गया है अथवा बोने का विचार है ;

(घ) कृष्यकरण कार्य पर अब तक कुल कितना धन खर्च किया गया है; तथा

(ङ) संस्थापना पर कितना आवर्ती व्यय हुआ ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) जम्मू फार्म में केवल उस कृषि योग्य भूमि में, जिस में लगभग पांच वर्ष पूर्व खेती होती थी और जिस में वहां गड़बड़ी के कारण खेती नहीं की गई, खेती आरम्भ की गई है ।

(ख) १२८० एकड़ ।

(ग) लगभग २,००० एकड़ ।

(घ) तथा (ङ) । १९५२-५३ में फार्म पर निम्नलिखित व्यय हुआ :

मशीनों तथा उपकरणों पर पूंजी व्यय जिस में वह राशि भी सम्मिलित है जिस का समायोजन किया जाना है ....
.... ३,४९,१४५ रुपये

फार्म की आकस्मिकताओं आदि के सम्बन्ध में ....१,८०,३८७ रुपये

संस्थापना का व्यय जिस में कर्मचारियों के वेतन और भत्ते सम्मिलित हैं .....
... ३५,४६४ रुपये

१९५३-५४ (जून के अन्त तक हुआ व्यय) मशीनों तथा उपकरणों पर पूंजी व्यय ..... ५,८८८ रुपये

फार्म की आकस्मिकताओं आदि के सम्बन्ध में ..... ३१,२०६ रुपये

संस्थापना के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते ..... २४,३३६ रुपये

बिहार में चावल के मूल्यों में वृद्धि

*४१५. **श्री के० पी० सिन्हा** : (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि ३० जून, १९५३ तक भारत सरकार ने बिहार राज्य में विशेषकर उत्तरी बिहार में अथवा नेपाल की सीमा पर कुल कितना चावल खरीदा ?

(ख) क्या यह सत्य है कि भारत सरकार ने जो यह खरीद की थी उस का बिहार सरकार ने विरोध किया था ?

(ग) क्या यह सत्य है कि भारत सरकार ने जो खरीद की थी उस के कारण बिहार राज्य में चावल के मूल्य में वृद्धि हो गई ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) कुछ नहीं ।

(ख) तथा (ग). ये उत्पन्न नहीं होते ।

सर्कुलर रेलवे जांच समिति की रिपोर्ट

*४१८. **श्री ए० एन० विद्यालंकार** : (क) रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को कलकत्ता सर्कुलर रेलवे जांच समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है?

(ख) उस समिति की मुख्य सिफारिशें क्या हैं ?

(ग) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किये हैं ?

(घ) क्या सरकार एक पटरी पर रेल चलाने की योजना पर विचार कर रही है ?

(ङ) इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कब कर लिया जायेगा ?

रेल तथा यातायात मंत्री के संसदीय सचिव (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां ।

(ख) इस की मुख्य सिफारिशें ये हैं कि कलकत्ता के उपनगरों की पूरी रेल सर्विस को बिजली से चलाया जाय तथा नई पटरियां बिछा कर उन पर बिजली से चलने वाली सर्कुलर रेल चलाई जायें और इसे पोर्ट कमिश्नर्स सिस्टम की रेलों से सम्बद्ध किया जाये ।

(ग) कलकत्ता उपनगरों में रेलों को बिजली से चलाई जाने वाली योजना के सम्बन्ध में पर्यालोकन करने के लिये अधिकारियों का एक दल नियुक्त किया है और वही दल कलकत्ता सर्कुलर रेलवे जांच समिति द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्तावों की विस्तृत रूप से जांच करेगी ।

(घ) तथा (ङ)। ऐसा कोई प्रस्ताव रेल मंत्रालय के विचाराधीन नहीं है ।

स्वास्थ्य मंत्री की मास्को यात्रा

*४२०. **प्रो० डी० सी० शर्मा** : (क) स्वास्थ्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगी कि जब वह १९५३ के मई मास में मास्को गई थीं तो क्या वह रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय में गई थीं ।

(ख) यदि ऐसा है, तो उन के वहां जाने का उद्देश्य क्या था ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर): (क) जी हां ।

(ख) स्वास्थ्य प्रशासन का अध्ययन करने तथा यह देखने कि रूस में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों तथा फैक्टरी के कर्मचारियों के सम्बन्ध में स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था कैसी है ।

रेलवे कर्मचारियों का डाक्टरी जांच द्वारा योग्य ठहराया जाना

*४२४. **श्री नम्बियार** : क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण रेलवे में, उन सब को जिन्हें कुछ विशेष प्रकार के कार्यों के लिये डाक्टरी जांच के परिणाम स्वरूप अयोग्य ठहराया गया और जो दूसरे प्रकार के कार्यों को कर सकते हैं, दूसरी नौकरियां दी जाती हैं; तथा

(ख) क्या (१) जिस प्रकार से डाक्टरी जांच की जाती है उस के सम्बन्ध में तथा (२) दक्षिण रेलवे में हाल ही में दूसरी नौकरियां दिये जाने के सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) दक्षिण रेलवे प्रशासन द्वारा उन कर्मचारियों को, जो डाक्टरी जांच के परिणामस्वरूप एक श्रेणी के लिये अयोग्य ठहराये जाते हैं किन्तु जो अन्य श्रेणियों के लिये योग्य ठहराये जाते हैं, दूसरी नौकरी देने के लिये सब सम्भव कार्य किये जाते हैं ।

(ख) (१) डाक्टरी जांच के परिणामस्वरूप जो कर्मचारी पहिली बार अयोग्य ठहराये गये हैं उन से अभिवेदन प्राप्त हुए ।

(२) कोई शिकायत नहीं मिली ।

रेलगाड़ियों में चोरियां

*४२५. **श्री बाल्मीकि** : क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, १९५२ से, जून १९५३ तक भारतीय रेलों में जितनी चोरियां तथा डकैतियां हुई उन की संख्या कितनी है ;

(ख) क्या रेलों में होने वाले अपराधों की संख्या कम हो गई है; तथा

(ग) यदि ऐसा नहीं है, तो इस के कारण क्या हैं ?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभा सचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) जनवरी १९५२ से जून १९५३ तक रेलगाड़ियों में जो चोरियां तथा डकैतियां हुई उन की संख्या क्रमशः १९,२२६ तथा १२० है ।

(ख) जी हां, इस में थोड़ी कमी हुई है ।

(ग) यह उत्पन्न नहीं होता ।

अमरावती रेलवे स्टेशन

* ४२७. **श्री के० जी० देशमुख** : (क) क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय रेलवे के अमरावती स्टेशन का पुनर्निर्माण कार्य समाप्त हो गया है ?

(ख) उक्त रेलवे स्टेशन के आय-व्ययक आंकड़े क्या थे ?

(ग) इस पुनर्निर्माण कार्य पर वास्तविक व्यय कितना हुआ ?

रेल तथा यातायात मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) अमरावती स्टेशन पर सुविधायें देने का कार्य समाप्त हो गया है ।

(ख) २,५०,००० रुपये ।

(ग) १५ अप्रैल १९५३ तक २,२०,००० रुपये व्यय हुआ और इस की अनुमानित व्यय से बढ़ने की आशा नहीं है ।

त्रिपुरा की सड़कें (मरम्मत)

*४२९. **श्री बीरेन दत्त** : क्या यातायात मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि त्रिपुरा की कुछ मोटर चलने वाली सड़कें आवागमन के लिये अनुपयुक्त हो गई हैं ;

(ख) क्या अगरतल्ला-उदयपुर तथा अगरतल्ला कठलामारा की सड़कों की मरम्मत की आवश्यकता है; तथा

(ग) यदि ऐसा है तो इस मामले में सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी नहीं ।

(ख) समय समय पर उन की साधारण मरम्मत की आवश्यकता होती है ।

(ग) इन्हें नियमित रूप से किया जाता है । इन सड़कों को पक्का बनाने का विचार है और कुछ भागों के सम्बन्ध में योजनाओं तथा अनुमानित आंकड़ों की जांच हो रही है ।

सेवा योजनालय

*४३१. **श्री झूलन सिन्हा** : क्या श्रम मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि नौकरी के लिये वर्ष १९५२-५३ के अन्त तक पंजीबद्ध तथा जिन्हें अभी तक नौकरी नहीं मिली ऐसे ग्रेजुएट तथा मैट्रिक पास व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : मार्च, १९५३ के अन्त तक सेवा योजनालय के चालू रजिस्टर में १४,१३६ ग्रेजुएट तथा १,०३,८०० मैट्रिक पास व्यक्ति, जिन्हें नौकरी की आवश्यकता थी पंजीबद्ध थे ।

श्रम कल्याण निधियां

*४३२. **श्री झूलन सिन्हा** : (क) श्रम मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों में श्रम कल्याण निधियां खोलने के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की प्रार्थना पर राज्य सरकारों का क्या रुख रहा है ?

(ख) क्या उस ने मालिकों के संगठनों तथा औद्योगिक उपक्रमों को भी ऐसा कार्य स्वेच्छापूर्वक करने के सम्बन्ध में आवश्यक अनुदेश जारी किये हैं ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : राज्य सरकारों से केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों में श्रम कल्याण निधियां खोलने के लिये

नहीं कहा गया है । अक्तूबर १९५२ में उन से अपने क्षेत्राधिकारों के औद्योगिक उपक्रमों को स्वेच्छा पूर्वक ऐसी निधियां खोलने के लिये कहने के सम्बन्ध में प्रार्थना की गई थी । इस सम्बन्ध में उन के जो उत्तर प्राप्त हुए हैं वे उत्साह-वर्द्धक नहीं हैं ।

(ख) केन्द्रीय सरकार ने मालिकों के संगठनों तथा औद्योगिक उपक्रमों को सीधे ही नहीं लिखा किन्तु कुछ राज्य सरकारों ने उन्हें लिखा है ।

चाय के बागों के मजदूर

*४३३. **श्री बेली राम दास** : (क) क्या श्रम मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भारत में हाल ही में चाय के बागों के बन्द कर दिये जाने के कारण अब तक कितने मजदूर बेरोजगार हो गये हैं ?

(ख) उन में से कितनों को, उन चाय के बागों में जिन में फिर से काम होने लगा है, फिर से नौकरी पर लगा लिया गया है ?

(ग) उन में से कितनों को अन्य कामों में नौकरी पर लगा लिया गया है ?

(घ) उन में से कितने इस समय बेरोजगार हैं ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) से (घ) तक । एक विवरण, जिस में आसाम, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा तथा उत्तर प्रदेश के सम्बन्ध में सूचना दी हुई है, सदन पटल पर रखा जाता है । मद्रास, बिहार, मैसूर, त्रावनकोर-कोचीन, हिमाचल प्रदेश तथा कुर्ग में कोई चाय का बाग बन्द नहीं किया गया । पंजाब सरकार ने यह सूचना दी है कि गत वर्षों में जो मजदूर चाय के बागों में काम करते थे वे काम पर लगे हुए हैं । [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ४७]

टेलीग्राफ़ शताब्दी

*४३९. **श्री मुनि स्वामी** : (क) संचरण मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि टेलीग्राफ शताब्दी की स्मृति में जो कि नवम्बर, १९५३ में मनाई जायेंगी, डाक के विशेष टिकटों के छापने पर कुल कितना व्यय किया जायेगा ?

(ख) ये टिकट कब तक बेचे जायेंगे ?

संचरण मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) क्योंकि टिकट अभी छापे जा रहे हैं, इस पर होने वाले व्यय के बारे में मालूम नहीं :

(ख) जब तक ये टिकट डाकखानों में उपलब्ध होंगे ।

अछनेरा स्टेशन के पास रेल दुर्घटना

२१८. **श्री रघुनाथ सिंह** : (क) क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यह सच है कि आगरा-काठगोदाम पैसेन्जर ट्रेन ३१ मई, १९५३ को आगरा से १२ मील दूर अछनेरा स्टेशन के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी जिस के कारण ३ डिब्बे पटरी से उतर गये ?

(ख) यदि हां, तो इस दुर्घटना के क्या कारण थे ?

(ग) दुर्घटना में कितने व्यक्ति घायल हुए ?

(घ) क्या सरकार ने इस की कोई जांच की है ?

(ङ) यदि हां, तो किसने जांच की थी ?

(च) जांच का क्या परिणाम हुआ ?

(छ) सरकार को कितने रुपये का नुकसान हुआ है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जैसा प्रश्न में पूछा गया है, ३१ मई, १९५३ को आगरे से १२ मील, अछनेरा के पास आगरा-काठगोदाम पैसिंजर की कोई दुर्घटना नहीं हुई । किन्तु आगरा स्टेशन यार्ड में ३१ मई, १९५३ को प्रातः ७.२६ बजे ३२० डाउन अहमदाबाद आगरा एक्सप्रेस गाड़ी के तीन डिब्बे चौथा, पांचवा और सातवां पटरी से उतर गये थे ।

(ख), (घ) से (च) जिला रेलवे अधिकारियों की एक समिति द्वारा दुर्घटना की जांच की गई थी। दुर्घटना का कारण अभी पूरी तरह निर्धारित नहीं हो पाया है।

(ग) कोई व्यक्ति हताहत नहीं हुआ।

(छ) रेलवे सम्पत्ति में लगभग २२५ रु० की हानि का अन्दाजा लगाया गया है।

प्रिंस तथा विक्टोरिया डाक

२१९. **डा० अमीन :** (क) क्या **यातायात** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि बम्बई में प्रिंस तथा विक्टोरिया डाकों की आधुनिकीकरण का कार्य प्रारम्भ हो गया है ?

(ख) यदि हां, तो यह कब से प्रारम्भ किया गया है ?

(ग) सरकार का कब तक इसे समाप्त कर देने का विचार है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) अभी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) यह योजना यद्यपि सिद्धान्त स्वरूप स्वीकार कर ली गई है तथापि इसे अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। इसलिये इस के पूरा होने की तिथि का अन्दाज देना इस उपक्रम पर सम्भव नहीं है।

बिजली के क्रेन

३२०. **डा० अमीन :** (क) क्या **यातायात** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि पोर्ट ट्रस्ट, बम्बई द्वारा बेलार्ड पायर तथा अलेग्जेन्ड्रा डाक्स के लिये ३४ बिजली के क्रेनों का आर्डर दिया गया है ?

(ख) यदि हां, तो किस फर्म को यह आर्डर दिया गया है ?

(ग) क्या यह आर्डर देने से पूर्व, इन क्रेनों के लिये कोई टेंडर आमंत्रित किये गये थे ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां।

(ख) मेसर्स जेसप एण्ड को० लिमिटेड, कलकत्ता।

(ग) जी हां।

केयर प्रकार के हल

२२१. **श्री कर्णी सिंह जी :** (क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि मेसर्स कोसल एण्ड कम्पनी लिमिटेड द्वारा निर्मित केयर प्रकार के हलों के प्रयोगों के परिणाम उपलब्ध हैं ?

(क) यदि हां, तो ये परिणाम क्या हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री रफी अहमद किदवई) : (क) जी हां।

(ख) यह हल कोई सर्वथा नई चीज नहीं है। यह पंजाब तथा उत्तरप्रदेश की सिंचाई की जाने वाली उपजाऊ जमीन के लिये उपयुक्त है। यह अच्छे किस्म के पदार्थ का बना हुआ मालूम होता है। और देखने में अच्छा है। बहुत सी बातों में यह इलाहाबाद इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित किये गये हल के समान है। प्राइवेट फर्मों द्वारा निर्मित किसी औजार-विशेष को सरकार प्रोत्साहित अथवा निरुत्साहित नहीं करती। जब भी किसी औजार पर सरकारी इंस्टीट्यूट में परीक्षण किया जाता है तो किसानों को तथा अन्य लोगों को इस के प्रयोग के लिये परामर्श दिया जाता है और वे लोग ऐसे औजारों के विषय में पूछताछ कर सकते हैं। उपभोक्तागण स्वभावतः ही ऐसे औजार खरीदेंगे जो उन के लिये उपयुक्त होंगे।

कोछा और बहेड़ी स्टेशनों के बीच मालगाड़ी का पटरी पर से उतरना

२२२. **श्री रघुनाथ सिंह :** (क) क्या **रेल** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि यह सच है

कि १७ जून, १९५३ को प्रातःकाल पूर्वोत्तर रेलवे की काठगोदाम-बरेली शाखा के कीछा और बहेड़ी स्टेशनों के बीच मालगाड़ी पटरियों पर से उतर गई जिस के कारण इंजन तथा एक डब्बा उलट गया ?

(ख) यदि हां, तो इस दुर्घटना के क्या कारण थे ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) १७ जून, १९५३ को लगभग ७.५० बजे जब कि ३२ डाउन मालगाड़ी कीछा और बहेड़ी के बीच थी तो चार पहियों वाला एक लदा हुआ वेगन, एंजन से २९ वां, पटरी से उतर गया । एंजिन अथवा कोई अन्य डिब्बा पटरी से नहीं उतरा था ।

(ख) गाड़ी से उतर गये वेगन का जरनल टूट गया ।

शिवपुर में पटसन की बुकिंग

२२३. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यह सच है कि किदरपुर डाक्स के अनुदेशों के अनुसार शिवपुर में पटसन की बुकिंग खोली तथा बन्द की जाती है ?

रेल तथा यातायात उप मंत्री (श्री अलगेशन) : शिवपुर स्टेशन से पटसन नहीं भेजा जाता । जब कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट के अधिकारी आवश्यक समझते हैं तो शिवपुर स्टेशन से कलकत्ते के लिये सन के माल का भेजा जाना प्रतिबन्धित कर दिया जाता है ।

यशोदा और कन्नौज स्टेशनों के बीच रेल के डब्बों का पटरी से उतरना

२२५. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि २५ जुलाई, १९५३ को पूर्वोत्तर रेलवे के यशोदा और कन्नौज स्टेशनों के बीच एक डाउन मालगाड़ी से लदे हुए २५ डिब्बे पटरी से उतर गये;

(ख) क्या यह सच है कि उलटे हुए डिब्बे लुढ़क कर ग्रेन्डट्रन्क रोड पर जा पहुंचे जिस के कारण सड़क बन्द हो गई ;

(ग) क्या यह सच है कि दुर्घटना स्थल पर एक मील तक पटरी खराब हो गई थी;

(घ) दुर्घटना के क्या कारण थे और उन के लिये कौन जिम्मेदार था; और

(ङ) इस विषय में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) २५ जुलाई, १९५३ को नहीं, बरन् २३ जुलाई, १९५३ को ९.४५ बजे, जब कि एफ० सी० २ डाउन माल गाड़ी उत्तर पूर्वी रेलवे के कानपुर-फतेहगढ़ सेक्शन पर यशोदा तथा कन्नौज स्टेशनों के बीच जा रही थी तो ३० वैगन पटरी से उतर गये और उलट गये ।

(ख) उलटे हुए तीन वैगन लुढ़क कर सड़क पर आ गये । जिस से यातायात अवरुद्ध हो गया ।

(ग) जी हां ।

(घ) और (ङ). रेलवे के जिला अधिकारियों की एक समिति द्वारा जांच की गई है तथा जांच की कार्यवाही को अन्तिम रूप दिया जा रहा है ।

बी० सी० जी० के टीके

२२५. **श्री ईश्वर रेड्डी** : (क) क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगी कि बी० सी० जी० के टीकों के आन्दोलन के सम्बन्ध में समस्त राज्यों से रिपोर्टें प्राप्त हो चुकी हैं या नहीं ?

(ख) यदि हो चुकी हैं, तो राज्यवार कुल कितने व्यक्तियों को इस का लाभ प्राप्त हुआ ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर): (क) जी हां, बी० सी० जी० के टीकों की रिपोर्टें प्रति मास राज्यों से प्राप्त होती हैं ।

(ख) मई, १९५३ तक जितन व्यक्तियों का परीक्षण किया गया और बी० सी० जी० के टीके लगाये गये उन की संख्या राज्यवार दर्शाते हुए एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ४८]

प्रादेशिक पर्यटक कार्यालय

*२२६. **प्रो० डी० बी० शर्मा** : यातायात मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) इस समय भारत सरकार के कुल कितने प्रादेशिक पर्यटक कार्यालय हैं;

(ख) इन में से कितने पंजाब, पप्सू और हिमाचल प्रदेश में हैं और वे कहां कहां स्थित हैं; और

(ग) पर्यटकों के लिये इन राज्यों से सम्बन्धित क्या क्या साहित्य प्रकाशित किया गया है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) भारत सरकार ने अब तक दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में चार प्रादेशिक पर्यटक कार्यालय खोले हैं । इस के अतिरिक्त, तीन छोटे पर्यटक सूचना कार्यालय आगरा, श्रीनगर, और न्यूयार्क में खोले गये हैं । एक पर्यटक सूचना कार्यालय शीघ्र ही बनारस में खोलने का विचार है ।

(ख) पंजाब, पैप्सू तथा हिमाचल प्रदेश में कोई पर्यटक कार्यालय नहीं खोले गये हैं । शिमला तथा कुल्लू में सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा पर्यटक ब्यूरो खोले गये हैं जिस से कि पर्यटकों को यात्रा की तैयारी तथा निवास-स्थान आदि के बारे में सूचना प्रदान की जा सके । पर्यटक यातायात के सम्बन्ध में सलाह देने के लिये पंजाब तथा हिमाचल प्रदेश की सरकारों ने मंत्रणा समितियां भी नियुक्त की हैं ।

(ग) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ४९]

मिट्टी की उर्वरता

२२८. **श्री हेडा** : (क) क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि मिट्टी की उर्वरता जानने के लिये सरकार के पास प्रयोगशाला का क्या क्या सामान है ?

(ख) इस में से संयुक्त राज्य अमरीका से कितना मंगाया गया है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) एक सूची सदन पटल पर रखी जाती है । [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ५०]

(ख) अभी तक कुछ नहीं ।

चावल की खेती की जापानी प्रणाली के प्रशिक्षण केन्द्र

२२८. **प्रो० डी० सी० शर्मा** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) जापानी प्रणाली से चावल की खेती करने में किसानों को प्रशिक्षित करने के लिये क्या पंजाब में कोई प्रशिक्षण केन्द्र खोले गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो किस किस जगह ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) और (ख)। इस प्रकार का कोई प्रशिक्षण केन्द्र नहीं खोला गया है । किन्तु पंजाब के चावल उगाने वाले आठों जिलों (कांगड़ा, करनाल, गुरुदासपुर, अमृतसर, फीरोजपुर, अम्बाला, होशियारपुर, और हिसार) में किसानों को आवश्यक प्रशिक्षण देने तथा मार्गदर्शन करने के लिये फार्म स्थापित किये गये हैं ।

रेल के डिब्बों में पंखे

२२९. **प्रो० डी० सी० शर्मा** : क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) सन् १९५२ में तृतीय श्रेणी के कितने डिब्बों में पंखे लगाये गये, और

(ख) १९५३ में कितनी पंखे लगाने का लक्ष्य है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) १,००३

(ख) १,२७०

अंडमान द्वीप-समूह में नारियल बागान

२३०. **श्री दाभी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री १७ मार्च, १९५३ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ८१४ के उत्तर की ओर निर्देश करते हुए यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) अंडमान द्वीप-समूह में नारियल के बागान का क्षेत्र ;

(ख) इन बागान के मालिक कौन हैं;

(ग) इन बागानों से गिरी के गोलों का प्रति वर्ष उत्पादन; तथा

(घ) नारियल विकास पदाधिकारी द्वारा अब तक क्या कार्य किया गया है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) ३,१२५ एकड़ ।

(ख) इन बागानों की स्वामी सरकार है ।

(ग) ७,९८३ पौंड ।

(घ) नारियल विकास पदाधिकारी ने इन बागानों का पर्यवेक्षण किया है, इन की वर्तमान स्थिति की जांच की है तथा भविष्य में सुधार के लिये सुझाव दिये हैं ।

वह नारियल के कीड़ों को नियंत्रित करने तथा बीजों को उत्पादित व वितरित करने का प्रबन्ध भी कर रहा है । इस के अतिरिक्त उत्पादकों के मध्य वह प्रचार तथा मंत्रणा कार्य भी कर रहा है ।

बैलगाड़ियों के चौड़ी हालों वाले पहिए

२३१. **श्री हेडा** : क्या यातायात मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) अब तक बैलगाड़ियों के चौड़ी हालों वाले पहियों के कितने डिजाइन लोकप्रिय बनाये जा चुके हैं; और

(ख) किन किन राज्यों ने यह कार्य हाथ में लिया है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) सिफारिश की गई है कि पहले की सेंकरी हालों के स्थान पर ३ १/२ इंच की चौड़ाई वाले बेलगाड़ी के पहिए राज्यों में लोकप्रिय बनाने के लिये संपरीक्षा के तौर पर प्रयोग किये जायें । किन्तु राज्यों को ३ इंच चौड़ाई वाली हालों के पहियों के कुछ जोड़ों से प्रयोग करने की सलाह दी गई है जिस से कि ३ इंच तथा ३ १/२ इंच की चौड़ाई की हालों के गुणों की तुलना की जा सके ।

(ख) तेरह राज्य, नामतः मद्रास, बम्बई, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, पंजाब, त्रावनकोर-कोचीन, मैसूर, हैदराबाद, मध्य भारत, राजस्थान और विंध्य प्रदेश इस योजना में सम्मिलित हो कर बेलगाड़ी के चौड़ी हालों के पहियों को लोकप्रिय बनाने को सहमत हो गये हैं । जहां तक भारत सरकार को विदित है, कहीं भी यह योजना नवीन हालों के निर्माण के आगे नहीं बढ़ी है ।

ग्रांड ट्रंक एक्सप्रेस का लेट पहुंचना

२३२. **श्री हेडा** : क्या रेल मंत्रीय यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) सन् १९५३ के अप्रैल, मई और जून मासों में ग्रांड ट्रंक एक्सप्रैस मद्रास और दिल्ली स्टेशनों पर औसतन कितनी लेट पहुंची;

(ख) कितने दिन गाड़ी एक घंटे से अधिक लेट थी; तथा

(ग) दशा में सुधार करने के लिये क्या उपाय किये गये ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) अप्रैल से जून १९५३ की कालावधि में ग्रांड ट्रंक एक्सप्रैस गाड़ियों के लेट पहुंचने के अवसरों की संख्या तथा उन के लेट पहुंचने के औसत समय नीचे दिये जाते हैं :—

	मद्रास		दिल्ली	
	गाड़ी के लेट पहुंचने के अवसरों की संख्या	गाड़ी के लेट पहुंचने का औसत समय मिनटों में	गाड़ी के लेट पहुंचने के अवसरों की संख्या	गाड़ी के लेट पहुंचने का औसत समय मिनटों में
अप्रैल	२०	५१	१४	१५
मई	२३	६९	२३	५८
जून	१९	३७	१४	२२

(ख) ग्रांट ट्रंक एक्सप्रैस गाड़ियों के मद्रास और दिल्ली स्टेशनों पर एक घंटे से अधिक लेट पहुंचने के दिनों की संख्या इस प्रकार है :—

	मद्रास	दिल्ली
अप्रैल	१०	२
मई	१२	७
जून	८	४

(ग) ग्रांट ट्रंक एक्सप्रैस गाड़ियों के आने जाने के समय पर विशेष निगरानी रखी जा रही है और इस बात का प्रयत्न किया जा रहा है कि गाड़ियां ठीक समय पर चलें। जुलाई में गाड़ियों के आने जाने के समय में जून की तुलना में निम्न सुधार हुआ है :—

लेट पहुंचने के दिनों की संख्या

	१५ मिनट तक	१५ से ३० मिनट तक	३० मिनट से अधिक	कुल
मद्रास	५	१	५	११
दिल्ली	—	१	४*	५ (पूरे मास में)

*२ दिन इस लिये लेट पहुंची क्योंकि इटारसी के निकट दुर्घटना हो जाने के कारण दूसरे मार्ग से आना पड़ा।

(२३-७-५३ को समाप्त होने वाले ३ सप्ताहों में जिन के बारे में कि जानकारी इस समय प्राप्य है)

"सर्पासिल" औषधि

२३३. **सरदार ए० एस० सहगल** : (क) क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगी कि क्या यह सच है कि "सर्पासिल" औषधि "रौवुल्फ़िया सर्पेन्टाइन" नामक एक भारतीय जड़ी की जड़ से निकाला गया है जिस का कि भारत में अशोधित रूप में प्रयोग

शताब्दियों तक होता रहा है और जिससे पागलपन से लेकर उच्च रक्त चाप तक बहुत से रोगों की चिकित्सा की जाती रही है ?

(ख) क्या यह सच है कि गवेषणा वैज्ञानिकों द्वारा बनायी गयी यह नवीन औषधि दीर्घकालीन उच्च रक्त चाप की चिकित्सा में गुणकारी सिद्ध हुई है ?

(ग) क्या सरकार का विचार इस औषधि का अस्पतालों में प्रयोगात्मक रूप में प्रयोग करने का है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर): (क) "सर्पासिल" औषधि रौवुल्फ़िया सर्पेन्टाइन से निकाले गये एक मूल तत्व से बनायी गयी है जिसका प्रयोग अशोधित रुप में पागलपन की चिकित्सा के लिये बहुत समय से किया जाता रहा है। रौवुल्फ़ियां सर्पेन्टाइन का उच्च रक्त चाप में प्रयोग तुलनात्मक रूप में नया है और यह सब से पहिले १९२८ में मालूम किया गया था। उस जड़ी पर भेषजिकीय अध्ययन सर्वप्रथम कर्नल राम नाथ चौपड़ा और डा० बी० मुकर्जी द्वारा 'स्कूल आफ़ ट्रापिकल मेडिसिन, कलकत्ता' में किया गया था।

(ख) चिकित्सा सम्बन्धी प्राय विवरणों से पता लगता है कि रौवुल्फ़िया सर्पेन्टाइन से निकाले गये मूल तत्व कति पय प्रकार के उच्च रक्त चाप में गुणकारी हो सकते हैं। हां, इससे रोग पूर्ण रूप से नहीं जाता। इस प्रश्न पर अभी मतभेद है कि रक्त चाप पर प्रभाव डालने वाले मूल तत्व का स्वरूप कैसा होता है। अभी यह प्रश्न विचाराधीन है।

(ग) मैसर्स सीबा फ़ार्म लिमिटेड, जो निमाताओं का प्रतिनिधित्व करती है, के आग्रह पर बम्बई के कुछ अस्पतालों में इस औषधि के सम्बन्ध में परीक्षण किये जा रहे हैं। सरकार अपने तत्त्वावधान में कोई परीक्षण करवाना आवश्यक नहीं समझती।

आहारपुष्टि सम्बन्धी प्रशिक्षण

२३४. **श्री एम० आर० षण :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगी :

(क) विश्व स्वास्थय संस्था के प्रशिक्षण कोर्स के अन्तर्गत अब तक कितने पदाधिकारियों को आहारपुष्टि सम्बन्धी प्रशिक्षण के लिये कलकत्ता भेजा गया है ; तथा

(ख) उन में से कितने अब भी केन्द्र में आहारपुष्टि पदाधिकारी के रूप में कार्य कर रहे हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) : (क) बारह, जिनमें से ग्यारह राज्यों के थे।

(ख) एक भी नहीं।

ढोर

२३५. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) भारत में बेकार तथा अनुपयोगी पशुओं की संख्या ; तथा

(ख) भारत में उन बेकार तथा अनुपयोगी पशुओं का उपयोग करने के लिये क्या पग उठाये गये हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) लगभग १ करोड़ ५२ लाख।

(ख) बेकार पशुओं के लिये गो सदन स्थापित करने की एक योजना कार्यान्वित कर दी गई है जिसमें मृत पशुओं का पूर्ण रूप से उपयोग करने की भी व्यवस्था है।

औद्योगिक विवाद

२३६. **पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय:** (क) क्या श्रम मंत्री वर्ष १९५१, १९५२ तथा १९५३ (जून के अंत तक) में हुए औद्योगिक विवादों की कुल राज्यवार संख्या बतलाने की कृपा करेंगे ?

(ख) इन विवादों में कुल कितने श्रमिक अन्तर्ग्रस्त थे ?

(ग) कितने जन-दिवसों की हानि हुई ?

(घ) इन विवादों के क्या कारण थे ?

(ङ) इससे किन किन उद्योगों पर प्रभाव पड़ा ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि): (क) से (ङ) तक । सदन पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें अपेक्षित जानकारी दी गई है । इस समय केवल भाग 'क' राज्यों तथा दिल्ली व अजमेर राज्यों के बारे में ही जानकारी इकट्ठी की जा रही है । [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ५१**]

अन्न उत्पादन

२३७. **पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय:** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) भारत में १९५१ से अन्न का प्रति वर्ष कितना कितना उत्पादन हुआ ;

(ख) भारत में १९५१ से अन्न की प्रति वर्ष कितनी कितनी खपत हुई ;

(ग) वर्ष १९५२ में अन्न उत्पादन का अन्तिम प्राक्कलन ;

(घ) इस से देश की खाद्य कमी किस सीमा तक पूरी होती है ;

(ङ) किन राज्यों में तथा किन खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि हुई है ; तथा

(च) इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई): (क) तथा (ग) । सदन पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें प्राप्य जानकारी दी गई है । [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ५२**]

(ख) इस बारे में कोई निश्चित आंकड़े देना कठिन है कि देश में, जहां कि जनसंख्या का एक बड़ा भाग राशन प्रणाली के अन्तर्गत नहीं है, अन्न की कुल कितनी खपत हुई । हां, राशन प्रणाली के अन्तर्गत खाद्यान्न की निकासी १९५१ में ७९ लाख टन तथा १९५२ में ६७ लाख टन थी ।

(घ) वर्ष १९५२-५३ में देश की आन्तरिक खाद्य संभरण स्थिति में पर्याप्त सुधार होने के फलस्वरूप सरकार के लिये आयातों पर अवलम्बन सारवान् रूप से कम कर देना सम्भव हो सका है । १९५३ के लिये आयात लक्ष्य प्रारम्भ में २९ लाख टन बनाया गया था जब कि १९५२ तथा १९५१ में आयात क्रमशः ३९ लाख टन तथा ४७ लाख टन हुआ था । हो सकता है कि १९५३ में वास्तविक आयात मूल लक्ष्य से भी पर्याप्त कम हो ।

(ङ) सदन पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें प्राप्य जानकारी दी गई है । [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ५३**]

(च) वर्ष १९५२-५३ में उत्पादन में वृद्धि अनुकूल मौसम तथा फ़सल दशाओं, कृषि-विस्तार और 'अधिक अन्न उपजाओ' आन्दोलन सम्बन्धी अन्य प्रयत्नों के कारण हुई है ।

कृषि-क्षेत्र

२३८. **पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय:** (क) क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रत्येक राज्य में १९५१ से कितनी भूमि पर खाद्य फ़सल उगाई जा रही है ?

(ख) वर्ष १९५२-५३ में अन्न उत्पादन में कितनी वृद्धि कृषि-विस्तार के कारण हुई है और कितनी अन्य कारणों से ?

(ग) चालू वर्ष में अनुमानतः कितनी भूमि पर खरीफ़ की फ़सल पैदा की जा रही है ?

(घ) अनुमानित उपज कितनी है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : (क) सदन पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें प्राप्य जानकारी दी गई है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ४]**

(ख) (१) खरीफ़ फ़सलों — जिनमें चावल, जवार, बाजरा, मक्का तथा रागी सम्मिलित नहीं हैं — के उत्पादन में कुल वृद्धि —— लगभग ४० लाख टन ।

(२) रबी फ़सलों (गेहूं तथा जौ) के उत्पादन में कुल वृद्धि, फ़सल से पूर्व के अनुमानों के अनुसार——लगभग १० लाख टन ।

उप्रोक्त वृद्धि अनुकूल मौसम तथा फ़सल दशाओं, कृषि-विस्तार और 'अधिक अन्न उपजाओ' आन्दोलन सम्बन्धी अन्य प्रयत्नों के कारण हुई है । इन दोनों कारणों से हुई वृद्धि के अलग अलग ब्यौरे प्राप्य नहीं हैं ।

(ग) तथा (घ) । अनुमान है कि वर्ष १९५२-५३ में खरीफ़ की फ़सल (मोटे नाज को छोड़ कर) १५६०·९ लाख एकड़ भूमि पर उगायी गई है और उससे ३६२.३ लाख टन अन्न उत्पन्न होगा । जहां तक चालू वर्ष यानी १९५३-५४ का सम्बन्ध है, खरीफ़ की फ़सल अभी देश के भिन्न भिन्न भागों में बोई जा रही है । अतएव इस बारे में अभी कोई जानकारी प्राप्य नहीं है कि कितनी एकड़ भूमि पर फ़सल उगाई गई है और कितनी उपज होने की आशा है ।

रेल के पुल

२३९. श्री रघुवीर सहाय : (क) क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को निम्नलिखित रेल के पुलों को रेल व सड़क के मिले जुले पुलों में परिणत करने की कोई प्रस्थापनायें मिली हैं :

(१) उत्तर रेलवे पर बरेली के निकट रामगंगा पर रेल का पुल ; तथा

(२) पूर्वोत्तर रेलवे पर कचला घाट के निकट गंगा पर रेल का पुल ?

(ख) कचला घाट के निकट गंगा के पुल पर ऊपर सड़क बनाने का कार्य क्यों छोड़ दिया गया ?

(ग) इस कार्य के पुनः प्रारम्भ किये जाने की कब तक आशा है ?

(घ) क्या राम गंगा पर बरेली के निकट एक और पुल बनाने की प्रस्थापना है जो रेल व सड़क के मिले जुले पुल का काम दे सके ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां ।

(ख) पुल पर ऊपर सड़क बनाने का कार्य छोड़ा नहीं गया है ।

(ग) कार्य का प्राक्कलन मंजूरी के लिये उत्तर प्रदेश की सरकार को भेजा गया है जो कि पुल के ऊपर सड़क बनवाना चाहती है । ज्यों ही उसकी मंजूरी प्राप्त हो जायेगी त्यों ही यह काम प्रारम्भ कर दिया जायेगा ।

(घ) जी नहीं ।

जम्मू पठानकोट सड़क

२४०. श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : क्या यातायात मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) जम्मू पठानकोट सड़क किसके द्वारा बनवाई गई ;

(ख) किस किस ने कौन कौन सा भाग बनाया ;

(ग) प्रत्येक भाग के निर्माण पर कितना व्यय हुआ ;

(घ) क्या निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व पूरी योजना का विस्तृत प्राक्कलन तैयार कर लिया गया था ;

(ङ) यदि हां, तो प्रत्येक भाग के निर्माण पर कितने व्यय का अनुमान लगाया गया था ; तथा

(च) क्या सरकार का विचार समूचे कार्य के कई भागों के सम्बन्ध में पूरी पूरी जानकारी सदन पटल पर रखने का है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन): (क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा ।

(ख) पूरी सड़क पर कोई ३ करोड़ रुपये ।

(घ) जी हां ।

(ङ) पूरी सड़क पर २ करोड़ ९६ लाख रुपये खर्च होने का अनुमान था ।

(च) जी नहीं । जानकारी परिवहन मंत्रालय की वर्ष १९५२-५३ की प्रशासन रिपोर्ट (भाग २– सड़क विकास––अध्याय ४ की कंडिका ३२) में पहले ही मौजूद है ।

अगरतला डाकघर

२४१. **श्री बीरेन दत्त : क्या संचरण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगरतला डाकखाना इतना छोटा हो गया है कि अपना दैनिक काम नहीं कर सकता ;

(ख) क्या डाक तथा तार संघ की ओर से ऐसा अभ्यावेदन आया है ; तथा

(ग) सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

संचरण मंत्री (श्री जगजीवन राम): (क) अगरताला डाक घर के भवन का स्थान छोटा है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) (१) भवन को विस्तृत करने तथा (२) टैलीफोन ऐक्सचेंज और तार घर के लिए, जो इस समय इस भवन में स्थित हैं, अलग भवन निर्माण करने का विचार है, इस से वह भाग डाक घर के प्रयोग के लिए छोड़ दिया जाएगा ।

खाद्य स्थिति

२४२. **श्री बाल्मीकि** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जून १९५३ में प्रत्येक राज्य में खाद्यान्न का कितना भंडार था; तथा

(ख) क्या प्रत्येक राज्य में अनाज के भंडार दुर्लभता की स्थिति का सामना करने के लिए पर्याप्त हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई): (क) जून १९५३ के अन्त में प्रत्येक राज्य के भंडार का एक विवरण सदन पटल पर रखा गया है । [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ५५]

(ग) हां श्रीमान् ।

रेल दुर्घटना

२४३. **सेठ गोविन्द दास**: क्या रेल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जनवरी १९५३ से लेकर जून १९५३ की अवधि में रेल दुर्घटनाओं के कारण कितने मामलों में क्षतिपूर्ति देनी पड़ी है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन): जनवरी से जून १९५३ तक की अवधि में सवारी गाड़ियों की १६ दुर्घटनाएं हुईं जिन में जान हानि तथा। अथवा गहरी चोट तथा। अथवा लगभग २०००० रु० के मूल्य को रेलवे सम्पत्ति

की क्षति हुई है और अब तक इस संबंध में २४ दावे मिलने की सूचना है । इन दावों में से ६ दावे दावा आयुक्तों ने दावादारों को वापस भेज दिए थे क्योंकि वे विहित प्रक्रिया की शर्तों के अनुसार नहीं दिए गए थे । और तीस दावे दावा आयुक्त के विचाराधीन हैं । बाकी के १७ दावों को कर्मचारी क्षति पूर्ति अधिनियम के अधीन कर्मचारी प्रतिकर आयुक्त निबटा रहे हैं ।

कच्छ-माण्डवी बन्दरगाह पर यात्री शेड

२४४. **श्री गिडवानी** : (क) क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि कच्छ के मुख्यायुक्त ने कच्छ-माण्डवी बन्दरगाह पर एक यात्री शेड निर्माण करने के लिये सरकार से सिफारिश की है?

(ख) क्या सरकार ने उस पर विचार कर लिया है ?

(ग) उसका निर्णय क्या है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) हां ।

(ख) और (ग) । प्रस्ताव सरकार द्वारा स्वीकृत हो चुका है ।

मालगाड़ी के डिब्बे बांटना

२४५. **श्री गिडवानी** : (क) क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि पंच महल चेम्बर ऑफ कामर्स ने पश्चिमी रेलवे के जनरल मैनेजर से व्यापारियों को मालगाड़ी के डिब्बे बांटने से संबंधित अनियमितताओं की शिकायत की है ?

(ख) यदि ऐसा है, तो उन कठिनाइयों को दूर करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) हां । पंचमहल चेम्बर आफ कामर्स, गोधरा ने पश्चिमी रेलवे के जनरल मैनेजर से, कन्ट्रोल आफ़िस, रतलाम द्वारा मालगाड़ी के डिब्बों की पूर्ति के संबंध में अपनाए गए अनियमित व्यवहार की शिकायत की है ।

(ख) शिकायत की अभी भी जांच पड़ताल की जा रही है ।

बुधवार,
१२ अगस्त, १९५३

सत्यमेव जयते

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

चौथा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

Preservation Unit
18·3·92
Fumigated
Parliament Library

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही

लोक सभा

बुधवार, १२ अगस्त १९५३

सदन की बैठक सवा आठ बजे समवेत हुई

[उपाध्यक्ष महोदय अध्यक्ष पद पर असीन थे]

प्रश्न और उत्तर

(देखिये भाग १)

९-१५ प० मू०

अनुपस्थिति की अनुमति

उपाध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि मुझे श्री यू० एस० मल्लय्या से निम्नलिखित सूचना प्राप्त हुई है :—

"क्योंकि मैं स्वीटज़रलैण्ड में चिकित्सा कर। रहा हूं, इसलिए निवेदन करता हूं कि मुझे अगस्त १९५३ के अन्त तक सदन की बैठकों में अनुपस्थिति की अनुमति दी जाये ।"

क्या सदन अनुमति देना स्वीकार करता है ?

अनुमति दे दी गई।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

दिल्ली सड़क परिवहन प्राधिकारी अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

रेल तथा यातायात उपमन्त्री (श्री अलगेशन): मैं दिल्ली सड़क परिवहन प्राधिकारी

अधिनियम, १९५०, की धारा ५२ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं में से प्रत्येक की एक प्रति सदन-पटल पर रखता हूं :—

(१) परिवहन मन्त्रालय की १३ जून १९५३ की अधिसूचना संख्या १८ टैग (५)/५३ और

(२) परिवहन मन्त्रालय की २३ जून १९५३ की अधिसूचना संख्या १८—टैग (६)/५२।

[पुस्तकालय में रखी हैं। देखिये संख्या एस० ९९/५३]

सम्पदा शुल्क विधेयक—जारी

उपाध्यक्ष महोदय : अब सदन १३ मई १९५३ को श्री सी० डी० देशमुख द्वारा रखे गये प्रस्ताव पर आगे विचार करेगा।

इससे पहिले कि मैं श्री मोरे को बोलने के लिये कहूं, जो कल सदन में बोल रहे थे, मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि मेरा विचार है कि १२–१५ बजे माननीय मन्त्री से उत्तर देने के लिए कहूं, अर्थात् माननीय सदस्यों को तीन घंटे मिलेंगे और यदि प्रत्येक सदस्य १५ मिनट लें तो बहुत सों को बोलने का अवसर मिलेगा।

श्री एस० एस० मोरे : श्रीमान् कल मैं खण्ड ७—मृत्यु होने पर सम्पत्ति में भाग की समाप्ति—पर बोल रहा था। मुझे इस पर घोर आपत्ति है क्योंकि यह खण्ड भेदभावपूर्ण

[श्री एस० एस० मोरे]

है । मुझे इसका कोई कारण दिखाई नहीं पड़ता कि दायभाग या अन्य सम्प्रदाय के व्यक्तियों के साथ कठोरता क्यों बरती जाये । ऐसा लगता है कि मिताक्षरा के अन्तर्गत आने वाले तथा कुछ सीमित क्षेत्रों में अन्य दो सम्प्रदायों के व्यक्तियों का पक्ष लिया गया है । मुझे भय है कि यह खण्ड संविधान में वर्णित मूल अधिकारों के विरुद्ध होगा । उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति जिस पर दायभाग के सिद्धान्त लागू होते हों, अपनी मृत्यु के पश्चात् २,५०,००० रु० की सम्पत्ति छोड़ता है और उसके चार पुत्र हैं तो इस सम्पूर्ण सम्पत्ति पर शुल्क देना पड़ेगा जबकि इन्हीं परिस्थिति का व्यक्ति जो मिताक्षरा प्रणाली के अन्तर्गत आता हो, की मृत्यु के पश्चात् केवल पचास हज़ार पर शुल्क देना होगा ।

अब श्री देशमुख प्रश्न करेंगे कि उपाय क्या है । अंग्रेज़ कहा करते थे कि वे विदेशी हैं और वे लोगों की धार्मिक अर्थात् स्वीय विधियों में हस्ताक्षेप नहीं कर सकते तथापि अनेकों कार्यवाहियां करके उन्होंने स्वीय विधियों की असमानता को कम किया था । आजकल हमारी राष्ट्रीय सरकार है । यदि वह देश में एकरूपता चाहती है, जो बहुत आवश्यक है, तो उसे साहसपूर्ण आगे बढ़ कर इसकी स्थापना करनी होगी । मेरी समझ में नहीं आता कि वह अंग्रज़ों की भांति क्यों डर रही है । मैं यह मानने को तैयार नहीं हूं कि इस विशेष नियम को पारित करना हिन्दू कोड बिल पर जो उत्तराधिकार था की एकरूप विधि है, आश्रित हो ।

आचार्य कृपलानी जी कहते हैं कि मैं पंडित जवाहरलाल की हाल की घोषणाओं के प्रति निर्देश बेकार ही कर रहा हूं । मैं उस समय के पंडित नेहरू जी का निर्देश नहीं कर रहा हूं जब वह स्वतन्त्रता का युद्ध लड़ रहे थे अपितु मैं तो आगरा में की गई उनकी घोषणा कि हम वर्षों से सो रहे हैं का निर्देश कर रहा हूं सम्भवतः उनके ही सन्निकट वित्त मन्त्री, और विशेष कर विधि मन्त्री, वर्षों से सोते प्रतीत होते हैं । अभी तक उनका विचार है कि मनु तथा जिमूलवाहन द्वारा बनाया गया नियम अब भी लागू है । मेरी समझ में तो इसका कोई कारण आता नहीं । यदि प्रजातन्त्र को इस देश में सफल बनना है तो समानता के आधार पर एकरूप प्रणाली बनानी हमारे लिए आवश्यक है । चाहे व्यक्ति हिन्दू, मुस्लिम तथा ईसाई किसी भी सम्प्रदाय का हो, परन्तु जहां एक सम्पदा-विधियों तथा अन्य सामाजिक रीतियों का सम्बन्ध है, भारत की वर्तमान सरकार को विधि की एक रूप प्रणाली बनानी चाहिय । अतः इस विशेष अधिनियम में मिताक्षरा तथा अन्य निर्देशों का घोर विरोध करता हूं ।

मिताक्षरा सम्प्रदाय में अवयस्क के लिए तथा १८ वर्ष की आयु के पूर्ण मृत्यु होने पर छूट सीमा की व्यवस्था है परन्तु दायभाग सम्प्रदाय वालों के लिए ऐसा नहीं है । मिताक्षरा सम्प्रदाय में १८ वर्ष की आयु के पूर्व मृत्यु होने से मृतक के उत्तराधिकारियों को छूट मिलेगी । यह पक्षपात है । मैं इसका कड़ा विरोध करता हूं । पुराने विधेयक के पृष्ठ ३१ पर कहा गया है कि मिताक्षरा परिवार में प्रत्येक बालक का सम्पत्ति में भाग होता है और किसी परिवार में बालक की मृत्यु या जन्म पर उसके भाग का निश्चय करना प्रशासकीय रूप से असम्भव है । मेरी समझ में नहीं आता कि प्रशासकीय रूप से यह क्यों असम्भव है । इससे सरकार की कार्य-अकुशलता का पता लगता है । प्रशासकीय असुविधायें इस भेदभाव को

न्यायोचित नहीं बनाती । अतः मैं इस विशेष धारा से इस विशेष भाग को हटाने पर ज़ोर देता हूं ।

खण्ड ९ में 'दो वर्ष' के काल का वर्णन किया गया है । परन्तु मेरा विचार यह है कि धनी व्यक्ति इस खण्ड से भी सरकार से अनुचित लाभ उठाने का प्रयत्न करेंगे । वित्त मन्त्री द्वारा विचार किये जाने के लिये मेरा एक सुझाव है कि यदि पिता उपहार के रूप में भी पुत्रों को कुछ सम्पत्ति देता है तो उस पर भी सम्पदा शुल्क लगना चाहिये । यदि उपहार किसी ऐसे व्यक्ति को दिया जाये जो उत्तराधिकारी न हो सकता हो तो सम्भवतः उसके लिये स्वीकृति दी जा सकती है । इसके अतिरिक्त लोक दान पर भी मुझे बड़ी आपत्ति है । धनी व्यक्ति अनुचित उपायों से तथा निर्धनों का शोषण करके धन संग्रह करता है और फिर अपने पापों के प्रायश्चित के लिये दानी बनता है और थोड़ी सी सम्पत्ति दान में देता है । मुझे दान शब्द से ही घृणा है । ऐसा नहीं होना चाहिये क्योंकि हम देश को हितकारी राज्य बनाने जा रहे हैं और दान देने वाली सब से उत्तम संस्था सरकार है ।

अब मैं खण्ड ३१ का, जिसमें उस हिन्दू विधवा का सम्पत्ति में भाग की छूट का वर्णन है जो पति की मृत्यु के पश्चात् सात वर्षों में मर जाये, सूक्ष्म निर्देश करूंगा । मुझे सन्देह है कि वित्त मंत्री अथवा विधि मन्त्री ने इस तथ्य को विचाराधीन नहीं किया है कि कई सदस्यों के एक से अधिक विधवा हो सकती हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : किसी भी संसद-सदस्य के निर्देशन नहीं होना चाहिए ।

श्री एस० एस० मोरे : श्रीमान्, मैं सदन के बाहर बहुमत का निर्देश करता हूं । यदि कोई पुरुष दो पत्नियों को छोड़ कर मरता है, क्या होता है ! इस प्रश्न का उत्तर देना ही होगा । आचार्य कृपलानी कहते हैं कि वे पुनर्विवाह कर लेंगी । मैं इसका स्वागत करूंगा ।

खण्ड ३२ के संबंध में प्रवर समिति के कुछ सदस्यों ने एक बड़ा ही भावनात्मक बहाना किया है कि रहने के घर की छूट होनी चाहिए । डा० लंका सुन्दरम् का भी यह कहना है कि मकान को, अतिरिक्त आय की दृष्टि से किराये पर भी उठाने की अनुमति न हो । मुझे उनका सुझाव स्वीकार नहीं है कि इतने बड़े मकान की छूट दी जाय । क्योंकि जिन व्यक्तियों पर यह शुल्क लगेगा उनके बड़े बड़े मकान होंगे । देश में मकानों की कमी है । यदि इस भावनात्मक दृष्टिकोण को अपनाया जाता है तो परिवार के सदस्यों को आवश्यकतानुसार मकान का भाग दे दिया जाये और शेष भाग को सरकार अन्य उचित कार्यों के लिये अपने अधिकार में ले लें ।

मैं उन लोगों से पूर्णतः सहमत हूं जो यह आवश्यक समझते हैं कि पुनरावेदनों को न्यायिक अधिकरण के सपुर्द कर दिया जाये । इस अधिनियम में बहुत सी बातों पर विधान बनाने के लिए बोर्ड को स्वेच्छाचारी के समान अधिकार दिये गये हैं । इस बोर्ड की मानसिक प्रवृत्ति क्या होगी ? वे नौकरशाही के न्यायाधीश होंगे । आरम्भ में, इस अधिकरण की घोषणायें व्यक्तियों में विश्वास उत्पन्न करने के लिए कदाचित ही उपयुक्त रुप की होंगी ? मैं चाहता हूं कि सरकार धनी व्यक्तियों में यह विश्वास उत्पन्न करके कि सरकार इस अधिनियम के क्षेत्र में जो भी कर रही है वह निष्पक्ष रूप से कर रही है, धनी व्यक्तियों पर कर लगाये ।

[श्री एस० एस० मोरे]

अन्त में, मैं काकाजी के विचारों से पूर्ण सहमति प्रकट करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री तुलसीदास किलाचन्द :

श्री यू० एम० त्रिवेदी (चितौड़) : श्रीमान् मेरा निवेदन है कि प्रवर समिति में जो सदस्य रह चुके हैं उन्हें बोलने का अवसर न देकर अन्य व्यक्तियों को अवसर दिया जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : कठिनाई यह है । उन सज्जनों को, प्रवर समिति के लिए उन के नाम का सुझाव देने के कारण, बोलने का अवसर नहीं दिया गया। यदि उन्हें अब भी अवसर नहीं दिया गया तो वे फिर कब बोलेंगे।

श्री तुलसीदास (मेहसाना पश्चिम) : मैं इस कार्यवाही के विशेषकर प्रशासकीय तथा आर्थिक अंगों पर कुछ विचार प्रकट करता हूं । इस विधान पर विचार करने वाले यह भूल जाते हैं कि अधिक कठिनाई निर्धनों तथा मध्य वर्ग वालों पर आकर पड़ेगी। क्योंकि धनी व्यक्तियों को वकीलों की सहायता उपलब्ध है और वे किसी भी विधि के होते हुए अपना उद्देश्य पूर्ण कर लेंगे । अतः धनी व्यक्तियों के बारे में चिन्ता न करो, और जो मैं बताने का प्रयत्न कर रहा हूं वह यह है कि यह विधान बड़ा ही जटिल है । मैं नहीं समझता कि दुनिया की कोई भी विधि इतनी गोल है जितनी कि यह है । यह पूर्णतः गोल माल है । यह एक सरल सा विधान होना चाहिये था ।

मैं इस विधान के मूल्य सिद्धान्तों के विरुद्ध नहीं हूं, पर मैं इतना अवश्य कहूंगा क इसको एक बड़ी उलझी हुई चीज़ बना दिया गया है। प्रशासन के लिए इस विधान को लागू करना बहुत कठिन होगा और देश भर में एक बहुत बड़ी भ्रान्ति फैल जायेगी । अब मैं खण्ड ३३ के विषय में कुछ कहना चाहूंगा । यह खण्ड समष्टिकरण से संबंधित है । ऐसा कोई खण्ड ब्रिटेन के सम्पदा शुल्क विषयक अधिनियम में नहीं है । इस खण्ड को जोड़कर, मेरे विचार से, समस्याओं की वृद्धि ही की गई है । इसके फलस्वरूप उन लोगों को भी, नियंत्रक के पास विमुक्ति प्रमाणपत्र लेने के हेतु चक्कर लगाने पड़ेंगे, जो विमुक्ति सीमा के अन्दर आने वाली सम्पदा के स्वामी हैं । उनको अपनी सम्पदा के मूल्यांकन को नियंत्रक के समक्ष सिद्ध करना पड़ेगा । मैं समझता हूं कि उक्त प्रकार के लोगों पर यह एक बेकार की परेशानी लादी जा रही है । यही नहीं, इससे प्रशासन के लिए भी बहुत काम बढ़ जाता है । जैसा कि मैं अपनी विमति टिप्पणी में भी कह चुका हूं, साधारण बुद्धि के मनुष्य के लिए इस विधेयक के विभिन्न खण्डों की शब्द-योजना, व्याख्याकारी खण्डों तथा लम्बे लम्बे वाक्यों को समझ सकना असंभव सा है ।

इस विधेयक में खण्ड १७ में नियंत्रित समवाय की परिभाषा दी गई है, परन्तु उस में इस प्रकार के समवाय से संबंधित नियम नहीं दिए गए हैं यह खण्ड भी ब्रिटेन के अधिनियम से लिया गया है । पर ब्रिटेन के अधिनियम की धारा ५५ में ऐसे नियम भी दिए गए हैं । हमारे यहां ऐसे नियम बनाने का कार्य पदाधिकारियों के ऊपर छोड़ दिया गया है । मेरे विचार से यह उचित नहीं है । पदाधिकारियों के हाथों में अत्यधिक शक्ति देना खतरे से खाली नहीं होता । अतः मैं तो यही

चाहूंगा कि उक्त नियम इसी विधेयक में सम्मिलित कर लिए जाने चाहिए।

यदि हम इस विधान को बनाना ही चाहते हैं तो हमें इसको सरल रूप में रखना चाहिए। इस प्रकार का विधान इस देश में पहली बार लागू किया जा रहा है। अतः यह आवश्यक है कि वह ऐसे रूप में हो ताकि जनता इस विधि को और इसके आधार को भली प्रकार समझ सके। अभी जो इसका रूप है उसमें न तो लोग ही और न प्रशासक ही इस विधि को समझ पाते हैं।

जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं, मैं सिद्धान्त रूप से इस विधेयक का समर्थक हूं। पर इसमें कुछ गलतफहमियां भी हैं। संविधान के निदेशक तत्वों में से एक यह है कि "अर्थिक-व्यवस्था इस प्रकार चले कि जिससे धन और उत्पादन साधनों का सर्व साधारण के लिए अहितकारी केन्द्रण न हो।" मैं आपका ध्यान "सर्व साधारण के लिए अहितकारी" शब्दों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मैं यह पूछता हूं कि क्या ऐसा कोई कार्य करना अच्छा है जिससे देश की उत्पादन शक्ति घटने जा रही हो? मैं यह कहना चाहता हूं कि इस प्रकार के विधानों के संबंध में सब से पहली बात यह देखनी चाहिए कि उस के फलस्वरूप देश के उत्पादन पर विपरीत प्रभाव न पड़े।

मेरे विचार से इस विधान को भूतलक्षी प्रभाव प्रदान करना संविधान के विरुद्ध होगा।

पंचवर्षीय योजना के संबंध में कुछ उत्तरदायित्व गैर सरकारी क्षेत्रों पर भी डाला गया है। मैं ने लोगों को यह कहते हुए सुना है कि गैर सरकारी क्षेत्र अपने उत्तरदायित्व को नहीं निबाह रहे हैं। १० म० पू०

पर वास्तव में दशा ऐसी है कि वे अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह उचित रूप से कर ही नहीं सकते। आयकर अधिनियम भी नए उद्यमों के साथ प्रारंभ में विशेष रियायत करता है। पर ऐसी कोई व्यवस्था इस विधान में नहीं कि गई है। यही कारण है कि नए उद्यम प्रारम्भ करने के हेतु लोगों को कोई भी प्रोत्साहन नहीं मिलता। अतः मैं वित्त मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि वे इस समस्या पर निष्पक्ष रूप से विचार करें।

विमुक्ति के संबंध में मेरा विचार यह है कि उसकी सीमा एक लाख रुपए से अधिक होनी चाहिए क्योंकि आजकल के एक लाख रुपए युद्ध-पूर्व के २५,००० रुपयों के ही बराबर हैं। मैं समझता हूं कि यदि मेरा सुझाव स्वीकार कर लिया जाये तो मध्यम वर्ग के व्यक्ति के पास इतनी सम्पदा बच सकेगी कि वह अपने बाल बच्चों आदि के प्रति अपने उत्तरदायित्वों को पूरा कर सके।

इंगलैंड में समष्टिकरण का कोई प्रश्न नहीं है। वहां का सिद्धान्त यह है कि चूंकि वही सम्पत्ति समष्टिकरण के योग्य होती है जिस पर सम्पदा शुल्क लगाया जा सकता है। अतः वह सम्पत्ति जिस पर शुल्क नहीं लिया जा सकता अथवा जो शुल्क से विमुक्त है, वह समष्टिकरण से भी विमुक्त होती है। मैं कहना यह चाहता हूं कि यदि आप इंगलैंड के अनुसार ही अपनी विधि बनाना चाहते हैं तो आपको उसके लाभदायक खण्डों को भी लेना चाहिये।

श्री पाटस्कर (जलगांव) : मैं विधेयक के बनाने के ढंग तथा इसके उपबन्धों को क्रियान्वित करने के हेतु केन्द्रीय राजस्व बोर्ड

[श्री पाटस्कर]

और कुछ अन्य प्राधिकारियों को दी गई शक्तियों के विषय में कुछ कहना चाहता हूं।

मेरे विचार से इस विधेयक के सम्बन्ध में जो वादविवाद हुआ है वह न्यूनाधिक ग़लत ढंग पर हुआ है। इसके सम्बन्ध में मुख्य रूप से दो प्रकार के विचार व्यक्त किये गये हैं। एक तो यह कि इसके द्वारा राज्यों को बहुत सहायता प्राप्त हो सकेगी, और दूसरा यह कि इसके द्वारा भारतीय समाज की नीवों पर प्रहार होने जा रहा है। मैं समझता हूं कि ये दोनों ही दृष्टिकोण ग़लत हैं। हमको इस विधान को एक सीधी साधी करारोपण व्यवस्था के रूप में देखना चाहिये।

हमें मुख्य रूप से यह देखना चाहिये कि क्या यह विधान उचित रूप में बनाया गया है और क्या यह बिना अन्यायपूर्ण हुये अपने उद्देश्य एवं प्रयोजन की पूर्ति कर सकेगा?

दूसरा विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या इस नये विधान के फलस्वरूप देश में अनन्त मुक़दमेबाज़ी फैल जायगी अथवा यह एक सीधी सी व्यवस्था है जो सरल रीति से क्रियान्वित हो सकती है।

जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं, मेरे विचार से उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण के कारण बहुत सी ग़लतफ़हमियां हो गई हैं। उसमें जो यह दावा किया गया है कि इस विधान के द्वारा बहुत हद तक धन का असमान वितरण ठीक किया जा सकता है, शायद ही पूरा हो सके क्यों कि किसी भी देश में अभी तक ऐसा सम्भव नहीं हो सका है। अतः यह दावा बहुत लम्बा चौड़ा है। इससे लोगों के मस्तिष्क में ग़लत विचार उठते हैं।

श्री गाडगिल के समान, मेरा भी यह विचार है कि यह विधेयक हमारी जनसंख्या के एक बहुत थोड़े से भाग को प्रभावित कर सकेगा अतः इससे किसी आश्चर्यजनक परिणाम की आशा नहीं की जानी चाहिये।

मेरे विचार से कुछ ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिये ताकि यह विधेयक मिताक्षर, दायभाग तथा अन्य सभी विधि प्रणालियों पर समान रूप से लागू हो सके। इससे पक्षपात की भावना दूर हो जायेगी। मेरा अनुमान है कि ऐसा, कदाचित हिन्दू संहिता विधेयक (हिन्दू कोड बिल) के विरोधियों के इस विधेयक के प्रति विरोध से बचने के कारण, नहीं किया गया है। सरकार को इस प्रकार डर कर काम नहीं करना चाहिये।

खण्ड ९ जिस पर काफ़ी वाद-विवाद हो चुका है, के सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि उसमें 'सदभाव' शब्द की कोई आवश्यकता नहीं प्रतीत होती। इस शब्द के जुड़ जाने से करदाताओं के लिये एक कठिनाई और बढ़ जाती है—भेंट को सद्भाव से की गई प्रमाणित करने की। एक बात और है, वह यह कि इस विधेयक के उपबन्धों के आधीन कार्यपालिका के प्राधिकारियों को बहुत अधिक शक्तियां दे दी गई हैं। ये प्राधिकारी खण्ड ४ के अनुसार बोर्ड, सम्पदा शुल्क के नियंत्रक तथा मूल्यांकन कर्ता हैं।

इस विधेयक को बनाने वालों ने ब्रिटिश अधिनियम के उपबन्धों को ज्यों का त्यों उठा कर रख दिया है। इसका कारण यह बताया गया है कि ऐसा करने से ब्रिटेन में हुये निर्णयों की सहायता प्राप्य हो सकेगी। पर वास्तव में इसके कारण इस विधेयक में बहुत अधिक जटिलता आ गई है। शब्दावली को लेने से अच्छा तो यह होता है कि हमने ब्रिटिश अधिनियम का विचार, आधार और सिद्धान्त ले लिया होता और उसके आधार पर अपनी परिस्थितियों के अनुसार अपने शब्दों में इसको बनाया होता।

अब मैं अधिनियम को लागू करने के ढंग की ओर आता हूं । उदाहरण के लिये खण्ड ३५ में कहा गया है कि किसी भी सम्पति का मुख्य मूल्य वह माना जायेगा जो, नियंत्रक के विचार में, मृतक व्यक्ति की मृत्यु के समय उसके लिये खुले बाज़ार में मिलेगा । इस खण्ड में "नियंत्रक के विचार में" शब्द अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं । इन शब्दों के द्वारा नियंत्रक का विचार स्वच्छन्द हो जायगा । यह बात बहुत अनुचित एवं अन्यायपूर्ण प्रतीत होती है । अतः इन शब्दों को हटा देना चाहिये ।

यही बात खण्ड ४९ में भी है । यह खण्ड शुल्क को वसूल करने के ढंग से सम्बन्धित है । इस खण्ड में कहा गया है कि सम्पदा शुल्क ऐसे तरीक़ों और ढंग से वसूल किया जा सकता है जो बोर्ड विहित करे । इस प्रकार इस सम्बन्ध में सारी शक्तियां बोर्ड को दे दी गई हैं । यह भी अनुचित है । मैं तो चाहूंगा कि सम्पदा शुल्क ऐसे तरीक़ों से वसूल किया जाना चाहिये जो हम लोग विहित करे न कि जो बोर्ड विहित करे ।

पहले जब कभी कार्यपालिका तथा जनता के बीच कोई झगड़ा होता था तो वह एक स्वतन्त्र न्यायपालिका के निर्णय पर छोड़ दिया जाता था । किन्तु आजकल न्यायपालिका को एक प्रकार से अलग सा कर दिया जाता है । क्या यह आवश्यक नहीं है कि इस मामले में भी न्यायपालिका अधिकारी निर्णय करे । मेरा अभिप्राय यह नहीं है कि बोर्ड के अधिकारी भूल करेंगे, किन्तु यह अच्छा होता यदि हम कुछ ऐसे उपबन्ध बना देते जिसके द्वारा विपक्षी दल न्यायालय जा सकते और वहां इसका निर्णय करा सकते । यदि वे आम न्यायालय जाना नहीं चाहते तो कम से कम न्यायाधिकरण तो जा सकते हैं । इस प्रकार से जनता में विश्वास की भावना बढ़ती । और जनता यह जान सकती कि सभी कार्य केवल प्रशासन के आधार पर ही नहीं होता ।

जहां तक मैं समझ सका हूं वहां तक यह ठीक है कि सरकार ही नियम बनाती है और वह विधान मंडल के सम्मुख उत्तरदायित्व है । किन्तु हम देखते हैं कि खंड ८१ के अनुसार बोर्ड को नियम बनाने का अधिकार दिया गया है । मैं कह नहीं सकता कि क्या यह वैधानिक रूप से ठीक और उचित है तथा यह प्रतिनिधिमंडल ठीक भी है । यह बात दूसरी थी कि सरकार ने इस बोर्ड से परामर्श लिया होता किन्तु भला इसकी आवश्यकता कहां थी कि सभी कुछ इस बोर्ड पर अकेले निर्णय करने के लिये छोड़ दिया जाता । अतएव खंड ५९, ४९, ८१ तथा दूसरे उपबन्धों में यह प्रकट है कि बोर्ड द्वारा निश्चय करने के लिये सभी मामला छोड़ दिया जाता है । अन्त में वित्त मंत्री से मेरा यह नम्र निवेदन है कि वह एक न्यायपालिका की स्थापना करें ताकि जहां जाकर एक व्यक्ति इन मामलों को तै करा सके । जब हम इस विधान का खंडशः विवेचन करेंगे तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि यह अधिक से अधिक सादा बने ताकि इतिहास में इस विधान की सफलता के बारे में लिखा जा सके । हमें ऐसा प्रयत्न करना चाहिये कि यह सभी के लिये एक समान हो तथा जनता में हम इसका प्रचलन उचित तथा न्यायपूर्वक कर सकें ।

श्री मुरारका (गंगानगर—झुंझनू) : इसके बारे में दो विचारधारायें हैं । एक दल तो कहता है कि यह विधान बहुत नरम है जब कि दूसरा कहता है कि यह बहुत कठोर है । जैसा कि आप सभी भलीभांति जानते हैं कि मृत्य शुल्क सर्वप्रथम यहां लागू किया जा रहा है, अतएव हम सही तौर

[श्री मुरारका]

पर यह नहीं कह सकते कि इस विधान का प्रभाव हमारी बचत पर कैसा पड़ेगा । अतएव प्रारम्भ में इसका भी वही रूप होगा जैसा कि सभी नई चीज़ों का प्रारम्भ हुआ करता है । किन्तु जब हम देखेंगे कि इस विधान के द्वारा उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो रही हैं तो इस विधान के उपबन्धों को बदलने की हमें स्वतन्त्रता है तथा इस शुल्क की दरें भी बदल सकते हैं । किन्तु प्रारम्भ में इसको कठोर बनाना अच्छा नहीं लगता ।

इस विधान का मुख्य उद्देश्य समाज की आर्थिक असमानता को दूर करना है । यह असमानता एक रात्रि अथवा एक वर्ष में समाप्त नहीं हो सकती । इसके लिए एक निश्चित समय चाहिए । इन बड़ी बड़ी सम्पदाओं को नष्ट करते समय हमें यह देखना होगा कहीं समाज को ऐसी हानि न पहुंच जाये जो कि इन बड़ी बड़ी सम्पदाओं द्वारा कभी भी नहीं हो सकती थी । एक दूसरी बात यह भी है कि यदि इन उपबन्धों को कठोर और क्रांतिकारी बना दिया जाता है तो इसका असर निश्चय ही हमारी बचत पर पड़ेगा । और बचत की प्रवृत्ति तथा पूंजी लगाने की भावना एक प्रकार से लुप्त सी हो जायगी ।

दूसरे लोगों का विचार है कि यह विधान बहुत कठोर है और विमुक्ति सम्बन्धी उपबन्ध बहुत कम और थोड़े हैं । मैं कहता हूं कि प्रवर समिति द्वारा विमुक्ति के बारे में जो सिफारिशें की गई हैं वे न केवल उचित और अच्छी हैं अपितु ठीक भी हैं । न्यूनतम विमुक्ति प्रत्येक देश को अपनी आवश्यकतानुसार करनी पड़ेगी । हमारे यहां सर्वप्रथम मृतक का भाग निश्चित किया जायगा, और उस भाग में से न्यूनतम विमुक्ति ५० हजार घटा दिया जायगा, और शेष पर मृत्यु शुल्क लगेगा ।

[श्रीमती अम्मू स्वामीनाथन अध्यक्ष पद पर आसीन थी]

मुझे प्रवर समिति के एक सदस्य का यह मत जानकर, बड़ा आश्चर्य हुआ कि वह चाहते हैं कि जब तक सभी राज्य कृषि भूमि के सम्बन्ध में प्रस्ताव पास नहीं कर देते हैं तब तक कृषि सम्पत्ति पर यह मृत्यु शुल्क लागू नहीं होगा । यदि कृषि भूमि पर सम्पत्ति शुल्क नहीं लगता तो यह निश्चय लगता है कि बड़े बड़े जागीरदार, ज़मींदार आदि पर भी यह सम्पदा शुल्क नहीं लगेगा । यदि कृषि भूमि पर यह शुल्क नहीं लगता तो कृषिकर तथा जो कृषि नहीं करते हैं उनमें महान अन्तर हो जायगा । एक ढंग है जिसके द्वारा इन कर दाताओं के आश्रितों को कुछ राहत पहुंचाई जा सकती है और वह है इनके लिये उचित निवृत्ति-वेतन का प्रबन्ध करना । इसके लिए राज्य द्वारा यह निवृत्ति-वतन दिलाने का प्रयत्न सदस्यों द्वारा किया जाना चाहिए ।

इस विधेयक का मुख्य खण्ड ९ है जिसमें मृत्यु से पूर्व किसी निश्चित समय में भेंट आदि देने का वर्णन है । इस विधेयक के अनुसार साधारण भेंट के लिए दो वर्ष तथा पूर्त के लिए छः महीने का समय दिया गया है । कुछ लोगों का विचार है कि यह दो वर्ष का समय हटाकर एक वर्ष कर दिया जाय तथा छः महीने के समय को बिल्कुल ही समाप्त कर दिया जाय । इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य बड़ी बड़ी सम्पदाओं को छोटे छोटे भागों में बांटना है । मेरे विचार में यह दो वर्ष का काल बिल्कुल ठीक है ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा (पटना-पूर्व) : राजनैतिक तथा आर्थिक दृष्टि से यह विधेयक ठीक है तथा निर्धनों को प्रसन्न

करने में सहायता देगा । देश की आर्थिक व्यवस्था को सुधारने, निर्धनता को दूर करने, सम्पत्ति के बारे में हुई असमानता को दूर करने में यह विधेयक सहायक होगा ।

योजना के प्रति सद्भावनाएं व्यक्त करने के पूर्व मैं प्रस्तुत विधेयक के कतिपय विन्दुओं के विषय में कुछ कहूंगी । उसमें कुछ ऐसे विन्दु हैं जिन पर वित्त मंत्री को पुनर्विचार करना चाहिये । किसी भी व्यक्ति अथवा राष्ट्र को प्रसन्न करने की अपेक्षा उसे दुखी बनाना सरल है । यदि इस विधेयक को शीघ्रतापूर्वक पल्लवित, पुष्पित किया जाकर केवल अनुकरण पर ही उसका प्रतिष्ठापन किया गया तो उससे लाभ की अपेक्षा हानि अधिक होगी ।

निर्धनता से युद्ध करने की दृष्टि से ऊल-जलूल तरीके से किये गये नियंत्रण के परिणामस्वरूप देश की नवनिर्मित आर्थिक व्यवस्था क्षीण हो रही है और यह कथा के उस अरब सरदार का स्मरण करा देती है जिसने शत्रुओं को मारने की नीयत से सब कुओं में विष घोल दिया था । सरदार इस तथ्य को सर्वथा भुला बैठा कि उसकी जाति वालों के लिये भी जल का अन्य साधन उपलब्ध नहीं है ।

हमारे देश में जीवनबीमा अपने शैशवकाल में है । प्रवर समिति ने मृत व्यक्ति की बीमा पालिसी के सम्बन्ध में पांच हजार रुपयों की निधि को कर-मुक्ति की सीमा निश्चित किया है । हम जानते हैं कि बीमा व्यवसाय अभी इस देश में अपनी प्रारम्भिक अवस्था में है और जनता में अभी बीमा प्रवृत्ति का विकास करना शेष है । प्रवर समिति के दृष्टिकोण से बीमा प्रवृत्ति के विकास में ठेस पहुंचना अवश्यम्भावी है । देशवासियों में बीमा के प्रति सजगता की दृष्टि करने की आवश्यकता है क्योंकि यह देश के लिये महत्वपूर्ण होने के साथ ही बचत का उपयुक्त माध्यम है और बचत पर ही देश में पूंजी की वृद्धि निर्भर है ।

हमारे देश की विशिष्ट परम्परा के कारण उसका महत्व और भी अधिक है । राज्य द्वारा प्रेरित किसी भी ऐसी योजना के अभाव में व्यक्ति की वृद्धावस्था में तथा परिवार के प्रमुख भरणपोषण कर्त्ता की असामयिक मृत्यु की स्थिति में जीवन बीमा अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होता है । जब तक सरकार इस दिशा में कोई प्रबंध नहीं करती कम से कम उसे छोटी बचत योजना के प्रतीक बीमा व्यवसाय में कोई व्यवधान खड़ा नहीं करना चाहिय । बड़े बड़े पूंजीपतियों और प्रमुख उद्योगपतियों पर इसका प्रभाव नहीं के बराबर है । केवल मध्यवर्गीय जनता ही बीमे में रुचि रखकर रुपया संचित करती है । अतः पांच हजार रु० की निधि सीमा अल्प है और उम्मीद है कि वित्त मंत्री इस पर पुनः विचार करेंगे ।

तृतीय बीमा अधिनियम, १९३८ के उपबंधों के विषय में इस आशय का प्रभाव-पूर्ण समर्थन किया जा सकता है कि पालिसी के लिये नामनिर्देशन और सशर्त अभिभाजन अत्यन्त उपयोगी हैं। वर्तमान में जीवन बीमा की पालिसियों का नव्वे प्रतिशत परिवर्त्तन का गणन नामनिर्देशन और सशर्त अभिभाजन के फलस्वरूप ही है । अतः बीमा अधिनियम द्वारा प्रदत्त लाभ से पालिसी अधिकर्त्ताओं को वन्चित करने का प्रयत्न श्रेयस्कर नहीं है । ९ वें खण्ड में कहा गया है कि मृत्यु से कम से कम दो वर्ष पूर्व मृतक व्यक्ति द्वारा सद्भावना पूर्ण दिये गये उपहार सम्पदा शुल्क से मुक्त हैं । कुछ व्यक्तियों को सन्देह है कि यह कर-मुक्ति क्या उस द्रव्य उपहार पर भी व्यवहृत है जो कि

[श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा]

जीवन बीमा पालिसी के अन्तर्गत दिया गया है। किन्तु मेरी धारणा है कि जीवन बीमा पालिसी के अन्तगत आये हुए उपहारों में और सम्पत्ति सम्बंधी अन्य उपहारों में अन्तर नहीं है। अतः वित्त मंत्री से मेरा सुझाव है कि वह नवें खन्ड को संशोधित करते हुए यह स्पष्ट कर दें कि जीवन बीमा पालिसी विषयक भेंट भी कर मुक्ति में सम्मिलित है। ब्रिटेन में इसी तरह की व्यवस्था है।

अब मैं दसवें खण्ड पर आती हूं। इसके अनुसार उपहार प्राप्त करने वाला व्यक्ति सम्पत्ति के उपभोग और दायित्व पर शीघ्र ही अधिकार प्राप्त कर लेता है और उपहार देने वाले को पूर्णतया पृथक कर दिया जाता है। क्या इस तरह की युक्तिहीन शर्त लगाना उचित है कि दान देने वाला स्वयं को पालिसी के हितों से पूरी तरह अलग कर ले। मुझे भय है कि इस उपबंध से समस्त लाभ समाप्त हो जायेंगे।

अब खण्ड चौदह लीजिये। इसका समूचा निकाय अंग्रेजी अधिनियम से लिया गया है। किन्तु विधेयक के निर्माताओं ने दोनों देशों में व्याप्त परिस्थितियों की गहन विषमता पर ध्यान नहीं दिया है। इंगलैण्ड में स्त्री की पृथक आय होती है और वह अपने प्रति द्वारा पुरस्कृत पालिसी की किस्त जमा करने की स्थिति में रहती है। भारत में पृथक आय वाली स्त्रियों की संख्या नगण्य है। केवल पांच प्रतिशत स्त्रियां इस कोटि में आती हैं। उन्हें इंग्लैंड के महिला वर्ग की भांति स्वत्व प्राप्त नहीं है। इसलिये अंग्रेजी नियम के कानून और अधिनियम भविष्य के लिय चिन्तनीय स्थिति उत्पन्न कर देंगे।

अतः मेरा मत है कि विधेयक में इस विषय में स्पष्ट रूप से उस आशय का उपबन्ध समाहित कर देना चाहिये कि जहां पालिसी का द्रव्य उल्लिखित हिताधिकारी को देय है उस स्थिति में कम से कम तीस हज़ार रुपये की निधि तक सम्पदा शुल्क नहीं लिया जायगा।

मैं श्री तुलसीदास किलाचन्द के विमति लेख से पूर्णतया सहमत हूं कि सम्पदा का मूल्य निर्धारण करने के लिये सम्पदा शुल्क का नियंत्रक ही प्रथम प्राधिकारी है और उसके विरुद्ध पुनरावेदन के प्रार्थनापत्र की सुनवाई केन्द्रीय राजस्व बोर्ड में होगी किन्तु चूंकि दोनों एक ही विभाग से सम्बंधित हैं पुनरावेदन अधिक उपयोगी सिद्ध नहीं हो सकता। मैं श्री तुलसीदास किलाचन्द के मत से सहमत हूं क्योंकि प्रस्तुत व्यवस्था का अर्थ उस उद्देश्य को पूर्णतया कुण्ठित कर देना है जो स्वतंत्र अधिकरण द्वारा निष्पक्ष निर्णय के पक्ष में है। कर दाता को स्पष्ट रूप से यह अनुभव होना चाहिये कि उस के साथ न्याय किया गया है। एक स्वतंत्र पुनरावेदन अभिकरण की स्थापना अनिवार्य है। केवल इतना ही यथेष्ट नहीं है कि न्याय किया गया है किन्तु यह भी आवश्यक है कि प्रकट रूप से यह आभास हो कि न्याय किया गया है।

एक बात और। संसार के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री, जिनमें प्रो० पीगू और डा० डालटन भी सम्मिलित हैं, इस तथ्य के समर्थक रहे हैं कि मृत्यु-कर छोटे पैमाने के उद्योग धंधों के लिये निवर्चक नहीं है किन्तु ब्रिटन से इस आशय के भयावह वृत्तान्त प्राप्त हुए हैं कि किस तरह मृत्यु कर ने वृहद अनुपात में छोटे छोटे व्यापार को हानि पहुंचाई है। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया है कि मृत्यु करों

से उद्योग इनेगिने व्यक्तियों तक द्रुतगति से सीमित हो रहा है। किन्तु ही लघुकाभिक समवायों के लिये यह नितान्त असम्भव हो गया है कि वे अपने उपकरणों और सयंत्रों को आधुनिक रूप दे सकें। यदि व्यक्तिगत सम्पदा और धन पर मृत्यु कर जारी रहेंगे तो अर्थ व्यवस्था के एक महत्वपूर्ण अंग का निरन्तर ह्रास होता रहेगा, ऐसी उन की धारणा बन चली थी।

यदि उपर्युक्त प्रवृत्ति ने हमारी आर्थिक व्यवस्था में प्रवेश कर लिया तो यह बड़ी दुर्धटना होगी। अतः मेरा सुझाव है कि लधुकाभिक उद्योगों को सम्पदा शुल्क से भाराक्रांत नहीं होने देना चाहिये क्योंकि स्वस्थ स्पर्द्धात्मक अर्थ-व्यवस्था का अस्तित्व आवश्यक है।

छोटे छोटे उद्योग नन्हें पौधों की भांति हैं। यही पौधे आगे चलकर वृहदाकार वृक्षों का रूप धारण करेंगे किन्तु हमें यह देखना है कि कहीं बड़े वृक्ष इन पर न छा जायें।

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूव): इस विधेयक पर बोलते समय मेरे हृदय में अनेक विचार आ रहे हैं। मेरी इच्छा थी कि मैं वित्त मंत्री को उनके इस कार्य के लिये बधाई दूं। और हम ने वस्तुतः कार्यवाही के आरम्भ में इस व्यवस्था का स्वागत किया था। किन्तु मुझे खेद है कि जिस रूप में यह व्यवस्था प्रस्तुत की गई है वह हमारी इच्छा को अपूर्ण ही छोड़ देती है। मेरी अभिलाषा है कि यह विधेयक शीघ्र ही विधि-ग्रंथ में सम्मिलित कर लिया जाय किन्तु अच्छा हो कि इस के पूर्व उसके रिक्त अंशों को दूर कर दिया जाय। वित्त मंत्री ने, जो प्रायः हमारी आलोचनाओं का उत्तर नहीं देते हैं, पहले कहा था कि प्रवर समिति इस विधेयक पर हमारी इच्छानुसार यथेष्ट विचार करेगी परन्तु ऐसा हुआ है।

[**श्री पाटस्कर** अध्यक्ष पद पर आसीन थे]

कुछ समय पूर्व माननीय मित्र श्री मुरारका ने जो भाषण दिया था मैं ने उसे ध्यान पूर्वक सुना है। उन्होंने कहा था कि इस देश की प्रजातांत्रिक परम्पराऐं कुछ इस प्रकार हैं कि हम समानता के आधार पर समाज रचना का प्रस्ताव नहीं रख सकते। उस दिन महाभारत पढ़ते समय संबर का प्रसंग देखने को मिला। संबर एक सन्यासी था। उसकी टीकाऐं इस बात का प्रमाण थीं कि वह निर्धनता ही नहीं किन्तु निर्धनता जन्म पतन से भी पूरी तरह परिचित था। उसका विचार था कि निर्धनता मृत्यु है, निर्धनता पर्यायमरण है, और गरीबी से बढ़कर कोई पाप नहीं है। इसी तरह की एक कथा और मुझे याद आ रही हैं। ध्रुव तपस्या में लीन थे। स्वर्ग के अधीश्वर इन्द्र ध्रुव के आसन की ओर लालायित हुए। विष्णु बालक ध्रुव के तप से प्रसन्न हो कर उसके सम्मुख प्रकट हुए। उन्होंने बालक से तपस्या का अंत कर वर मांगने को कहा। ध्रुव ने उत्तर दिया, "जगत में शान्ति हो। मुझे वरदान नहीं चाहिये।" यह हमारे देश की परम्परा है। गौतम बुद्ध ने हमें इसी परम्परा से अवगत कराया है। यह बड़े शर्म और दुःख की बात है कि हम अपने देश के अतीत की परम्परा से दूर होते जा रहे हैं। हम साम्यवादियों के प्रति कुछ भी कहा जाय किन्तु मैं कह सकता हूं कि हम सदैव इस बात के समथक रहे हैं कि हमारे देश की परम्परा में जो महानतम और सुन्दरतम तत्व हैं उनका पूर्ण और यथार्थ उपयोग किया जाय।

सम्पदा शुल्क से धन की वृद्धि में बाधा नहीं होती है। ब्रिटेन और अमेरिका में

[श्री एच० एन० मुकर्जी]

जहां कि उक्त शुल्क विद्यमान है उद्योग धन्दे और पूंजी काफ़ी प्रगति कर रहे हैं। हमारे देश के राजाओं, सामन्तों, उद्योगपतियों आदि के पास काफ़ी मात्रा में धन सञ्चित है। हमें मालूम है कि श्री त्यागी ने एक बार १०३ करोड़ रुपये की निधियों का पता लगाया था। कहा जाता है कि हमारे देश में २५ करोड़ रुपये का प्रतिदिन सोने का लेन-देन होता है। बैंकों के सुरक्षा-गृहों में आशातीत धनराशि पड़ी हुई है और यही कारण है कि हमारी पञ्चवर्षीय योजना एक लड़खड़ाता उपकरण है।

खाद्य मंत्री ने भी एक बार कहा था कि देश में काफ़ी मात्रा में खाद्य पदार्थ होते हुए भी हम अभाव की दशा में रहते हैं। इन सब का कारण सरकार की अकुशलता, अदूर-दर्शिता और सामाजिक तथा आर्थिक परिवर्त्तन के प्रति जनता की उत्सुकता का निर्देशन न कर देश में अवसर की समानता न प्राप्त करना ही है। प्रस्तुत व्यवस्था हमें अपने उद्देश्य तक नहीं ले जाती है। कर मुक्त करने की रकम की गणना उचित नहीं है। मैं इसमें परिवर्त्तन करने का आग्रह नहीं करता हूं किन्तु प्रवर समिति में यह तथ्य कभी प्रस्तुत नहीं किया गया था कि मिताक्षरा और दायभाग रीतियों की विषमता के अवसर पर करमुक्त रकम कितनी होनी चाहिये। यह विवाद केवल इस लिय उत्पन्न हुआ है कि सरकार में देश और सदन के समक्ष तथ्य प्रकट करने की सामर्थ्य नहीं है।

दूसरे, इस का कोई कारण दृष्टिगत नहीं होता कि सरकार पांच वर्ष की अवधि निश्चित क्यों नहीं कर देती है इंगलैण्ड में यह अवधि पांच वर्ष ही थी। इस सम्बन्ध में मैं कर्नल वेजवुड द्वारा लिखित "उत्तराधिकार की अर्थ-व्यवस्था" का एक उद्धरण प्रस्तुत करता हूं। लेखक ने लिखा है कि इस की अधिक सम्भावना है कि पचास हज़ार रुपया अथवा इस से अधिक सम्पत्ति वाले औसत व्यक्ति अपने जीवन काल में उत्तराधिकारियों तथा अन्य व्यक्तियों को अपनी सम्पत्ति का चतुर्थांश से कम नहीं देते हैं।

मैं नहीं समझ सकता कि छूट की सीमा इतनी कम क्यों होनी चाहिये। वह अवधि जिस के अन्दर मृत्यु से पहले दी गई भेंट पर शुल्क लग सकेगा दो से पांच वर्ष तक बढ़ा देनी चाहिये।

मैं पुण्यार्थ तथा निजी प्रन्यासों को विमुक्ति दिये जाने के विरुद्ध हूं। दान पर, चाहे वह किसी प्रकार का हो, निभर करना अपमान जनक बात है और हमें इस के विरुद्ध आवाज़ उठानी चाहिये।

विदेशी हितों या कम्पनियों के सम्बन्ध में कुछ कठोर पग उठाने पड़ेंगे। उन्हें दोहरे करारोपण से बचाने के लिये कुछ अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय होते हैं और प्रतिभूतियां दी जाती हैं। किन्तु इन अभिसमयों के होते हुए भी भारत में विदेशी पूंजी की स्थिति ऐसी है कि इन के लिये विशेष उपबन्ध करने की आवश्यकता है, ताकि ये हित करारोपण से साफ़ न बच जाय।

इस के बाद मैं राजाओं के मामले की ओर निर्देश करना चाहूंगा। हमें ज्ञात है कि संविधान में इन राजाओं को कुछ सुरक्षण दिये हैं। किन्तु य उन की सम्पत्ति के बारे में नहीं हैं। पहले कई अवसरों पर यह जानने के प्रयत्न किये गये हैं कि राजाओं और राजप्रमुखों की निजी सम्पत्ति के बारे में जो समझौते किये गये हैं, वे किस प्रकार के हैं, किन्तु सरकार ने सदा यह जानकारी देने से इनकार किया है। यह सदन के लिये चिन्ता की बात है। सरकार को

इन समझौतों की तफ़सील बतलानी चाहिये। यदि उन की सम्पत्ति के थोड़े से अंश को भी राष्ट्र के विकास के लिये प्रयोग किया जाये तो इस से देश काफ़ी प्रगति कर सकेगा। मैं आशा करता हूं कि वित्त मंत्री इस विषय पर एक प्रामाणिक वक्तव्य देंगे। इन राजाओं में निस्संदेह कुछ गुण हैं, किन्तु हम नहीं चाहते कि वे अपने विशेषाधिकारों और निजी-थैलियों को बनाये रखें। इन का जमाना अब गुज़र चुका है।

श्री अच्युतन (क्रेंगान्नूर) : मैं इस सीधे-साधे विधेयक का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि इस के बाद सदन में इस प्रकार के और विधेयक जसा कि उत्तराधिकार शुल्क विधेयक, दाय शुल्क विधेयक पारित किये जायेंगे, ताकि धनवानों से रुपया ले कर ग़रीबों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

जहां तक विधयक के उपबन्धों का सम्बन्ध है, जसा कि ये प्रवर समिति से वापस आये हैं, मैं इन का स्वागत करता हूं। भेंट और सार्वजनिक दानों के बारे में बहुत चर्चा हुई थी। मैं इस बात पर श्री गाडगिल से सहमत हूं कि आगे से देश में जो दान दिये जायं, वे उचित दान होने चाहियें और सरकार को उपयुक्त संशोधनों द्वारा यह बतलाना चाहिये कि वह किस प्रकार के दानों का स्वागत करेगी और किस प्रकार के दानों को रोकना चाहेगी।

शीघ्र उत्तराधिकार के बारे में खंड ३० में जो उपबन्ध किया गया है, मैं उस से पूर्णतया सहमत हूं।

विमुक्तियों के सम्बन्ध में, मैं यह कहना चाहूंगा कि दायभाग वाले लोगों को अधिक सुविधाएं दी जानी चाहियें। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री भिन्न भिन्न विधानों के कारण उत्पन्न होने वाले विभेद को कम करने का प्रयत्न करेंगे। मेरे विचार में यदि कोई ऐसा उपबन्ध किया जा सके, जिस से कि हम इस विधेयक के प्रयोजन के लिये केवल एक प्रक्रिया या तो दायभाग या मिताक्षर का अनुसरण करें, तो दोनों प्रकार के लोगों को कोई शिकायत न होगी।

मैं समझता हूं कि सामाजिक दृष्टिकोण से इस विधेयक का बहुत अच्छा प्रभाव पड़गा। अब धनवान लोग यह समझगे कि बहुत रुपया इकट्ठा करने का कोई लाभ नहीं और भावी संतत्ति भी यह समझगी कि उसे पूर्वजों की सम्पत्ति पर निर्भर नहीं रहना चाहिय। मेरे विचार में देश में उत्साह और उद्यम की भावना पैदा होगी और संयुक्त कुटम्ब प्रणाली और सहांशभागी प्रणाली का धीरे धीरे अन्त होगा।

श्री एन० राचय्या (मैसूर—रक्षित अनुसूचित जातियां) : मैं इस महत्वपूर्ण विधि का जो कि देश के हित के लिये है, समर्थन करता हूं। मेरे विचार में यह असमानता को दूर करने का उत्तम साधन है और इस से गरीब जनता का जिस के प्रतिनिधि बन कर हम यहां आये हैं, बहुत भला होगा। इस लौकिक राज्य में, धनवान लोगों का यह कर्तव्य है कि वे भारतीय खज़ाने के लिये अंशदान दें, ताकि गरीब लोग समाज में अपना उचित स्थान प्राप्त कर सकें और देश का प्रत्येक व्यक्ति मानवीय जीवन व्यतीत कर सके। सरकार को इस प्रकार के विधेयक शीघ्रातिशीघ्र पारित करने चाहिये, क्योंकि गरीब लोग न्याय चाहते हैं। इस दिशा में सरकार ने एक साहसपूर्ण पग उठाया है।

जहां तक पूर्त संस्थाओं का संबंध है, मेरी राय है कि ऐसी संस्थायें केवल राज्य द्वारा ही चलाई जायें, ग़ैर-सरकारी एजेन्सियों द्वारा नहीं, वरन, जैसा श्री तुलसीदास ने कहा, इस विधेयक से धनी व्यक्तियों या

[श्री एन० राचय्या]

पूंजीपतियों को कर से बचने का मौक़ा मिल जायेगा। धनी लोग दान देने के ख्याल से या अपनी बड़ाई के लिये इस अवसर का लाभ नहीं उठायेंगे बल्कि कर से बचने और अपनी जाति या अपने संबंधियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिये ऐसा करेंगे। इससे अन्त में ग़रीब लोगों को हानि होगी और सरकार को भी कर न मिल सकेगा।

कुछ लोगों ने अवधि को बढ़ाने के लिये कहा है और कुछ ने उसे कम करने के लिये। मेरा विचार यह है कि धनी लोगों को कोई छूट न दी जाये क्यों कि यह लोग हमेशा कर से बचने का प्रयत्न करते हैं और समाज के हित को ध्यान में न रख कर अपने स्वार्थ की ही सिद्धि में लगे रहते हैं।

एक माननीय सदस्य का यह सुझाव है कि सीमायें ३०,००० और ५०,००० रखी जायें ताकि अधिक लोगों पर कर लगाया जा सके। ऐसा करने से सरकार को अधिक आय होगी और उसे अपनी विकास योजनाओं के लिये पैसा अधिक मिल सकेगा।

मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि विधेयक में देशी राजाओं को कोई छूट नहीं दी गई है। देशी राजा हमेशा से ग़रीब लोगों पर ही कर लगाते आये हैं और उन्होंने अपनी आय का अधिकांश भाग निहित स्वार्थों तथा साम्प्रदायिक संस्थाओं पर ही ख़र्च किया है। आज भी इन लोगों के पास बड़ी बड़ी सम्पत्तियां हैं; अतः इन्हें इस विधेयक में कोई छूट नहीं दी जानी चाहिये। हमारे देश में यह सबसे पहला क़ानून है जिसके द्वारा हमें काफ़ी राजस्व प्राप्त हो सकेगा।

गत सत्र में इस विधेयक पर बोलते हुए श्री रघुरामय्या ने यह राय प्रगट की थी कि मदिरा निषेध योजना को ख़त्म कर दिया जाये। मैं समझता हूं कि यह क़ानून देश की भलाई के लिये और उसे एक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिये बहुत महत्वपूर्ण है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सरकार के लिये आवश्यक है कि वह देश में मदिरा-निषेध को पूरी तरह से लागू करे।

मुझे एक बात और कहनी है। कल्याणकारी राज्य के उद्देश्य को पूरा करने के लिये हमें भूमि सुधार संबंधी कुछ महत्वपूर्ण क़ानून बनाने होंगे। हमारे देश की आर्थिक और सामाजिक उन्नति भूमि सुधार पर ही निर्भर करती है।

मैं इस विधेयक का बलपूर्वक समर्थन करता हूं और वित्त मंत्री को इसके लाने पर बधाई देता हूं।

श्री यू० एम० त्रिवेदी: इस विधेयक पर जितने सदस्य बोले हैं, उन सबों ने यह कहा है कि इस क़ानून से धनी लोगों का पैसा कम होगा और जो लोग बहुत धनी हैं, उनका पैसा लिया जाना चाहिये। कोई यह कहता प्रतीत नहीं होता कि ग़रीबों को धनी बनाया जाना चाहिये। यदि हम इसी भावना से, जो मैं समझता हूं एक अच्छी भावना नहीं है, काम कर रहे हैं, तो हमें इस विधेयक को यहीं ख़त्म कर देना चाहिये। इस तरह का विचार हम विधान-निर्माताओं को शोभा नहीं देता। वास्तविक उद्देश्य तो राजस्व में वृद्धि करना होना चाहिये। यदि हमारा ध्येय धनी लोगों का पैसा लेना है तो इससे हमें कोई विशेष लाभ नहीं हो सकता, हमारा प्रयत्न तो यह होना चाहिये कि जो लोग ग़रीब हैं, उन्हें समृद्ध बनाया जाय। यदि हमारी भावना

यही है, तो मैं कहूंगा कि यह विधेयक अच्छा है ।

मैं विधेयक के मौलिक सिद्धान्तों पर चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि हम सम्पदा शुल्क के सिद्धान्त को पहले ही मान चुके हैं। मुझे इतना कहना है कि हम इस मामले में दूसरों की बहुत अधिक नक़ल कर रहे हैं। यदि अन्य देशों के दाय क़ानून के मुकाबले में हम मिताक्षर क़ानून को देखें तो हमें पता लगेगा कि मिताक्षर क़ानून ही विश्व भर में एक ऐसा क़ानून है जिसमें सामाजिक सुरक्षा का पूरी तरह से उपबन्ध है। किसी अन्य देश के क़ानून में यह उपबन्ध नहीं है। इस क़ानून के अनुसार क्योंकि कोई पैदा होता है उसी समय से वह अपने परिवार में हिस्से का हक़दार हो जाता है। यही एक क़ानून है जिसमें बच्चों और बूढ़ों की, जो स्वयं अपनी जीविका नहीं चला सकते, रक्षा की व्यवस्था है। परन्तु आपने क्या किया है? इस सामाजिक सुरक्षा की अन्य प्रकार से व्यवस्था किये बिना आप मिताक्षर क़ानून में अदल बदल करने का प्रयत्न कर रहे हैं, आप उसके मूल सिद्धान्तों को ही ख़त्म कर देना चाहते हैं। लोग कहते हैं कि दायभाग क़ानून भी काफ़ी प्रभावति हुआ है। अब ज़रा आप विधेयक के खंडों पर विचार कीजिये।

यदि मिताक्षर परिवार में एक १८ वर्षीय नवयुवक मर जाता है, तो सरकार एक दम उसकी सम्पत्ति की जांच करने लगेगी और अपना शुल्क ले लेगी। उस लड़के ने कभी अपने परिवार से अलग होने की इच्छा प्रगट नहीं की परन्तु फिर भी आप उसका हिस्सा अलग कर रहे हैं और सरकार को उसमें से शुल्क दिलवा रहे हैं। दायभाग में क्या होता है? यदि इस तरह कोई नवयुवक मर जाये तो कोई बात नहीं। चूंकि उसका पिता जीवित है, इस लिये उसका कोई हिस्सा नहीं है। सरकार उस मामले में शुल्क नही ले सकती। यही चीज़ मुसलमानों और ईसाइयों के बारे में है।

फिर आपने दो वर्ष का उपबन्ध रखा है। मैं नहीं समझता कि कोई व्यक्ति यह कैसे पता लगा लेगा कि दो वर्ष बाद उसकी मृत्यु होने वाली है और अब वह जो दान करना या भेंट देना चाहता है दे दे। आपने जो उपबन्ध किया है उसके अनुसार यदि मिताक्षर परिवार का कोई नवयुवक अपने परिवार से अलग हो जाता है तो यह कोई भेंट नहीं दे सकता। यदि वह १८ या १९ वर्ष का नहीं है तो वैसे ही वह भेंट नहीं दे सकता और यदि वह देता है तो क़ानून उस पर लागू हो जायेगा। मैं पूछता हूं कि मिताक्षर नवयुवकों के साथ यह असमानता क्यों बरती जा रही है?

एक मित्र ने कहा कि जो भेंट दी जाये उसके बारे में यह निश्चित किया जाये कि वे सच्ची भावना से दी गई हैं। यानी क़ानून से बचने के विचार से नहीं दी गई है। यह एक विचित्र सी चीज़ है; इसका मतलब यह है कि मृत-व्यक्ति आ कर यह संतोष कराये कि उसका उद्देश्य शुल्क से बचना नहीं था।

एक सुझाव यह दिया गया कि ब्राह्मणों को दान नहीं दिया जाये। मैं इससे सहमत हूं। मेरे विचार में दान ग़रीबों को मिलना चाहिये। परन्तु यह ब्राह्मणों और ग़ैर-ब्राह्मणों का प्रश्न, उठाया ही क्यों जाये? मैं आपको कई उदाहरण दे सकता हूं जिनमें ब्राह्मणों ने ग़रीबों के लिये तथा आम लोगों की भलाई और सुविधाओं के लिये बहुत कुछ किया है। मैं समझता हूं कि दान के मामले में इस तरह से एक सामान्य बात कह देना उचित नहीं है। आप इस संबंध

[श्री यू० एम० त्रिवेदी]

में अपने कुछ सिद्धान्त अवश्य बनाइये परन्तु यदि कोई व्यक्ति दान देता है तो उससे यह न कहिये कि तुम ने यह सच्ची भावना से नहीं दिया है। भेंट आखिर भेंट है; आप यह नहीं कहिये अमुक अवधि में दी गई भेंट को तो भेंट माना जायेगा; अन्य सब भेंटों पर कर वसूल किया जायेगा।

माननीय श्री मोरे ने कहा कि मनु, जो आज से ५००० वर्ष पहले मर चुके हैं, हमारे भाग्य-विधायक क्यों हों, हम आज भी उनकी बातों को क्यों मानते रहें? दुर्भाग्य से यह लोग भारतीय थे। हम यह नहीं चाहते कि हम किसी भी चीज़ का, जो भारतीय हो, अनुसरण करें। पश्चिमी देशों के क़ानून बनाने वालों ने जो कुछ किया है उसे मानने के लिये हम तैयार हैं, हम अपने विधान निर्माताओं की बात मानने को तैयार नहीं। हमारी प्रवृत्ति इस तरह की होती जा रही है। बजाय इसके कि हम मिताक्षर क़ानून को, जिसमें सामाजिक सुरक्षा के वे सिद्धान्त निहित हैं जो हमें अन्य देशों में नहीं मिलते, अन्य लोगों पर भी लागू करें, हम उससे दूर भाग रहे हैं क्योंकि हम डरते हैं कि कहीं अन्य धर्मों के लोग हमारी आलोचना न करने लगें। हमें तो चाहिये कि हम अपनी संस्कृति और सभ्यता को और आगे फैलायें न कि उससे दूर भागें। हमारे सिद्धान्त भी अच्छे हैं, हमारे लिये इंग्लैंड या अन्य किसी देश से उनके सिद्धान्त ले कर क़ानून बनाना आवश्यक नहीं। यदि आप राजस्व ही बढ़ाना चाहते हैं तो नमक कर लगाइये। इससे आपको २१ करोड़ रुपये मिल सकते हैं।

इस सदन के किसी सदस्य ने सम्पदा शुल्क विधेयक के विरोध में कुछ नहीं कहा है। यह मेरे लिये बहुत कठिन है कि जो संशोधन मैं ने तथा अन्य सदस्यों ने रखे हैं उनके बारे में पूरे पूरे विचार आपके सामने रखूं। मैं सिर्फ़ इतना कहूंगा कि इन संशोधनों को नामंजूर कर के आप उन बातों को न हटाइये जिनका हम वर्षों से अनुसरण करते चले आये हैं।

[उपाध्यक्ष महोदय अध्यक्ष पद पर आसीन हुये]

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख): पिछले पांच दिन की बहस के दौरान में मैं यही सोच रहा था कि इस विचारार्थ प्रस्ताव पर आखिर यह क्या चर्चा हो रही है। जैसा मैं समझता हूं कि हमारा उद्देश्य इस बात का पता लगाना है कि कहीं प्रवर समिति की रिपोर्ट में कुछ महत्वपूर्ण बातों को छोड़ तो नहीं दिया गया है और विधेयक को वापस उसे सौंपने की आवश्यकता तो नहीं है। इस सम्बन्ध में एक संशोधन आया तो है परन्तु अभी तक वह प्रस्तुत नहीं किया गया और अब, मैं समझता हूं कि यदि आगे उसे प्रस्तुत किया जायेगा तो वह अनियमित घोषित कर दिया जायेगा।

श्रीमान्, कल बहस के दौरान में आपने कहा था कि विधेयक के सिद्धान्तों पर बहस न की जाये। परन्तु कुछ माननीय सदस्यों ने यह प्रश्न उठाया कि सिद्धान्तों पर बहस हो सकती है या नहीं मैं समझता हूं कि इस बारे में अपनी राय प्रगट करने के लिये कि विधेयक में किस तरह के संशोधन किये जायें, उसके सिद्धान्तों को निर्दिष्ट करना आवश्यक हो जाता है। उदाहरण के लिये, यदि कोई यह सोचता है कि विधेयक ज़रूरत से ज्यादा कड़ा है तो वह उसके लिये एक प्रकार के संशोधन रखेगा और यदि कोई यह सोचता है--जैसा कि सामने बैठे सदस्य सोचते हैं--कि विधेयक उदार बहुत है तो

मैं समझता हूं कि वह दूसरी प्रकार के संशोधन रखेगा ।

यह तो हमें बाद में पता लगेगा कि माननीय सदस्यों के इस सम्बन्ध में ठीक ठीक विचार क्या हैं । इसे जानने के लिये हमें पर्याप्त अवसर मिलेगा । अब तक हमें ३५८ संशोधन मिले हैं जिसका अर्थ है कि जनसंख्या के हर दस लाख पर एक संशोधन आया है और मुझे विश्वास है कि बढ़ती हुई जनसंख्या से पीछे न रहते हुये जब तक हम इन संशोधनों पर विचार करना आरम्भ करेंगे, हमें कुछ और संशोधन प्राप्त हो जायेंगे ।

मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि माननीय सदस्यों के महत्वपूर्ण सुझावों से मुझे इस बात का पता चल गया कि वे विधेयक में किस प्रकार के संशोधन चाहते हैं । साधारणतया मैं उन से ये संशोधन रखने की आशा करूंगा परन्तु मैं ऐसी तर्क विहीन बात नहीं कहूंगा कि उन्होंने जो कुछ कहा है उस पर गम्भीर विचार करना मेरा काम नहीं है इसलिये मैं उन द्वारा कही गई बातों का अध्ययन करूंगा परन्तु मेरे लिये अभी उन सब की चर्चा करना सम्भव नहीं होगा । मैं यह बात इसलिये कहता हूं कि सामने बैठे माननीय सदस्य की इस बात में शिकायत का पुट था कि ––"वित्त मंत्री सदा दूसरी ओर से कही गई बातों की चर्चा नहीं करते हैं ।" सम्भव है कि कभी मैं ने उन के कथन की ओर संकेत न किया हो । परन्तु वह उन थोड़े से अवसरों में से एक होगा जब कि उन्होंने कोई बहुत तर्कसंगत बात कही हो, परन्तु जब भी हमें उन से मतभेद रहा है, मैंने उन की आपत्ति को मानने की पूरी चेष्टा की है । मैं फिर यह कहता हूं कि उन्हें, मेरे रवैये या मेरे सम्बन्ध में कोई धारणा इसलिये नहीं बनानी चाहिये कि मैं सम्भवत: इस भाषण में उन द्वारा कही गई सारी बातों की चर्चा न कर पाऊं, मैं बड़ी गम्भीरता से उन की आलोचना पर विचार करता हूं । मैं आशा करता हूं कि मुझे उन द्वारा कही गई सभी बातों की चर्चा करने का अवसर मिलेगा । साथ ही मुझे यह भी कहना है कि कुछ मामले ऐसे हैं जिन का निर्णय पहले ही हो चुका है, इस अर्थ में कि उन का इस विधेयक के सिद्धान्त से सम्बन्ध है ।

उन्होंने विशेषकर, मेरे द्वारा पहले दिये गये भाषण में कही गई इस बात की चर्चा की है कि इस विधेयक में उतनी ही गुंजाइश होगी जितनी कि वे चाहते हैं । इस से यह प्रकट होता है कि किसी बात को उस के प्रसंग से अलग कर के देखने में क्या ख़तरा है । श्रीमान्, आप अनुमति दें तो मैं पढ़ कर सुनाता हूं कि मैंने ठीक ठीक क्या कहा था । मैं ने कहा था :

> "और इस से सामने बैठे मेरे मित्र श्री हीरेन मुकर्जी की यह आलोचना भी निपट जाती है कि वे इस विधेयक को पसन्द करते हैं क्योंकि इसका विस्तार जहां तक है, यह ठीक ही है । मैं यह कहता हूं कि इसमें उतनी ही गुंजाइश है, जितनी कि आप चाहते हैं और यह मामला आज उत्पन्न नहीं होता । यह प्रश्न अगले आय व्ययक सत्र के समय उत्पन्न होगा" निस्सन्देह यह खेद की बात है कि यह प्रश्न उस समय नहीं उठा । "उस समय इस बात पर विचार करना सदन का काम होगा– किसी दल का नहीं––कि वह इस का विस्तार कहां तक चाहता है ।"

तो जब मैंने कहा जितनी कि आप चाहते हैं, तो मेरा मतलब यह नहीं था कि जितनी श्री हीरेन मुकर्जी चाहते हैं, मैंने निर्णय देने का काम सदन पर छोड़ दिया था और

[श्री सी० डी० देशमुख]

अब भी मैं यही करता हूं जैसा कि मुझे करना चाहिये। उस समय मैंने यह भी कहा था :

"ऐसा कहने में मेरा तात्पर्य यह नहीं है कि मैं अपने माननीय मित्र का दार्शनिक समाजवाद अपनाना चाहता हूं। सच तो यह है कि मेरे विचार में अभी यह अनुमान लगाना समय से पहले की बात है कि इस पहले कदम का क्या अभिप्राय है और इससे हमारी मंशा क्या है। यदि किसी दल या 'वाद' के प्रति श्रद्धांजलि तो नहीं है। यदि उसे इसी रूप में लेना भी हो, तो यह संविधान के प्रति श्रद्धांजलि है।"

श्रीमान्, मैं अब भी इस अपनी बात पर कायम हूं।

मेरे विचार में यह अच्छा होगा कि मैं खण्डों के क्रमानुसार, विभिन्न कथनों की चर्चा करूं। परन्तु उससे पहले कुछ फुटकर बातें हैं जिन्हें मुझे निपटा देना चाहिए। पहली तो इस विधेयक का मसौदा तैयार करने के सम्बन्ध में है। विभिन्न वक्ताओं ने इस विधान के ढांचे की चर्चा की है, अर्थात् ब्रिटेन के ऐसे ही विधान का ढांचा भी यही है। एक वक्ता ने कहा है कि यह भानमती के कुनबे जैसा है। एक ने कहा है कि इसका मसौदा जल्दबाज़ी में तैयार किया गया है, और कुछ ने यह कहा है कि ४३ या ४५ विधानों के अंगों का समावेश ऐसे ढंग से करना असम्भव है कि उसे हम अपना तैयार किया विधान कह सकें। जिस माननीय सदस्य ने इसे भानमती का कुनबा कहा है, उनकी तरह मैं वकील तो नहीं हूं, यद्यपि मैंने कानून पढ़ा है ; पता नहीं उन्होंने कानून का अध्ययन किया है या नहीं। और मुझे इतना कानून तो नहीं आता कि मैं इस विधेयक के प्रारूप की तैयारी में, इस देश के बहुत ही बड़े न्यायिक विद्वान तथा कानून विशेषज्ञ, सर बी० एन० राव के योगदान के मूल्य को समझ सकूं। उन्होंने इस विधेयक का पहला संस्करण—ऐसा कह लीजिए —तैयार किया। उसके बाद दो प्रवर समितियों ने इस पर विचार किया और अब यह प्रस्तुत रूप में हमारे सामने आया है। मेरे विचार में इतने प्रयत्नों के फल को भानमती का कुनबा कह कर माननीय सदस्य ने जल्दबाज़ी की है। जो भी हो, उन्हें इस स्थिति को सुधारने के बड़े अवसर और मिलेंगे। उन्होंने बहुत से संशोधनों की पूर्वसूचना दी है और मुझे आशा है कि या तो वे स्वयं सोच विचार कर और या किसी अन्य व्यक्ति की सलाह लेकर कुछ और संशोधनों की पूर्वसूचना देंगे जिससे कि यह भानमती का कुनबा एकसार हो जायगा जिससे कि अमीर, गरीब सभी इसे स्वीकार कर सकें।

दूसरी बात सिद्धान्त सम्बन्धी है और महत्वपूर्ण है। वह यह है कि सम्भवतः यह शुल्क बचत के लिए अनुत्साह उत्पन्न करेगा और इससे उत्पादन पर प्रभाव पड़ेगा। इस सम्बन्ध में मैं यही कहना चाहता हूं कि इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने के प्रस्ताव पर बहस का उत्तर देते हुए मैंने इस सम्बन्ध में अपनी राय विस्तार से बतायी है और मुझे उसमें परिवर्तन करने का कोई कारण दिखाई नहीं देता।

मैं श्री गाडगिल से इस सम्बन्ध में सहमत हूं कि केवल सम्पदा शुल्क पूंजी संकलन और बचत को अनुत्साहित नहीं करेगा और इसका वास्तविक आर्थिक प्रभाव अधिकतर विमुक्ति सीमाओं पर निर्भर होगा—जो कि इस विधेयक में हैं और पहले विधेयक में नहीं थीं—और

निस्सन्देह यह शुल्क की दरों पर भी निर्भर होगा। इसलिए हटधर्मी से ऐसा कह देना समय से पहले की बात है कि पूंजी के संकलन और बचत पर इस विधेयक का अमुक प्रभाव पड़ेगा।

मुझे श्रीमती कमलेंदुमति शाह की इस बात से भी मतैक्य है कि यह किसी हद तक कल्याणकारी राज्य द्वारा दी गई सुविधाओं द्वारा निश्चित किया जाना चाहिए। अभिप्राय यह है कि विधेयक में शुल्क की आवश्यक दरें निर्धारित करते समय इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि इस विधेयक के प्रति लोगों की सहनशीलता का आधार इस बात पर होगा कि अभी भारत कल्याणवादी तंत्र नहीं बना है। दूसरे शब्दों में इस बात का अर्थ यह है कि आसानी से की जा सकने वाली ये तुलनायें नहीं करने लगना चाहिए कि अन्य देश में कितने कर लिए जाते हैं और इस देश में कितने। इस सम्बन्ध में भ्रममूलक सादृश्य से गलती हो सकती है। इसलिए हमें इस बात पर कड़ी निगरानी रखनी पड़ेगी कि सदन कर का जो स्तर स्वीकार करता है उसके वास्तविक प्रभाव क्या होते हैं। मेरे विचार में पहले कुछ वर्ष तक इसे अस्थायी ही समझा जायगा और इसकी देखभाल करनी होगी क्योंकि भविष्य में इसमें फेर बदल की सम्भावना है। इस बात की भी कुछ चर्चा की गई थी कि इस शुल्क से कितनी आय होगी। श्री गाडगिल की तरह मैं इस सम्बन्ध में कोई अनुमान लगाने से इन्कार करता हूं, यद्यपि जो राशि उन्होंने कही है, उतनी आय हो जाय तो मुझे प्रसन्नता होगी। परन्तु मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सी ऐसी बातें हैं जिन के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा जा सकता जैसे मरने वालों की संख्या,—जिसमें मेरे माननीय मित्र द्वारा सुझाए गए ढंग से शीघ्र मरने वालों की संख्या भी है—और छोड़ी गई सम्पत्ति का मूल्य आदि। इसलिए जैसा कि मैंने यह विधेयक पुरःस्थापित करते समय कहा था, मुझे आशा है कि इस शुल्क से होने वाली आय राज्यों के संसाधनों में जो वृद्धि करेगी, उसे मामूली नहीं कहा जा सकता।

विधेयक के मसौदे की तैयारी की चर्चा मैं फिर करूंगा क्योंकि इस पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। यह शिकायत की गई थी कि भाषा बड़ी कठिन है। यह तो मैंने माना ही है कि यह विधेयक ब्रिटेन के अधिनियम के आधार पर तैयार किया गया है—अर्थात् इस का रूप तथा मसौदा वैसा ही है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उस अधिनियम के बारे में बहुत से न्यायिक निर्णय दिये गये हैं, इस विधेयक की भाषा यथासम्भव ब्रिटेन के अधिनियम जैसी ही रखी गई है जिससे कि इस विधान का निर्वचन करते समय न्यायालय ब्रिटेन के न्यायिक निर्णयों से लाभ उठा सकें। मैं यह नहीं मानता कि इस विधेयक की सारी धाराओं की भाषा कठिन है। जहां तक साधारण व्यक्तियों का सम्बन्ध है, भेंट, शीघ्र उत्तराधिकार आदि के बारे में विधेयक के उपबन्धों की भाषा अपेक्षतया आसानी से समझ में आने वाली है। संविधा, वार्षिक वेतनों, प्रन्यासों तथा शुल्क से बचने के विभिन्न तरीकों सम्बन्धी उपबन्धों की भाषा वाकई बहुत कठिन है। जो लोग प्रन्यास बनाते हैं या शुल्क से बचने के तरीके इस्तेमाल करते हैं उन्हें हर हालत में वकीलों से सलाह लेनी पड़ती है क्योंकि बहुत से तरीके तो वाक्य बाहुल्य के प्रयोग से बनते हैं और उन के उद्देश्य की प्राप्ति के ढंग सीधे सादे नहीं होते। इसलिए शुल्क से बचने को रोकने के लिए जो भाषा होगी, उस का उलझाऊ पूर्ण होना आवश्यक है।

[श्री सी० डी० देशमुख]

दूसरे शब्दों में, इस विधान के पदों को एक शब्द में तो लिखा नहीं जा सकता ।

मैं मानता हूं कि इस के सारे पदों से लोग परिचित नहीं हैं । उदाहरण के लिए "अपेक्षा में स्वत्व"—इसी पद को ही लीजिए । मैं यह कहना चाहता हूं कि विधेयक के खण्ड २ में ही इस की परिभाषा की गई है । उस से मालूम हो जाता है कि इस का वास्तविक अर्थ क्या है । सम्पत्ति हस्तान्तरण अधिनियम की धारा ६(क) में कही गई बातों को बताने का यह एक आसान ढंग है । मैं इस शब्दावलि "अपेक्षा में स्वत्व" पर प्रकाश डालूंगा । यह स्वत्व साधारणतया दो प्रकार का होता है : एक तो अवशेषधारी कहे जाने वाले पक्ष के कार्य द्वारा उत्पन्न होता है और दूसरा परावर्त्तन कही जाने वाली कानूनी कार्यवाही द्वारा । परावर्त्तन, विशेष कर, हिन्दू कानून में सुपरिचित है । इसी प्रकार अवशेषधारी को भी सभी जानते हैं । इसलिए उन पर प्रकाश डालने की आवश्यकता नहीं है । जो भी हो मैं इस शिकायत की भावना से सहमत हूं कि इस कानून को, कर देने वाले तथा सम्पदा प्राप्त करने वाले लोगों के लिए यथा सम्भव समझने योग्य बनाना आवश्यक है । सामने बैठे माननीय सदस्य ने किसी पुस्तक की ओर संकेत किया था । हम इस बात पर विचार करेंगे कि हम सम्पदा शुल्क कानून के सम्बन्ध में एक पुस्तिका प्रकाशित कर के जनता की कैसे सहायता कर सकते हैं ।

अब मैं खण्ड ४ और मूल्यांकन व्यवस्था पर की गई आलोचना की ओर आता हूं । मेरे विचार में यह तो सभी मानेंगे कि ठीक मूल्यांकन इस विधान की जान है । सरकारी प्रत्याभूतियों या लिमिटिड कम्पनियों के हिस्सों के मूल्यांकन में कोई कठिनाई नहीं होगी क्योंकि सोने, सरकारी प्रत्याभतियों, कम्पनियों के हिस्सों के मूल्यों की सार्वजनिक घोषणा की जाती है और जिन के मूल्यों की घोषणा नहीं की जाती उन का मूल्यांकन करने के साधन मौजूद हैं ।

खण्ड ३६ : व्यक्तिगत कम्पनियों के हिस्सों के मूल्यांकन के सम्बन्ध में, नियंत्रित कम्पनियों के हिस्सों के मूल्यांकन के लिए विशेष नियम जारी किए जायेंगे । कठिनाई तो हमें केवल अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में होगी । परन्तु हमें याद रखना चाहिये कि अब भी अधिप्रयाण या प्रबन्धाधिकार पत्र देने के सम्बन्ध में अचल सम्पत्ति का मूल्यांकन करना पड़ता है और यह माना जा सकता है कि ऐसे मूल्यांकन के लिए जो ढंग अपनाया जाता है उसी से सम्पदा शुल्क के आरोपण के लिये मूल्यांकन में काम लिया जायगा । ज़िम्मेदार लोगों का सहयोग मिलता रहा तो सरकार सदा ठीक मूल्यांकन का प्रयत्न करेगी, बावजूद इस बात के कि उस पर आक्षेप लगाए गए हैं । जो भी हो, विवाद की दशा में, मूल्यांकन करने वालों के लिए इस विधेयक में उपबन्ध किया गया है । मैं यहां यह भी कह दूं कि ऐसी सम्भावना है कि इस सम्बन्ध में करारोपण की अतिरिक्त कर-प्रणाली होगी, न कि क्रमबद्ध प्रणाली । और यह उस विधान से स्पष्ट हो जायगा जोकि मैं पुरःस्थापित करूंगा । इसलिए मूल्यांकन के छोटे छोटे अन्तर से शुल्क की राशि में कोई अधिक अन्तर नहीं पड़ेगा ।

खण्ड ५, अर्थात् राज्यों के सम्मिलित किए जाने के सम्बन्ध में बात यह थी कि सभी राज्यों को, केन्द्र को यह अधिकार देना पड़ेगा कि वह कृषि भूमि पर सम्पदा शुल्क लगा सकें । वस्तुस्थिति यह है कि विधेयक के रखे जाने के बाद से दो राज्यों, पंजाब तथा मध्यभारत ने आवश्यक संकल्प पास कर दिए हैं और इन्हें एक संशोधन द्वारा अनु-

सूची में शामिल कर लिया जायगा । अन्य राज्यों के सम्बन्ध में स्थिति इस प्रकार है :

आसाम ने वचन दिया है कि वह जल्दी ही ऐसा संकल्प पास करने के लिए कार्यवाही करेगा ।

बिहार राज्य का इरादा है कि इस विधेयक के कानून बन जाने पर वह यह संकल्प पास करेगा ।

मद्रास राज्य, आंध्र राज्य की स्थापना की राह देख रहा है । पैप्सू में यह कार्यवाही विधानमण्डल बनने पर ही की जा सकती है । पश्चिमी बंगाल और ट्रावनकोर ने, जैसा कि मैंने पहले कहा, यह बात नहीं मानी है । इस के कारणों की ओर मैं पहले ही संकेत कर चुका हूं ।

अतएव मेरा विश्वास है कि या तो अभी अथवा कुछ समय बाद राज्यों की अधिक संख्या को इस अनुसूची में शामिल कर लिया जायगा तथा जब वे देखेंगे कि अधिनियम को कार्यान्वित करने वाली व्यवस्था अच्छे ढंग से काम करती है तो हम आशा कर सकेंगे कि वे भी शामिल होना पसन्द करेंगे । दूसरे शब्दों में यह प्रश्न राज्यों, जिन के लिए हम इस रूप में राजस्व एकत्र कर रहे हैं, तथा करदाताओं के मन में विश्वास पैदा करने का है । परन्तु इस मामले को पूर्णतः राज्यों की इच्छा पर छोड़ा जा सकता है । हम तो केवल उन्हें प्रेरित ही कर सकते हैं तथा निश्चय ही उन्हें शामिल करने के लिए हमारे पास कोई शक्ति नहीं है ।

अब मैं खण्ड ९ को लेता हूं । सर्वप्रथम मैं अवधि के बारे में कुछ कहूंगा । मैं समझता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति इस बात से सहमत होगा कि मृत्यु से कुछ ही समय पहले दी गई भेंटों का मतलब शुल्क से बचना है तथा इस कारण, यह व्यवस्था की गई है कि हस्तान्तरण, अर्पण, न्यासों की घोषणा, समझौते अथवा निपटारे आदि के रूप में जो भेंटें दी जायें, के तुरन्त ही दे दी जायें तथा उन के स्वामित्व का अधिकार पूर्णतः दान लेने वाले को प्राप्त हो तथा दान देने वाले को नहीं । इस बात को प्रमाणित करने के लिए कि ऐसा अधिकार पूर्णतया दान देने वाले को न रह कर दान लेने वाले को प्राप्त हो चुका है, परिस्थितीय साक्ष्य से सचाई को प्रमाणित करने से पहले कुछ न कुछ समय का बीतना आवश्यक है ।

मैं श्री गाडगिल तथा अन्य वक्ताओं से सहमत हूं कि, स्थिति के अनुसार जैसा कि लोग मरते समय इस प्रश्न पर दृष्टिपात करते हैं, अवधि को घटाने या बढ़ाने का कोई उचित कारण नहीं है । सामान्यता मरते समय अपनी इच्छाओं को ठीक ठीक व्यक्त करना सम्भव नहीं होता है । यह लोगों का आम अनुभव है । कोई व्यक्ति अपनी मृत्यु के समय को पहले से नहीं बतला सकता तथा इन भेंटों को अन्तिम क्षण तक टालने का कोई कारण नहीं है । इसका एक अर्थ तो यह है कि लोग लोक तथा परलोक दोनों का सर्वोत्तम लाभ उठाना चाहते हैं । पूछा गया है कि संगत खण्ड में वर्णन की गई शर्तों के अतिरिक्त और कौन सी शर्तों का पूरा किया जाना आवश्यक है जिस से किसी भेंट को वास्तविक भेंट या सद्भावपूर्ण नियत की गई भेंट समझा जा सकता है । इन दोनों प्रकारों की भेंटों में थोड़ा सा अन्तर है । इस का उत्तर महान्यायवादी बनाम रिचमन्ड वाले मामले में दिए गए निर्णय में मिलता है जिस का वर्णन एन्सन की पुस्तक के पृष्ठ संख्या ८४ पर किया गया है । वह इस प्रकार से है :—

"एक वास्तविक सौदा सद्भाव तथा सचमुच का किया गया सौदा होता है तथा उसे पूर्ण और वास्तविक रूप से कार्यान्वित किए जाने का अभिप्राय होता है तथा ऐसा

[श्री सी० डी० देशमुख]

करने में कोई गुप्त प्रबन्ध नहीं किए जाते अथवा मन में कोई गुप्त भाव नहीं रखे जाते ।"

दूसरे शब्दों में किसी भेंट-पत्र के होने से ही किसी भेंट को वास्तविक भेंट नहीं समझा जा सकता । इसके लिए भेंट का वस्तुतः कार्यान्वित होना तथा इस सम्बन्ध में किसी गुप्त प्रबन्ध या गुप्त भावना का न होना आवश्यक है । विभिन्न निर्णयों के अनुसार—तथा ब्रिटिश विधि के अन्तर्गत ऐसे कई निर्णय हैं — जिन भेंटों को शामिल नहीं समझा जा सकता, उन के सम्बन्ध में इन चार शर्तों का पूरा किया जाना ज़रूरी है :

(१) दान लेने वाले को इस का स्वामित्व तुरन्त प्राप्त हो जाय,

(२) दान देने वाले को उस का स्वामित्व प्राप्त न रहे ।

(३) दान देने वाले को प्रसंविदा अथवा अन्यथा किसी प्रकार के लाभ का निश्चित रूप से कोई अधिकार न रहे ; तथा

(४) दान देने वाले के हित में कोई गुप्त प्रबन्ध अथवा भावना न हो ।

उसी बात को पुनः संक्षेप से कहते हुए; भेंट का वास्तविक होना आवश्यक है । मैं इस कठिनाई का कोई हल नहीं देख पाता हूं । हो सकता है कि यह कहा जाय कि वास्तविक शब्द से कोई विशेष प्रयोजन सिद्ध नहीं होता क्योंकि भेंट के दे दिए जाने को प्रमाणित करना आवश्यक है तथा यदि इन शर्तों के अन्तर्गत भेंट दी गई है तो स्पष्टतः इसे वास्तविक रूप से ही दिया गया है । परन्तु मैं समझता हूं कि प्रवर समिति ने इस शब्द को रहने देना उचित समझा है । मेरा विचार है कि प्रचुर सावधानी के विचार से इस शब्द को ब्रिटिश अधिनियम में भी रखा गया है तथा निश्चय ही इस से प्रमाण के उत्तरदायित्व में कोई परिवर्तन या हेरफेर नहीं होता । होगा यह कि दस्तावेज़ों के प्रस्तुत करने पर किसी भेंट को वास्तविक समझा जायगा, सिवाय उस अवस्था के जब कोई परिस्थिति इस के विपरीत जान पड़े—तथा सामान्यतः उन भेंटों की राशि बहुत अधिक होती है—और उस समय उन के वास्तविक होने का प्रश्न उठेगा । यदि ऐसा प्रश्न निर्धारण करने वाले अधिकारी द्वारा उठाया जाय तो सम्बन्धित व्यक्ति को यह प्रमाणित करना होगा कि यह कल्पना या अनुमान ग़लत है तथा कि चाहे देखने से ऐसा ही क्यों न जान पड़े भेंट सद्भावपूर्ण या वास्तविक रूप से दी गई है ।

मैं श्री चटर्जी से सहमत हूं कि भेंटों के सम्बन्ध में छूट देते समय दाता के विचारों की शुद्धता की छानबीन की आवश्यकता नहीं है । यह एक व्यावहारिक विषय है । किसी व्यक्ति के लिए दाता अथवा दान लेने वाले के वास्तविक विचारों की जांच का करना सम्भव नहीं है । यदि दो वर्ष बीत जायें तो यह कठिनाई और भी बढ़ जायगी जब वास्तविक अभिप्राय को प्रमाणित करने के लिए कोई गवाह मौजूद नहीं होगा । मैं यह बात मानता हूं कि राजस्व अधिकारियों के लिए वास्तविक अभिप्राय के प्रश्न की जांच का करना सम्भव नहीं जिसे दाता की मृत्यु के बाद प्रमाणित करना तो अत्यन्त कठिन है ।

इसी युक्ति के आधार पर मैं समझता हूं कि इस के विपरीत प्रभाव वाले उपबन्ध का शामिल करना भी सम्भव नहीं है । श्री चटर्जी का सुझाव भी यही है । जहां तक हमारा सम्बन्ध है, हम वास्तविक अभिप्राय के इस प्रश्न की सर्वथा उपेक्षा करने का विचार करते हैं तथा हमें आशा है कि इन मामलों में

भी हमें नयायिक निर्वचन करने में ब्रिटेन के निर्णयों तथा व्यवहार से सहायता अथवा पथप्रदर्शन प्राप्त हो सकता है ।

अवधि के प्रश्न को पुनः लेते हुए, जैसा कि मैं ने पहले बतलाया, एक प्रकार से इस प्रश्न का सम्बन्ध सद्भाव से है तथा वह इस तरह कि यदि भेंटें दो वर्षों के अन्दर अन्दर दी गई हों तो हम इस पर विचार ही नहीं करते—हम यह कल्पना कर लेते हैं कि वे वास्तविक नहीं हैं । यह सत्य है कि कुछ देशों में, जैसे अमरीका, आस्ट्रेलिया या जापान में, ऐसी कोई अवधि निश्चित नहीं की गई है, परन्तु हमें याद रखना होगा कि इन देशों में भेंटों पर कर लगाए जाते हैं जो हमारे इस विधेयक में निश्चित की गई अवधि के अन्दर दी गई भेंटों पर भी लगते हैं । इस तरीके को हम ने अभी नहीं अपनाया है ।

श्री गाडगिल : हमें इस ओर आना ही होगा ।

श्री सी० डी० देशमुख : अब मैं दान के प्रश्न को लेता हूं । समूचे रूप से कहते हुए मैं श्री गाडगिल तथा उन के दृष्टिकोण के समर्थक वक्ताओं से सहमत हूं । सार्वजनिक पूर्त के प्रयोजनों की इस विधेयक में निश्चित परिभाषा नहीं की गई है, परन्तु उनका अर्थ वही है जो पूर्व धर्मस्व अधिनियम अथवा आयकर अधिनियम में दिया गया है अर्थात उस में ग़रीब वर्गों को कुछ छूट दी गई है तथा शिक्षा, चिकित्सा सम्बन्धी सहायता और लोक-उपयोगिता के किसी सामान्य कार्य में प्रगति सम्बन्धी व्यवस्था की गई है, परन्तु उस में ऐसा कोई प्रयोजन नहीं रखा गया है जिस का सम्बन्ध धार्मिक शिक्षा या उपासना से हो । यदि स्वयं इस विधेयक में ठीक स्थान पर संशोधन के रूप में इस अभिप्राय की कोई व्याख्या जोड़ दी जाय तो मैं इस पर विचार करने को तैयार हूं । अतएव जिस प्रकार के दान के सम्बन्ध में हम कार्यवाही करने जा रहे हैं, वे सार्वजनिक प्रकार के दान हैं, जब कि मेरा अपना विश्वास यह है कि जिस प्रकार के पूर्त की ओर श्री मुकर्जी ने निर्देश किया है, वह निजी प्रकार का पूर्त है तथा उस से जलन पैदा होती है । मैं सार्वजनिक पूर्त से जलन के पैदा होने का कोई कारण नहीं देख पाता क्योंकि यह किसी व्यक्ति द्वारा समाज के किसी भाग की भलाई के लिए दिया जाता है ।

एक छोटी सी बात प्रारूप—रचना के सम्बन्ध में है । इस बात पर काफ़ी विचार के बाद मैं इस बात से सहमत होने को तैयार हूं कि "two" (दो) शब्द के बाद "or more" (अथवा अधिक) शब्द ठीक ही अनावश्यक रूप से दोहराए गए हैं तथा मैं समझता हूं कि शब्दों के बिना भी दो, पांच, दस या पन्द्रह वर्ष पहले की भेंट के सद्भाव के प्रश्न की जांच की जा सकती है । ये शब्द ब्रिटेन के विधान में नहीं आते । मैं इस प्रश्न की विधि मंत्रालय के परामर्श से अभी जांच कर रहा हूं, परन्तु मैंने अपने भले बुरे विचार आप के सामने रख दिए हैं कि मैं स्वयं इन शब्दों के रखने से किसी प्रयोजन की सिद्धि को नहीं देख सकता हूं तथा उन शब्दों के जोड़ने का खतरा, जो आदर्श विधि में न हों, यह है कि कोई व्यक्ति यह सन्देह कर सकता है कि विधान-मण्डल का अपनी बुद्धि के अनुसार आशय कुछ और ही होगा जब कि अन्य शब्दों का आशय कुछ और है । इस सम्बन्ध में मैं एक अन्तिम बात और कहना चाहता हूं । मैं इस बात को स्वीकार करने को तैयार हूं कि विधेयक के वर्तमान रूप के अनुसार मृत्यु से पहले के दो वर्षों में कि गए व्यय की कुछ मदों को पूर्त सम्बन्धी माना गया है, उदाहरण से दहेज़ तथा सम्बन्धियों को दी गई राशियां आदि तथा

[श्री सी० डी० देशमुख]

इस त्रुटि को दूर करने के लिए उचित संशोधन को प्रस्तुत करने का मेरा विचार नहीं है ।

अब मैं खण्ड १० को लेता हूं । श्री चटर्जी ने विधवा पुत्रियों तथा विधवा बहुओं को दी गई भेंटों के बारे में प्रश्न उठाया था । विद्यमान ब्रिटिश निर्णय का प्रभाव यह है कि यदि कोई पिता अपनी विधवा पुत्री या बहू को दे दिए गए मकान में निश्चित समय तक निवास करता है तो उस भेंट की वास्तविकता अथवा सद्भाव की जांच करनी पड़ेगी । यदि उस का निवास भेंट अथवा गुप्त प्रबन्धों की एक शर्त था तो मकान के मूल्य के अनुसार शुल्क लगाना पड़ेगा । परन्तु यदि वह केवल भुगतान करने वाले अतिथियों के रूप में .....

एक माननीय सदस्य : भुगतान करने वाले अतिथि के रूप में ।

श्री सी० डी० देशमुख : निर्णय का आशय भी यही है तथा स्पष्टतः ब्रिटिश व्यवहार भी यही है--तथा ऐसे निवास के उसे वास्तविक अधिकार प्राप्त नहीं हैं तो उस पर शुल्क नहीं लगेगा । मैं ने इस विशेष खण्ड के सम्बन्ध में--विशेषतः यह देखने के लिये कि क्या मैं किसी व्याख्या में अथवा अन्यथा उन के निचोड़ को शामिल कर सकता हूं या नहीं--विभिन्न निर्णयों की जांच की थी, परन्तु मुझे परामर्श दिया गया है कि इस प्रकार के प्रयत्न से और जटिलताएं पैदा हो जायेंगी तथा इस कारण मैं यह सोच रहा हूं कि इसे इस के वर्तमान रूप में ही रहने दिया जाय तथा कुछ सीमा तक तत्सम्बन्धी ब्रिटिश निर्णयों पर निर्भर किया जाय । साथ ही मैं प्रशासनीय अनुदेश जारी करना चाहता हूं जिस से उन बातों के सम्बन्ध में न्यायालयों में जाने के अधिक अवसर पैदा न हों जिन की भावना अर्थात् सिद्धान्त से हम सहमत दिखाई पड़ते हैं ।

अब मैं खण्ड ११ को लेता हूं जो बिल्कुल स्पष्ट है । डा० कृष्णस्वामी ने नवम्बर, १९५२ में प्रस्तुत किए गए विधेयक से संलग्न खण्डों पर टिप्पणियों को पढ़ कर सुनाया है । जिस में हम ने खण्ड के वास्तविक ध्येय की व्याख्या करने का प्रयास किया है तथा उस के सम्बन्ध में उदाहरण दिए हैं । अधिकांश रूप से यह व्यवस्था शुल्क से बचने के विरुद्ध है । कोई व्यक्ति जिसका सम्पत्ति में आजीवन हित है अथवा सीमित हित है, शुल्क से बचने का प्रयत्न करेगा और इस के लिए अपनी मृत्यु से अथवा इस की अवधि की समाप्ति से पहले उस हित को किन्हीं दूसरे व्यक्तियों को स्थानान्तरित करने का प्रयत्न करेगा । इस खण्ड से इस प्रकार के इरादों या प्रबन्धों को सम्पदा शुल्क के अन्तर्गत लाने की चेष्टा की गई है ; शर्त यह रखी गई है कि सार्वजनिक पूर्त सम्बन्धी प्रयोजनों के विषय में इस प्रकार के प्रबन्ध मृत्यू से छः महीने तथा दूसरे मामलों में दो वर्ष पहले किया गया हो । ऐसे विषय में इस प्रकार के प्रबन्धों के सम्बन्ध में, यदि इसे भेंट समझा जाना है खण्ड ९ तथा खण्ड १० की शर्तें पूरी उतरती हों । ऐसे प्रबन्धों पर शुल्क लागू होता है, चाहे ये प्रबन्ध किसी धनराशि के बदले ही क्यों न किए गए हों ।

एक बार फिर भाषा की कठिनाई हमारे सामने आती है क्योंकि ये प्रबन्ध एक ही सौदे द्वारा किए जा सकते हैं तथा कई सौदों को मिला देने से किए जा सकते हैं तथा प्रबन्ध कई विभिन्न तरीक़ों से किए जा सकते हैं जैसे त्याग, हस्तान्तरण आदि से । संक्षेप से यह खण्ड आजीवन हित को पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से निश्चित करता है ।

इस के बाद मैं 'डाइमन्ड' के पृष्ठ संख्या ९२ पर दिए गए विशेषज्ञों के मत को उद्धरित करना चाहता हूं :

"किसी मृत्यु पर समाप्त हो जाने वाले हित में वे हित भी शामिल हैं जो बारी बारी मृत्यु पर अथवा किसी घटना के होने पर समाप्त हो जाते हैं अथवा मृत्यु से पहले कुछ समय के बीतने से पहले समाप्त हो जाते हैं, परन्तु जिस विषय में इसे किसी निश्चित समय के अन्त पर समाप्त होने के लिए सीमित किया गया हो तथा इस प्रकार से वह समाप्त हो जाता है तो उस के सम्बन्ध में इस प्रकार से धारा लागू नहीं होती है :—

यदि कोई सम्पत्ति को अ नाम के व्यक्ति को आजीवन दे दी जाती है अथवा उस के विवाहित या दीवालिया होने तक दे दी जाती है तथा वह विवाहित हो जाता है और अपनी मृत्यु से पहले के पांच वर्षों में असमर्थ रहता है तो यह एक निश्चय की बात है" —धारा के अर्थों के अन्तर्गत—पांच वर्ष इस लिए कि यह काल उस में रखा गया है। परन्तु किसी भेंट या न्यास सम्पत्ति के संबंध में अ नाम के व्यक्ति को दस वर्ष तक आय के देने पर यदि वह इतने समय तक जीवित रहे—जिस में दस वर्ष का काल अ की मृत्यु से पहले के पांच वर्षों के अन्दर अन्दर समाप्त हो जाता है, यह अपवाद लागू होगा।

अतएव मैं समझता हूं कि यद्यपि उद्देश्य साफ़ है, भाषा अवश्य जटिल है। हमें उस मामले का उदाहरण लेना चाहिये जिस पर शुल्क लग सकता हो। यदि आजीवन हित के रखने वाला कोई व्यक्ति अपने किसी भाग का उसी के समान मूल्य के बदले परिवर्तन कर लेता है तो सारी सम्पत्ति पर शुल्क लगाया जा सकता है। मुझे विश्वास है कि इस खण्ड पर कई निर्णय होंगे क्योंकि विधान लागू हो चुका है।

उसी वक्ता ने संयुक्त विनियोजनों की ओर निर्देश किया है तथा सुझाव दिया है कि उन्हें भेंट ही समझा जाय। मैं समझता हूं कि खण्ड से यह स्पष्ट है कि यह बात उन मामलों पर लागू होती है जहां संयुक्त विनियोजन किए गए हों तथा जिस व्यक्ति की वह सम्पत्ति होती है, उसे बेचने का अधिकार प्राप्त रहता है। यदि उत्सर्जन के इस अधिकार को रहने दिया जाये तो मैं नहीं समझता कि किस तर्क और किस न्याय के आधार पर हम इसे भेंट मान लें।

खण्ड २१ का भी कुछ निर्देश किया गया था। यह सुझाव दिया गया था कि इस में अवधि वही होनी चाहिये जो कि खण्ड ९ के अधीन दी गई अन्य भेंटों के सम्बन्ध में है। मैं इस विषय में स्थिति को स्पष्ट करना चाहूंगा। यह खण्ड उन मामलों के लिये है जिन में कि किसी प्रन्यास का निर्माता स्वयं ही उस का एकमात्र प्रन्यासी हो। प्रवर समिति ने यह अनुभव किया कि इस प्रकार के प्रन्यास में कर से बचने की अधिक सम्भावना है, अतः जानबूझ कर इस अवधि को दो से बढ़ा कर पांच वर्ष कर दिया। किन्तु मैं समझता हूं कि इस की भाषा कोई बहुत अच्छी नहीं है और मैं इस बात को सोच रहा हूं कि इस में कोई सुधार किया जा सकता है या नहीं और यदि मुझे कोई सुधरा हुआ रूप मिल गया तो मेरा विचार एक संशोधन प्रस्तुत करने का है।

खण्ड ३० में भी, जो कि जल्दी जल्दी उत्तराधिकारी बनने के सम्बन्ध म है, काफी रुचि दिखाई गई है। यह सुझाव दिया गया था कि जल्दी जल्दी उत्तराधिकारी बनन वालों को जो सुविधा दी गई है उसे अधिक उदार बनाना चाहिये। प्रवर समिति न

[श्री सी० डी० देशमुख]

मूल उपबन्धों को पहिले ही उदार बना दिया है और यह दो प्रकार से किया गया है :

(१) अब यह सुविधा सम्पत्ति के सम्बन्ध में दी गई है, केवल भूमि तथा व्यापार के सम्बन्ध में नहीं, और

(२) यदि दूसरी मृत्यु तीन मास के अन्दर ही हो जाये तो १०० प्रतिशत सुविधा दी गई है ।

इस में सामान्यतया दुर्घटना तथा महामारी इत्यादि से होने वाली मृत्युओं का ध्यान रखा जायेगा ।

अन्य देशों के विधान का निर्देश किया गया था । कोई भी व्यक्ति दोनों पक्षों में उद्धरण दे सकता है, किन्तु मैं समझता हूं कि अधिक प्रमाण हमारे पक्ष में हैं । आस्ट्रेलिया या न्यूज़ीलैण्ड में ऐसी कोई सुविधा नहीं है और उतने ही परिमाण में यह सुविधा केवल ब्रिटेन, पाकिस्तान और श्रीलंका में मिली हुई है और वह भी केवल भूमि और व्यवसाय के सम्बन्ध में । यह सत्य है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में यदि दूसरी मृत्यु पांच वर्ष के अन्दर हो जाये तो उस पर कोई शुल्क नहीं लिया जाता, किन्तु इस सम्बन्ध में दो बातें स्मरण रखनी चाहियें :

(१) कि यह लगातार मृत्यु के पश्चात् केवल तभी उपलब्ध हो सकती हैं जब बीच का सम्पदा शुल्क पूरी दर से चुका दिया गया हो, और

(२) यह बचे हुए पति या पत्नी को नहीं मिलती ।

पति या पत्नी के सम्बन्ध में, खण्ड ३१ के अधीन हम ने कुछ वर्गों के लिये सुविधा देने की व्यवस्था की है : मैं समझता हूं कि संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ तुलना करना उचित नहीं है । एक और भी कारण है । और वह कारण यह है कि वहां केवल संघीय सम्पदा शुल्क ही नहीं लिया जाता अपितु अलग अलग राज्यों द्वारा मृत्यु शुल्क भी लिये जाते हैं । इस के अतिरिक्त केवल चिली और जापान रह जाते हैं, जो कि इतनी अधिक दूर हैं कि हम उन के इन विधानों के उपबन्धों की उपेक्षा कर सकते हैं ।

इस के बाद इसी खण्ड के अन्तर्गत यह सुझाव दिया गया था कि जिन पर दायभाग की विधि लागू होती है उन विधवाओं को भी यह सुविधा मिलनी चाहिये । मैं समझता हूं कि प्रवर समिति उन सभी हिन्दू विधवाओं को यह लाभ देना चाहती थी जिन के जीवन का हित, उन के पति की मृत्यु पर, किसी भी प्रकार से किसी सम्पत्ति में निहित हो । मैं यह मानता हूं कि इस खण्ड की शब्दावलि से सम्भवतः यह सन्देह रह जाता है कि यह दायभाग की हिन्दू विधवाओं पर लागू होता है या नहीं ।

श्री एन० सी० चटर्जी : आप खण्ड ३१ की बात कर रहे हैं ।

श्री सी० डी० देशमुख : खण्ड ३१ की । मैं इस बात की परीक्षा करवाऊंगा और यदि आवश्यक हुआ तो स्थिति को स्पष्ट करने के लिये एक संशोधन प्रस्तुत करूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : विधवा को कोई लाभ नहीं दिया गया ।

श्री सी० डी० देशमख : यदि ठीक ठीक कहा जाये, तो यह उत्तरभोगी के लिये है ।

उपाध्यक्ष महोदय : किसी विधवा को कोई रियायत नहीं दी गई । केवल अंशहार या दूर के उत्तरभोगी को रियायत दी गई है । यही बात है ।

श्री सी० डी० दशमुख : यह प्रश्न उठाया गया था कि श्री मोरे की 'भावी विधवाओं' का क्या होगा। उन्हों ने बहुत सी विधवाओं का उल्लेख किया था। हिन्दू स्त्रियों के सम्पत्ति के प्रति अधिकार अधिनियम, १९३७ की धारा ३ के अधीन, जब किसी भी हिन्दू विधि से प्रशासित कोई हिन्दू, यदि उस पर मिताक्षरा विधि लागू होती हो तो अलग अलग सम्पत्ति छोड़ कर और उस व्यक्ति पर दायभाग विधि लागू होती हो तो कोई भी सम्पत्ति छोड़ कर मर जाता है, तो उस की विधवा पत्नी को, अथवा यदि एक से अधिक पत्नियां हों तो उन सब विधवा पत्नियों को उस सम्पत्ति के सम्बन्ध में जिस के सम्बन्ध में कि मृत व्यक्ति ने कोई वसीयत न लिखी हो उस के पुत्रों के बराबर अंश का अधिकार प्राप्त होता है। मेरे पास इस विषय में एक उद्धरण है। मुल्ल ने हिन्दू विधि सम्बन्धी अपनी पुस्तक (पृष्ठ ३९) में लिखा है कि जब दो या दो से अधिक विधवायें मृत पति की सम्पदा की सह-उत्तराधिकारिणी बनें, तो वे उत्तरजीवित्व के अधिकारों के साथ और परस्पर समान लाभ प्राप्त करती हुई उसे संयुक्त अनुभोक्ताओं के रूप में ग्रहण करती हैं। यद्यपि वे उस सम्पदा को संयुक्त अनुभोक्ताओं के रूप में ग्रहण करती हैं, किन्तु उन में से किसी को भी उत्तरजीवित्व के अधिकारों को नष्ट करने के लिये विभाजन को पूर्णरूपेण क्रियान्वित करने का अधिकार नहीं है, परन्तु वह सम्पत्ति के अलग अलग भागों का विभाजन करवा सकती हैं जिस से कि प्रत्येक को अपनी आय का समानांश प्राप्त हो सके। प्रत्येक अपने जीवन के हित का, अर्थात्, विधवा के हित का जो चाहे कर सकती है। परन्तु वह इस प्रकार का कोई कार्य नहीं कर सकती जिस से कि किसी उत्तरजीवी या भावी उत्तरभोगी के अधिकारों को कोई हानि पहुंच सके। अतः इस प्रकार की विधवा-सौतों की सम्पदा वी उत्तरभोगियों को केवल उसी अवस्था में मिल सकेगी यदि उन में से कोई भी जीवित न रहे। अतः खण्ड ३१ में जो ७ वर्ष की अवधि का उल्लेख किया गया है वह उस अन्तिम विधवा के सम्बन्ध में है जिस की मृत्यु पर सम्पत्ति भावी उत्तरभोगियों को मिल जायेगी। यह स्थिति है।

श्री एस० वी० रामस्वामी (सलेम) : केवल एक ही विधवा हो, तो ?

श्री सी० डी० देशमुख : हम यह नहीं चाहते कि एक ही विधवा के उत्तरभोगी को यह मिल जाये। हम बहुत सी विधवाओं की बात कर रहे हैं।

अब मैं खंड ३२ को लेता हूं। रहने के घरों को करमुक्त करने की तथा अन्य मामलों में छूट की सीमा को बढ़ाने की बात कही गई थी। अच्छा तो छोटे से रहने के घर को करमुक्त करने की मांग करते समय——और बहुत से माननीय सदस्यों ने इस बात पर बल दिया था, उन्हों ने इस विषय में एक उच्चतम सीमा निश्चित करने का सुझाव दिया था—— इस बात की ओर ध्यान नहीं दिया गया कि ७५,००० रुपये की छूट पहिले ही मिली हुई है और यह केवल घर के लिये ही नहीं है अपितु सारी सम्पदा के लिये है। इस में रहने के उस छोटे से घर का मूल्य भी सम्मिलित होगा जिस का कि विचार किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि २५,००० रुपये की सीमा रखी गई थी। अतः मुझे तो उस रहने के घर को करमुक्त करने में कोई औचित्य नहीं दिखाई देता, यदि उस के अतिरिक्त मृत व्यक्ति ७५,००० रुपये नकद भी छोड़ जाये। इस सुझाव का तो यही अभिप्राय है।

[श्री सी० डी० देशमुख]

१ प० म०

अन्य छूटों में वृद्धि की मांग करने वाले इस बात को ध्यान में नहीं रखते कि इस प्रकार की छूटें हमारे विधेयक की विशेषता हैं तथा अन्य देशों में जहां कि छूट की सीमायें इस से भी कम हैं ये बिल्कुल नहीं हैं। उदाहरण के लिये ब्रिटेन में यह २,००० पौंड है और श्रीलंका में २५,००० रुपये हैं। अतः मैं नहीं समझता कि इस खण्ड में कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता है ।

इस के बाद मैं खण्ड ३३ को लेता हूं । इस के सम्बन्ध में यह कहा गया था कि दर निश्चित करने के लिय छूट की वस्तुओं को इकट्ठा नहीं करना चाहिये । इस विषय में यह स्मरणीय है कि हमारा वास्तविक करा-रोपण के लिये खण्ड पद्धति को अपनाने का विचार है, क्रम पद्धति को नहीं, अतएव इकट्ठा करना आवश्यक है । यदि इकट्ठा न किया जाये तो छूट की उतनी ही राशि का निर्धन मनुष्य की अपेक्षा धनी व्यक्ति को अधिक लाभ होगा । आय-कर के सम्बन्ध में बहुत सी छूटों के बारे में भी यही प्रथा है । किन्तु मैं इस बात से सहमत हूं कि जिन वस्तुओं का मूल्यांकन बिलकुल नहीं किया जाना है--और श्री चटर्जी ने यह बात कही थी--बेची न जाने वाली पुस्तकें, पहिनने के कपड़े और घर के बर्तन-भांडे इकट्ठे नहीं किये जाने चाहियें क्योंकि हम ने तो उन्हें इस कारण अलग कर दिया था जिस से कि शासन में असुविधा न हो। अतः बायें हाथ से शासन की असुविधा को दूर कर के दायें हाथ में इसे ले लेने से कोई लाभ नहीं । यदि आप उस के मूल्य को जानते हैं, तो उन्हें छोड़न का कोई कारण नहीं, यदि आप सरलता से उस का मूल्य नहीं जान सकते, तो हमें उन्हें इकट्ठा करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिये । इसलिये मैं माननीय सदस्य की इस बात को मानता हूं और मैं इस के लिये आवश्यक संशोधन प्रस्तुत करूंगा ।

अच्छा, यदि उन राज्यों में स्थित कृषि की भूमि के मूल्य को, जिन्हों ने कि केन्द्र को अपनी ओर से शुल्कारोपण का अधिकार नहीं दिया है, इकट्ठा नहीं किया जाता है तो उन राज्यों के निवासियों को केवल इस कारण से एक अनभिप्रेत लाभ प्राप्त हो जायेगा कि उन के यहां कृषि भूमि पर केन्द्र द्वारा राज्य की ओर से सम्पदा शुल्क आरोपित नहीं किया जाता, अपितु स्वयं राज्य द्वारा किया जाता है । इसी कारण हम ने इसे इस में सम्मिलित किया है ।

मुझे खेद है कि मैं श्री चटर्जी की इस बात को नहीं मान सकता कि सम्पदा शुल्क देने के लिये बीमे को सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिये। यदि बीमे की किस्तें न दी गई होतीं तो वह पूंजी सम्पदा का एक अंश होती और उस पर सम्पदा शुल्क लिया जाता ।

श्री एन० सी० चटर्जी : यह आवश्यक नहीं है ।

श्री सी० डी० देशमुख : जी हां, अधि-कांश मामलों में ऐसा ही होता और मैं समझता हूं कि छूट का लाभ बीमा कराने के लिये पर्याप्त प्रेरणा करने वाला है और उच्चतम खण्ड में कर की और अधिक सुविधा देना एक ऐसे व्यक्ति के साथ अन्यायपूर्ण भेदभाव करना होगा जो कि बीमा कराने की अपेक्षा नकदी छोड़ देना अधिक पसन्द करता है । भारत में साधारणतया ५० वर्ष से ऊपर के बीमे नहीं किये जाते। यह एक और कठिनाई है जिस की ओर बहुत से सदस्यों ने ध्यान नहीं दिया । परन्तु, मैं समझता हूं कि कुछ तो करना ही पड़ेगा, इसलिये उन लोगों के मामले को निबटाने के लिये जो बीमा करवाना तो चाहते

थे किन्तु सम्पदा शुल्क नहीं दे सके और मैं यह सोच रहा हूं कि उन व्यक्तियों को किस प्रकार की सुविधा दी जा सकती है जो मृत्यु से पूर्व ही सम्पदा शुल्क की अनुमानित राशि अलग रखने को तैयार हैं।

श्री एस० एस० मोरे : क्या वे मरने से पहिले ही दे सकते हैं ?

श्री सी० डी० देशमुख : मैं ने जो कुछ कहा है उस से अधिक कुछ नहीं कह सकता। मैं कोई ऐसा उपाय सोच रहा हूं जिस से कि कोई व्यक्ति कुछ निश्चित राशि इसलिये अलग रख सके क्योंकि उस का बीमा नहीं किया जा सकता।

इस प्रश्न के विषय में कि गैर-अनुसूचित राज्यों में कृषि भूमि के मूल्य का एकत्रीकरण संवैधानिक है या नहीं, हम ने वैधानिक सम्मत्ति पूछ ली है और हम देखते हैं कि आय-कर के लिये इसी प्रकार की प्रथा उन व्यक्तियों के विषय में प्रचलित है जो निवासी तो हैं किन्तु साधारणतया रहते नहीं हैं और जिन की विदेशी आय इकट्ठी की जाती है।

इस के बाद हम खण्ड ३४ में दायभाग तथा मिताक्षरा सम्पत्ति के लिये विभिन्न सीमाओं के जटिल प्रश्न को लेते हैं। मैं समझता हूं कि सब से पहिली बात तो यह है कि इस धारा को किसी एक या दूसरी प्रणाली के प्रति पक्षपातपूर्ण समझना गलत है। वास्तव में यह उत्तराधिकार की दो अलग अलग प्रणालियों से उत्पन्न विषमता को दूर करने के लिये एक-सी प्रणाली का प्रयोग करके कुछ सुविधा पहुंचाने का प्रश्न है। अच्छा, तो मैं समझता हूं कि गिनती में करदाताओं की अधिक संख्या ऐसी होगी जो कि अविभाजित हिन्दू परिवार में रुचि रखने वाले अंशहारी नहीं होंगे और दूसरों की संख्या करदाताओं की कुल संख्या का बहुत छोटा सा अंश होगी।

अच्छा, तो हम आय-कर देने वालों की संख्या को लेते हैं, उन में भी इसी प्रकार का भेद है। आय-करदाताओं में १९४०–४१ में आय-कर देने वाले संयुक्त हिन्दू परिवारों की कुल संख्या ७०,८७२ थी, जब कि १९५१–५२ में इन की संख्या ६५,७५० रह गई, इस के विपरीत व्यक्तिगत रूप से कर देने वालों की संख्या बढ़ गई है। अर्थात् १९४०–४१ में इन की संख्या २,६८,५९७ थी और १९५१–५२ में यह संख्या बढ़ कर ५,४७,५३९ हो गई है। अतः हमें ७१,००० और २,६८,००० तथा ६६,००० और ५,४७,००० का अनुपात रखना होगा। अविभाजित हिन्दू परिवारों की कुल संख्या में से ७,२०० रुपये से अधिक की आय वाले परिवारों की संख्या, जिन के कि सम्पदा शुल्क देने की सम्भावना है, केवल ३५,००० है। अतः, मैं समझता हूं कि पहिली बात तो यह है कि इस प्रकार के सदस्यों को बहुमत में मानना गलत होगा। वे तो वस्तुतः अपवाद हैं। दायभाग, मुस्लिम, पारिसी तथा क्रिश्चियन, आदि, आदि सामान्य रूप से पाये जाते हैं।

श्री एस० वी० रामस्वामी : क्या इस प्रकार के आंकड़े भी हैं जिन से यह पता चलता हो कि कितने करदाता दायभाग पद्धति में हैं और कितने मिताक्षर पद्धति में––व्यक्तियों से हमारा कोई भी अभिप्राय नहीं ?

श्री सी० डी० देशमुख : इस में सन्देह नहीं कि मेरी जानकारी आयकर सांख्यकी पर आधारित हैं, और वे आंकड़े भी हिन्दू अविभाजित परिवारों से सम्बन्ध रखते हैं। दायभाग, मुस्लिम, क्रिश्चियन, आदि पद्धति के अलग आंकड़े मेरे पास नहीं हैं।

श्री एस० एस० मोरे : क्या आप के पास प्रान्तवार आंकड़े हैं ?

श्री सी० डी० देशमुख : इस प्रकार की छानबीन करने के लिये मेरे पास समय नहीं।

[श्री सी० डी० देशमुख]

चूंकि विवाद से ऐसी बातें पैदा हुई हैं अतः मैंने अभी अभी इन आंकड़ों का संग्रह किया है। मेरे विचार में हलकावार आंकड़े प्राप्त करना संभव है। किन्तु मैं अभी उन को बता नहीं सकता।

मुझे लग रहा है कि इन मामलों पर विचार करने का उचित ढंग यह है कि ७५,००० रुपये की मुक्ति-सीमा को ही साधारण सीमा माना जाय, और यह भी देखा जाय कि क्या किसी हिन्दू अविभाजित परिवार से आने वाले व्यक्ति के समांशभागी हित के सम्बन्ध में किसी विशेष बर्त्ताव की आवश्यकता है।

मैं तो बतला चुका हूं कि आयकर अधिनियम के अन्तर्गत हिन्दू अविभाजित परिवारों की आय एवं अन्य आय में इस समय एक प्रकार का विभेद मौजूद है, चुनाचि इस में कोई अन्तर नहीं किया जाता। अतएव, मैं नहीं समझता कि प्रस्तुत मामला विशिष्टीकरण या अन्तर सम्बन्धी कोई सामविधानिक प्रश्न प्रस्तुत करता है। यह तो सम्भव हो सकता है कि हम ऐसे परिकल्पित मामलों को सुलझाने में बहुत अधिक समय व्यय करें जिन के द्वारा यह सिद्ध किया जाय कि किन्हीं मामलों में हिन्दू अविभाज़ित परिवारों पर कर का अधिक भार होगा और अन्य मामलों में प्रत्येक के अपने प्रमाप के अनुसार, जैसा कि प्रस्तुत मामले में है, दायभाग पद्धति में अधिक कर देना पड़े। मैं ने यह अनुभव किया है कि हिन्दू समांशभागी पद्धति एक ऐसी विचित्र संस्था है कि इस में उन मुक्ति-सीमाओं और दरों का हिसाब लगाना असंभव है, जिन की प्रत्येक कल्पित मामले की आनुषंगिक स्थिति को पूरी तरह से साम्यावस्था में लाने की प्रत्याभूति दी जाती। अतएव, विशद् रूप से इस पर विचार करते हुए हम ने कई सीमाओं का सुझाव दिया है। चूंकि बड़े परिवारों में ही अधिक मृत्युएं होने की संभावना है अतः हिन्दू अविभाजित परिवारों पर ही प्रायः मरण-शुल्क लगाने पड़ेंगे। अन्य मामलों में केवल तभी शुल्क दिया जायेगा जब परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाय, किन्तु हिन्दू अविभाजित परिवार को बड़े बच्चों के मरने पर भी शुल्क देना पड़ेगा। इस के विरुद्ध, अनेक माननीय सदस्यों ने यह बात उठाई है कि छूट की निर्धारित सीमा को दृष्टि में रखते हुये यह कहना पड़ेगा कि जब तक बहुत बड़ी सम्पदा न हो तब तक कोई भी शुल्क नहीं दिया जायेगा। और यह भी दृष्टिकोण हो सकता है कि ५०,००० रुपये की सीमा इतनी कम नहीं जितनी होनी चाहिये थी। किन्तु, मेरा अनुभव है कि ये ऐसी बातें हैं जो थोड़ा सा अनुभव तथा सांख्यकी जानकारी प्राप्त करने के बाद ठीक करनी पड़ेगी। मैं समझता हूं कि इस समय हमें इस बात को जानकर संतुष्ट होना चाहिये कि हमारे इस कर निर्धारण के निमित्त विशेष बातों को ध्यान में लाने के लिये कोई एक विशेष पद्धति है अथवा कई अनेक पद्धतियां हैं। तो, क्या उत्तराधिकार की पद्धतियों का उन्मूलन करने का कानून बदलना चाहिये अथवा किस सीमा तक मिताक्षरा तथा दायभाग के बीच के विभेद को मिटाना चाहिये--मेरे विचार में ये ऐसे मामले हैं जिन पर इस विधान के अभिप्राय से नहीं बल्कि और किसी प्रसंग में ही विचार किया जाना चाहिये। कहने का यह अभिप्राय है कि वर्तमान विधि तथा रीति-रिवाज के अन्तर्गत जैसी भी बातें हों उन्हें सचाई के रूप में माना जाना चाहिये।

अब मैं स्वयं विधेयक में रखी गई दरों की ओर निर्देश कर रहा हूं अथवा आज इस बात की घोषणा कर रहा हूं कि इस समय जो

भी दरें निर्धारित होंगी वह पांच वर्षों तक इसी स्थिति में रहेंगी, बदलेंगी नहीं। श्रीमान्, ऐसे मामलों में संसद् की इच्छा सर्वोच्च एवं सर्वोपरि है, और यदि संसद् की इस प्रकार की इच्छा हो तो हमारे इस समय इस प्रकार कहे बिना भी दरें पांच वर्षों तक अपरिवर्तित रहेंगी, अथवा यदि संसद् या संसद् की प्रेरणा से सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि परिवर्तन की आवश्यकता है तो उन दरों को बदला जायेगा।

मैं समझता हूं कि दरों की अनुपस्थिति में इस विधान की आलोचना करने में इतने वक्ताओं को कितनी कठिनाई आई होगी, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति ठोस रूप से इस बात का हिसाब लगाता है कि अंतिम निष्कर्ष क्या होगा और उस अभिप्राय के लिये हमें विमुक्ति सीमा तथा कुल जोड़, आदि के साथ ही नहीं अपितु दरों के साथ भी सरोकार है। अतएव, इस मामले पर कुछ विचार कर के मैं ने इस बात का निश्चय किया है कि मैं अपना आश्वासन पूरा करूं—जैसा कि मुझे किसी भी स्थिति में करना चाहिये था—और प्रस्तुत विधेयक के दूसरे पाठ से पहले वह विधेयक आप के समक्ष रखूं जिस में दरें भी शामिल हों। मेरा विचार है दरों के सम्बन्ध में मेरा और सरकार का जो भी प्रस्ताव है, उस के प्रकाश में सदस्यों को अपने संशोधनों पर दलील देने अथवा, स्थिति के अनुसार, उन्हें वापिस लेने का अवसर मिलेगा।

अब, एक और बात डा० लंकासुन्दरम् ने उठाई है कि इस पर करारोपण पूछताछ आयोग की सिफारिशों का प्रभाव पड़ता है। निश्चय ही, उन का प्रभाव पड़ता है, जैसा कि और किसी विधान पर पड़ता। और, यदि आयोग की सिफारिशों से यह बात देखने में आती हो कि इस विधि में संशोधन करने की कार्यवाही की आवश्यकता है, तब तो हम निश्चय ही संशोधन करेंगे।

श्रीमान्, मैं इसी समय और भी बातों पर विचार प्रगट करूं या अब कल पर रहने दूं ?

उपाध्यक्ष महोदय: यदि माननीय मंत्री अभी अपना भाषण और जारी रखना चाहते हों तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अभी वह और कितनी देर तक बोलेंगे ?

श्री सी० डी० देशमुख: श्रीमान्, लगभग दस मिनट तक।

उपाध्यक्ष महोदय: यदि ऐसी बात है, तो कुछ और देर तक क्यों न बैठा जाय ? अन्यथा इस विवाद की प्रवृत्ति और इस का प्रभाव नष्ट हो जायेंगे। माननीय सदस्य और पन्द्रह मिनट तक शान्त रहें। हम १—३० तक बैठेंगे।

श्री सी० डी० देशमुख: यदि मुझे भाषण जारी रखने की आज्ञा दी जाय तो मैं आप का कृतज्ञ रहूंगा, क्योंकि कल पर उठा रखने से मेरी दलील का सारा सूत्र बिखर जायेगा। अब मैं खण्ड ४९ पर आता हूं जिस में जिनस में अदायगी की स्वीकृति का उल्लेख हुआ है। हमारा यह अनुभव है कि प्रशासन की दृष्टि से यह संभव नहीं हो सकता और कदाचित् हम हर तरह की भारत भर में बिखरी हुई संपत्ति को अधिकार में नहीं कर सकते थे। अब तो यह प्रशासन के विरुद्ध एक तरह का पग है जिस से यह सिद्ध किया जायेगा कि उन का मूल्यांकन ठीक है। मेरा विचार है कि इस तरह की प्रस्थापना के आधार को कोई भी स्वीकार नहीं कर लेता। यह ठीक बात है कि ग्रेट ब्रिटेन में सरकार निश्चित किये गये मूल्य पर ही अचल संपत्ति संभाल सकती है। किन्तु तभी ऐसी बात होती है जब किसी राष्ट्रीय

[श्री सी० डी० देशमुख]

उपयोग के लिये भवनों की आवश्यकता पड़े, और १९५२ तक इस प्रकार की केवल तीन घटनायें हुई हैं। इस में ऐसा कोई भी कारण नहीं कि हम कानून के किसी उपबन्ध के बिना इस कार्य को क्यों नहीं कर सकते थे।

इस के पश्चात्, खण्ड ६१ के सम्बन्ध म इस बात का सुझाव दिया गया है कि एक अपीलीय न्यायाधिकरण बनाया जाना चाहिये। मेरा यह अनुभव है कि संपदा-शुल्क बहुत ही पेचीदा है, और इसीलिये ग्रेट ब्रिटेन जैसे अन्य देशों में किसी अधीनस्थ अधिकारी द्वारा नहीं अपितु बोर्ड द्वारा सभी प्रकार का कर-निर्धारण होता है। १९४६ के मूल विधेयक में भी यही योजना प्रस्थापित की गई थी। अब, बोर्ड में सभी तरह के कर-निर्धारणों के केन्द्रीयकरण से बहुत बड़ी कठिनाइयां और असुविधायें प्रस्तुत होंगी। इसीलिये प्रस्तुत विधेयक अधीनस्थ पदाधिकारियों को निर्धारण का अधिकार देता है। प्रारम्भिक स्थितियों में अधीनस्थ अधिकारियों को निरन्तर पथ-प्रदर्शन तथा निदेश की आवश्यकता पड़ती है और करदाताओं के साथ की गई भूल-चूकों को ठीक करना पड़ता है। हमारा यह भी अनुभव है कि अपीलें यदि पहली स्थिति से ही उन बाहर के अधिकारियों के पास जायें ो भिन्न भिन्न रीतियों से उन की व्याख्या करें तो उस से एकरूपता में त्रुटि पड़ जायेगी। और सच्ची बात यह है कि बोर्ड को की गई तथाकथित अपील प्राविधिक अर्थ में एक अपील नहीं मानी जाएगी बल्कि उसे केवल एक प्रशासनीय पुनर्विलोकन कहा जायेगा। मैं यह बताना चाहूंगा कि पहली अपील फिर भी बाहर के अधिकारियों, यानी मूल्यांकन के द्रव्यसम्बन्धी प्रश्न पर मूल्य आंकने वालों को तथा विधि के मामलों के लिये उच्च न्यायालयों एवं सर्वोच्च न्यायालय को ही की जायेगी। अतः कई माननीय सदस्यों ने प्रशासकीय अधिकारियों में जो विश्वास की कमी व्यक्त की है, मैं इस समय उन की यह मानसिक प्रतिक्रिया मानने को तैयार नहीं। आयकर विभाग में न्यायाधिकरण के नाम जो अपीलें की जाती हैं उन की संख्या १९५०–५१ में ८,९७९ थी और १९५२–५३ में यही संख्या ८,२९८ तक पहुंची है, यानी अपीलों में ८ प्रतिशत कमी हुई है।

श्री एस० एस० मोरे: इस से क्या मालूम होता है ?

श्री सी० डी० देशमुख: प्रशासन में अधिक विश्वास।

प्रशासकीय पुनर्विलोकन ३,३२५ से ४,७१४ तक बढ़े हैं, यानी ४० प्रतिशत वृद्धि हुई है। और अब अन्य देशों में जो साधारण प्रक्रिया है उस से हमारे उपबन्धों का समर्थन होता है, विरोध तो नहीं होता।

और अब अन्त में, नियम बनाने, राज-कुमारों तथा व्यावहारिक मृत्युओं के सम्बन्ध में केवल दो-तीन बातें हैं। ये बातें भी चूंकि कभी कभार होती हैं, अतः जभी ये पैदा होंगी, तभी इन का निपटारा किया जायेगा। अभी तक मैं ने ऐसा कोई सन्यासी नहीं देखा जिस ने अपनी सभी संपत्ति किसी को दी हो अथवा कोई निपटारा किया हो।

श्री एस० वी० रामस्वामी: हमारा अभिप्राय तो केवल शारीरिक मृत्यु से है।

श्री सी० डी० देशमुख: इसलिये, हम ने और कोई भी व्यवस्था नहीं की।

जहां तक राजकुमारों का प्रश्न है, इतना स्पष्ट है कि प्रस्तुत विधेयक में किसी विमुक्ति या अधिमान्य बर्ताव का प्रावधान नहीं है। य बातें साधारण विधि के प्रावधानों के अन्तर्गत आती हैं, और जहां संविधान में

और कई बातों को उपबन्धित किया गया है वहां वे ही कानून चलते हैं। इसलिये, मेरे लिये यह बतलाना आवश्यक नहीं होगा कि राज-भवनों, संपत्तियों, निजी कोषों, आदि-आदि की क्या स्थिति होगी। मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि संविधान के अनुसार जितनी भी सीमा तक और जिस रूप में विमुक्ति दी जा सके, उस के अतिरिक्त विमुक्ति देने का हमारा अभिप्राय नहीं।

अब नियम सम्बन्धी प्रश्न है। खंड १७ का उपखंड ५ (ङ) तो केवल प्रारूप से सम्बन्ध रखता है। जिस रूप में विधेयक पुरस्थापित हुआ है, उस में नियम बनाने के अधिकारों की बात का उल्लेख होना स्वाभाविक था। यों तो प्रवर समिति ने यह अनुभव किया कि नियंत्रित समवायों की परिभाषा को विधेयक के पाठ में ही रखा जाना चाहिये, और शेष बातें नियमों में आ जानी चाहिये। विधि मंत्रालय ने यह परामर्श दिया है कि जितने समय तक किसी विशेष विषय पर नियम बनाने का तत्काल अधिकार है, उतने समय तक अधिकार से बाहर होने की कोई भी बात पैदा नहीं होती। और यह कोई ठोस बात नहीं कि खंड १७ (५) (ङ) वर्तमान संदर्भ में असंगत है। किन्तु प्रारूप की दृष्टि से ऐसा कहा जा सकता है। और यह विशेष खंड निश्चित रूप से, नियंत्रित समवाय के वितृण-पत्रकों तथा अंशों के मूल्यांकन के सम्बन्ध म नियम बनाने की तत्काल व्यवस्था करता है। इतना तो है कि विधि मंत्रालय ने हमें यह सुझाव दिया है कि केवल प्रारूप के दृष्टिकोण से किसी भी प्रकार की आलोचना से बचने के लिये खंड १७ (५) हटा देना चाहिये और उस के स्थान पर, अध्याय के अंत पर, एक नया खंड १९ क निविष्ट किया जाना चाहिये, जो अब खंड १७ (५) में विशेषीकृत उन सभी मामलों के सम्बन्ध में साधारण तया नियम बनाने का प्रावधान करता है।

अब यह अभिप्राय है कि प्रकाशित किये जाने वाले नियम यूनाइटेड किंगडम एक्ट के उन तत्स्थानी उपबन्धों की जो ठीक चल चुके हैं, न्यूनाधिक रूप में, एक प्रतिलिपि होंगी। मैं समझता हूं कि श्री पाटस्कर ने एक प्रश्न उठाया था कि नियम बनाने का अधिकार सरकार को न देकर बोर्ड को ही क्यों दिया गया है। इस में, मैं कोई भी ऐसा अधिकार से बाहर के क्षेत्र का प्रश्न नहीं समझता। संसद् किसी भी अधिकारी को नियम बनाने का अधिकार प्रदान कर सकती है।

मैं यह बतलाना चाहता हूं कि केन्द्रीय राजस्व पर्षद् १९२४ के अधिनियम के अन्तर्गत एक संविधि-स्वीकृत संस्था है, और इस १९२४ के अधिनियम द्वारा संसद् को यह अधिकार प्राप्त है कि वह किसीभी अधिकारी को इस प्रकार का अधिकार प्रदान करे। (केन्द्रीय राजस्व पर्षद् अधिनियम, १९२४ धारा २) और जितने भी नियम बनाये जाते हैं, वे पहले के प्रकाशन की स्थिति पर निर्भर करते हैं, और उन्हें भी संसद् के समक्ष रखना पड़ेगा। आयकर अधिनियम (धारा ५९) में उक्त बोर्ड को नियम बनाने का अधिकार दिया गया है। किन्तु एक आवश्यक अन्तर यह है कि यह अधिकार निश्चित रूप से केन्द्रीय सरकार के नियंत्रण म रखचे जाता है। हम इस बात पर विचार करेंगे कि क्या इस प्रकार का बचाव प्रस्तुत विधेयक में भी पुरःस्थापित नहीं किया जाना चाहिये। मैं उस पर विचार करने को तैयार हूं, और यदि उस से सदन को कोई संतोष प्राप्त हो सके तो हम अवश्य विचार करेंग। चुनाचि यह विचार केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति पर ही होगा।

खंड ४९ में भी नियम बनाने का अधिकार रखा गया है, और इस पर प्रस्तुत विधेयक के खंड ८१ के उपबन्धों का प्रभाव पड़ता है।

[श्री सी० डी० देशमुख]

मेरा विचार है कि मैं लगभग सभी महत्वपूर्ण बातों पर बोल चुका हूं और मैं आशा करता हूं कि यह प्रस्ताव सदन द्वारा स्वीकार होगा। मैं श्री गाडगिल के इस नारे को पूरी तरह से स्वीकार नहीं करता कि काम निपटाओ और स्वर्ग को जाओ। मैं इसे बदल कर कहना चाहता हूं कि स्वर्ग मिले या नरक, कर्त्तव्य निभाते जाओ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :—

"प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित संपदा शुल्क के आरोपण तथा संग्रह का प्रावधान करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

इस के पश्चात् सदन की बैठक बृहस्पतिवार, १३ अगस्त, १९५३ के सवा आठ बजे तक के लिये स्थगित हो गई।

GIPD—HS—323—PSD—30-1 54 -285